MAKE IN INDIA

1965 - 2020 56 YEARS IN THE SERVICE OF NATION

Annual Report

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सी सी आई
CCI

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. Of India Enterprise)

GLIMPSE OF CCI

56th Annual Report 2019-20

सी सी आई
CCI

Contents

Contents	Page No.
Board of Directors	03
Chairman's Speech	07
Director's Report	09
Secretarial Audit Report	32
Report on Corporate Governance	35
Managemant Discussion & Analysis	42
Auditor's Report and Management's Replies	45
Annual Accounts 2019-20	56
Cash Flow Statement	58
C&AG's Comments	90
Our Employees -Our Greatest Assets	92
Salient Features of our Units	94

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

Audit Committee
Shri Mahender Gupta (Chairman)
Shri A.M. Manichan (Member)
Shri B.V. N. Prasad (Member)

Remuneration Committee
Shri Mahender Gupta (Chairman)
Shri A.M. Manichan (Member)
Shri B.V. N. Prasad (Member)

Registered Office
Cement Corporation of India Ltd.
Core 5, Scope Complex
7, Lodhi Road New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

Cost Auditors

M/s. HMVN & Co,
Cost Accountants,
1011, Pearls best Heights-II,
C-09, Netaji Subhash Place,
New Delhi-110034

M/s N. S V .KRISHNA RAO & CO
Cost Accountants,
H.No.1-1-780/7-1&2,
Flat No.308, Sumanjali Apartments,
Gandhinagar, Land mark-Besides
SBI-Gandhinagar Branch,
HYDERABAD-500 080,

M/s. S. Dhal & Co.,
Cost Accountants,
Plot No 458, 1st Floor,
Madhusudan Nayagar Nayapally,
Bhubaneshwar-751012
ODISHA.

Bankers
State Bank of India
ICICI Bank
Bank of Baroda

Statutory Auditors
Principal Auditor

M/s. Sushil Jeetpuria & Company
Chartered Accountants
501, Padma palace,86, Nehru Place
Delh-110019

Branch Auditors

M/s Raipelly Ramesh & Co.
Chartered Accountants,
Adilabad-504001

M/s. Praveen Aggarwal Co.
Chartered Accountants,
New Delhi-110001

M/s. SRP &Co.
Chartered Accountants,
Rohtak-124507

M/s. C. Venkat Krishna & Co.
Chartered Accountants,
Hyderabad-500034

M/s. R Kumar Aggarwal & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-493118

M/s. Gupta Maskara & Associates
Chartered Accountants,
Guwahati-781001

M/s. Manilal Shah & Co,
Chartered Accountants,
Kalaburgi -585101

M/s. S.K. Tanwani & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492001

BOARD OF DIRECTORS

Shri B.V.N. Prasad
Chairman & Managing Director

Smt. Sukriti Likhi,
Govt. Nominee Director,
Joint Secretary, Department
of Heavy Industry

Shri A.M. Manichan
Govt. Nominee Director,
DS, (B & A Finance Wing)
Department of Heavy Industry

Shri S. Sakthimani
Director (Finance)/CFO

Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

KEY FUNCTIONORIES

Smt. Alpana Shukla Rao
Chief Vigilance Officer

Shri Saju S. Dominic
General Manager (HR)

Shri B.M. Mahana
GM Tandur

Shri Vivek Kumar
GM Rajban

Shri Vipul Kumar
GM Bokajan

Shri Alok Shukla
Addl. GM(Mktg)

Shri M.K Patra
Addl. GM (Fin)

Shri C.B Jaggi
Addl. GM (HR)

पन्यावर्त / TURNOVER

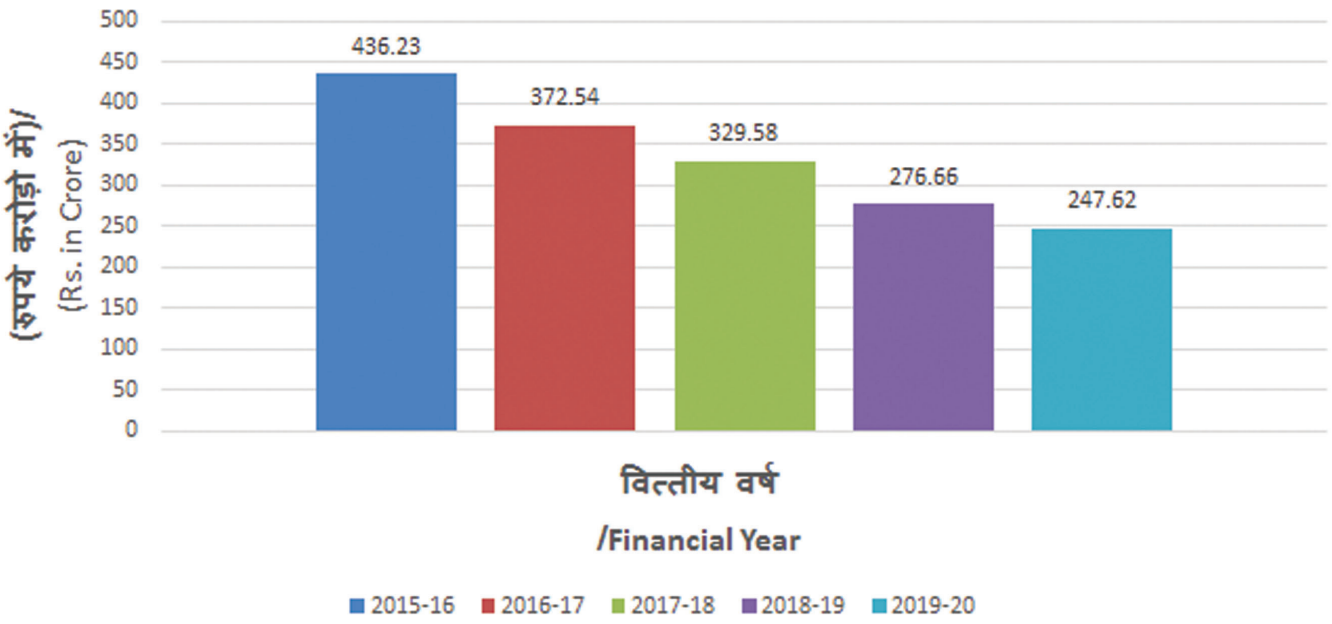

निवल लाभ / NET PROFIT

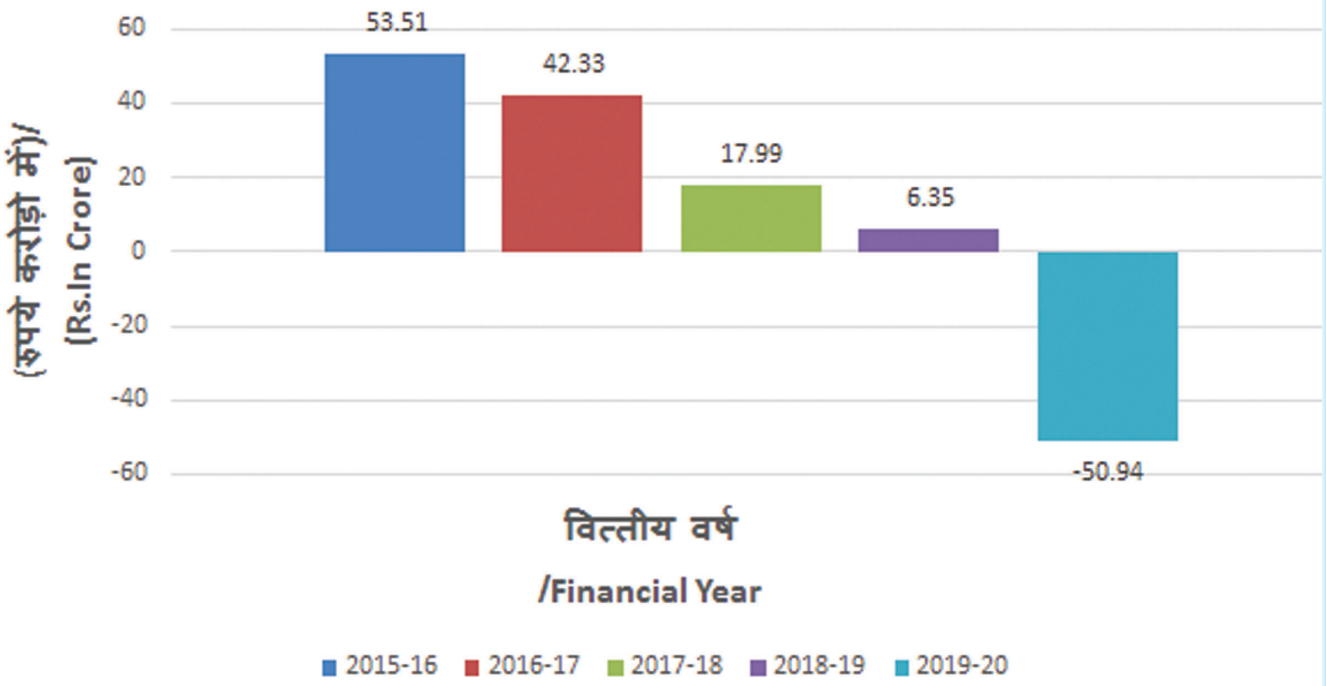

सीमेंट उत्पादन
CEMENT PRODUCTION

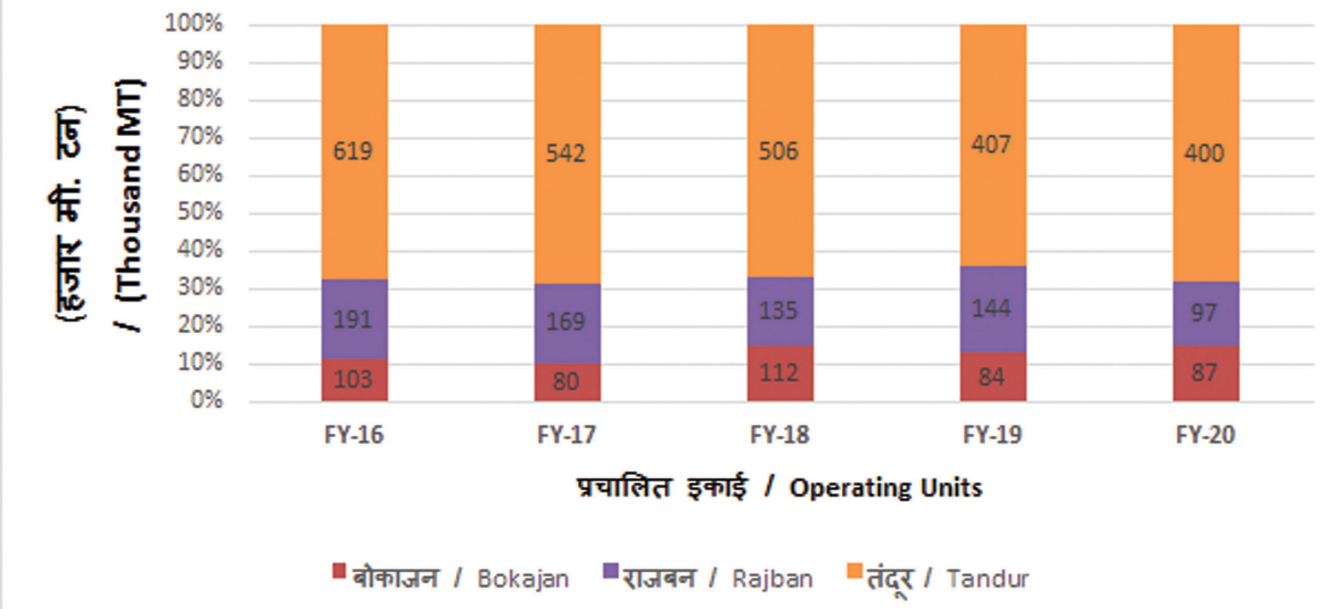

MAN POWER

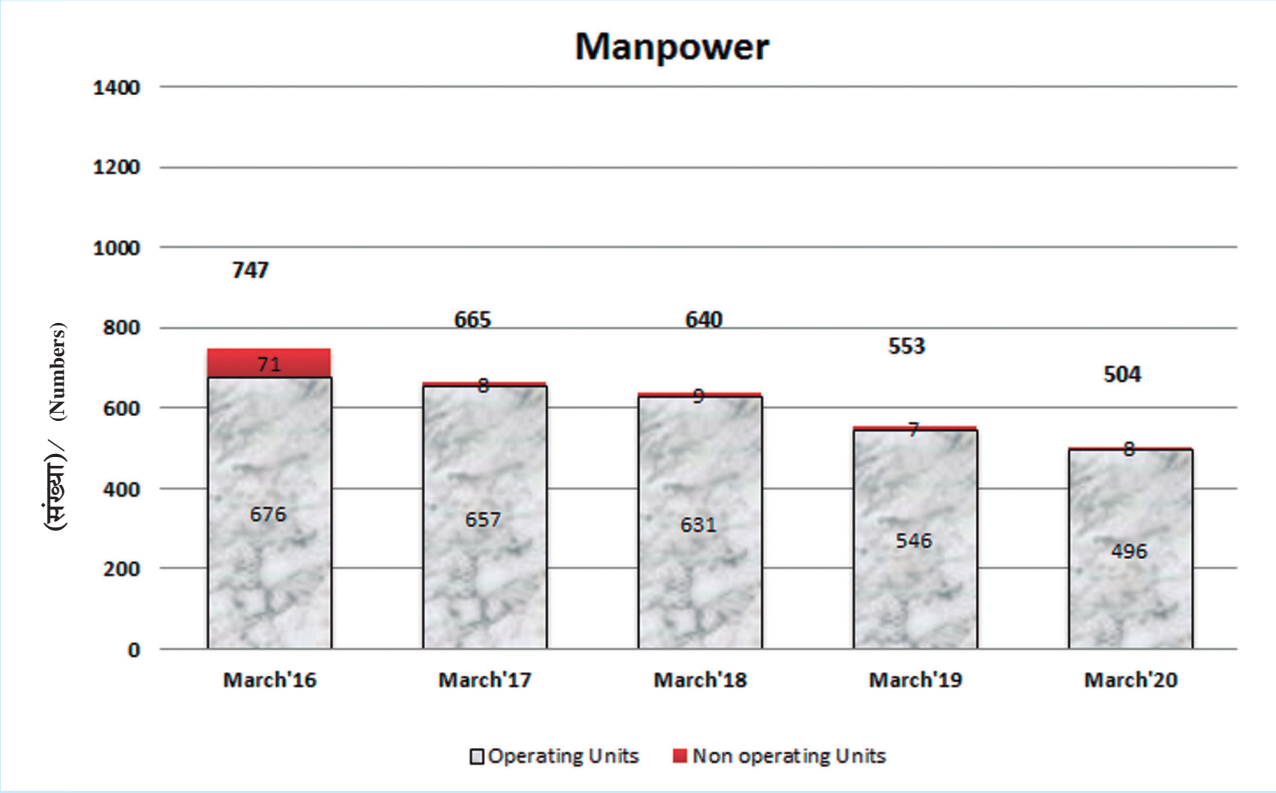

SPEECH OF THE CHAIRMAN AT THE 56TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Shareholders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 56th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and I am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2020 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

The total revenue during the year 2019-20 is Rs. 298.35 crore as against Rs.348.39 crore in the previous year. Corporation has a net loss of Rs.50.94 crore during the year 2019-20 as against the net profit of Rs.6.35 crore in the previous year. The cement production during the year is 5.85 lakh MT as against 6.34 lakh MT in the previous year.

Quality Management

Quality is of utmost importance in CCI. Your Company has Quality Management System in place for all the three operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan with ISO certification. Periodical training programs are conducted to instil the commitment towards quality among employees.

Human Resource Development

Cement Corporation of India Limited as a company feels immensely proud to be the only Cement Manufacturing Public Sector Undertaking of India, wholly owned by the

Government of India. Being a company which has made a name for itself in the market since 50 years, it has grown astronomically by integrating innumerable progressive modifications, both in terms of products and satisfied customers.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board in its 332nd Board Meeting held on 7th December, 2016. The policy has been implemented in the Corporation.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you that Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than Rs. 10 Lakh. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful the overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again,Jai Hind.

Sd/-
(B.V.N PRASAD)
Chairman and Managing Director

PLACE : New Delhi
DATE : 4th March, 2021

BOARD REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 56th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2020, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The company's financial performance for the year 2019-20 alongwith previous year figures are given below:

Sl. No.	Particulars	Year ended 31-Mar-2020	Year ended 31-Mar-2019
1	Total from Operations	249.33	277.83
2	Other Income (including exceptional income)	35.81	85.68
3	PBDIT	-43.74	13.55
4	Less: Finance Cost	0.00	0.00
5	Profit before depreciation	-43.74	13.55
6	Less: Depreciation and amortisation expenses	7.20	7.20
7	Profit after depreciation and interest	-50.94	6.35
8	Less: Tax expenses	0.00	0.00
9	Net profit after tax	-50.94	6.35

The total revenue during the year 2019-20 is Rs.298.35 crore as against Rs.348.39 crore in the previous year.

Corporation has a net loss of Rs.50.94 crore during the year 2019-20 as against the net profit of Rs.6.35 crore in the previous year.

The cement production during the year is 5.85 lakh MT as against 6.34 lakh MT in the previous year.

1. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2019-20.

2. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year 2019-20:-

A. OPERATIONS

Performance of Units –

1) The Capacity utilization of Cement(%), Clinker Production(MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		FOR OPERATING PLANTS ONLY	
Year	19-20	18-19	19-20	18-19	19-20	18-19	19-20	18-19
CAPACITY UTILISATIONOF CEMENT (%)	**44.00**	42.20	**39.30**	58.00	**40.00**	40.70	**40.40**	43.90
CLINKER PRODUCTION (MT)	**74670**	84985	**100730**	99100	**317560**	419805	**492960**	603890
CEMENT PRODUCTION (MT)	**87024**	83570	**97450**	143750	**400110**	407002	**584584**	634322
DESPATCH(MT)	**86782**	86697	**97731**	148641	**392440**	415197	**576953**	650534

Non-Operating Units

The Cement plants at the following non-operating units of the company continued to be closed without any operation:

1. **Mandhar,** Raipur district, Chhattisgarh.
2. **Kurkunta,** Kalburgi district, Karnataka.
3. **Nayagaon,** Neemuch district, Madhya Pradesh.
4. **Akaltara,** Janjgir Champa district, Chhattisgarh.
5. **Charkhi Dadri,** Charkhi Dadri district, Haryana.
6. **Adilabad,** Adilabad district, Telangana.
7. Delhi Grinding Unit – The land of Delhi Grinding Unit has been handed over to South Delhi Municipal Corporation.

Status of Sale of Non-Operating Units:-

Following Units of the Company are continued to be closed:-

1. Mandhar, Raipur District, Chhattisgarh;
2. Kurkunta, Kalburgi District, Karnataka;
3. Nayagaon, Neemuch District, Madhya Pradesh;
4. Akaltara, Janjgir Champa District, Chhattisgarh;
5. Charkhi Dadri, Charkhi Dadri District, Haryana; and
6. Adilabad, Adilabad District, Telangana.

As per the order of Ministry of Labour & Employment, GOI, Non-operating Units i.e., Mandhar, Kurkunta, Nayagaon, Akaltara, Charkhi Dadri and Delhi

Grinding Units have been closed on 31.10.2008. The Adilabad Unit also stand closed w.e.f. 31.10.2008 vide order dated 20.02.2017.

As per the directive of GOI, the strategic disinvestment process has been taken up for the following Units:-

1. Nayagaon – Expression of Interest for sale of the Unit has been published on 02.03.2019 in newspapers.

2. Kurkunta – Extension of Kurkunta Mining Leases. The Environmental Public Hearing was conducted for all the three mining leases of Kurkunta Cement Factory during October, 2020 and the report is also forwarded to MOEF, New Delhi by KSPCB for further processing, where it is under active consideration.

The status of projects are mentioned below:

a) Bokajan Expansion Project

As per Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of clinker, which inter alia envisages enhancement in the cement grinding capacity at Bokajan and Setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tph capacity.

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory to 1200 tpd was awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd (PEIL). Bangalore on turnkey basis at a total cost of 142.40 crore with a contract period of 18 months.

PEIL started the project work in June' 2011. The pace of work was slow. Party stopped work in May' 2014 stating various reasons like non opening of LC and delay in payment.

After discussions with party to resolve various issues as per commitment made by party, extension was issued in Dec' 2017 with 15 months time to enable party to complete the project. Party invoked arbitration clause for escalation of price. After restarting the project work, party abandoned work again. Looking into failure of party to continue work while arbitration proceedings were on, CCI cancelled Work Order on 06.03.2019.

The arbitration proceeding are continuing with arbitral tribunal.

b) Silchar Grinding Unit

The Work Order for setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH was also awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd., Bangalore on turnkey basis at a total cost of Rs.39.68. Significant progress could not be made in the Project implementation by the contractor.

As the Bokajan Expansion work & Silchar Grinding unit are inter linked and both the Contract awarded on M/s. Promac Engineer Industries Ltd., has been cancelled. Presently both works are under "Arbitration and Arbitration proceedings are under progress.

c) Technological Up-Gradation at Tandur

a) As envisaged in the Sanctioned Scheme, total 34 technological up-gradation scheme at Tandur has been taken up for implementation in phase manners. Twenty three (23) scheme have been completed so far, other 11 schemes are at different stages of implementation.

b) Up-gradation of Railway siding at Tandur Plant is being executed by the Indian Railways under depository work scheme i.e from 13.11.2017, the work of which is under progress about 8.3 KM Track rail renewal work completed balance 1.7 KM Track rail will be completed by 31.05.2021.

B. PROFITABILITY

The company has made loss of Rs.50.94 crore during the year 2019-20 as against the net profit of Rs.6.35 crore in the previous year.

C. SALES

CCI Sales as whole for F/Y 18-19 vs F/Y 19-20 INDUSTRY HIGHLIGHTS AND OUTLOOK

- Sales- The total cement sale during FY 19-20 was 5.74 lac MT against sale of 6.59 lac MT during last Financial Year 18-19. Bokajan unit recorded a marginal increase in sale during the current Financial Year as compared to last Financial year.

- Both Tandur and Rajban units underwent major maintenance and breakdown between Aug-Dec 19 period thereby constraining the supplies. However till July 19 i.e before the breakdown cement sale was 2.43 lac MT as compared to 1.75 lac MT till July 18.The industry also went through a major competitive phase in Southern markets in third quarter of the financial year, thereby affecting both topline and bottom line of the Corporation. Both cement sale and despatches were stopped during March 20 due to Covid 19 induced lockdown. It is to be mentioned that Jan-Mar quarter is the peak demand period for cement industry.

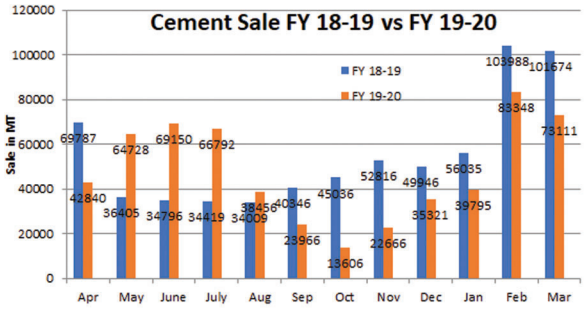

- Industry Highlights and Outlook

- Indian cement industry installed annual production capacity stands at 545 Million Tonnes with actual production at 329 Million Tonnes . India accounts for 8% of the global cement production installed capacity. Indian cement industry recorded a degrowth of 0.8% in financial year 19-20 as compared to financial year 18-19. Indian cement industry has 210 large cement plants out of which 77 are located in the states of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Rajasthan itself making South India a highly competitive markets. The large plants account for annual installed capacity of 410 million Tonnes. India's medium term growth prospects however continue to be robust . Long term cement demand growth rate is estimated at 1.2 times the GDP growth rate. The Eastern states of India are likely to contribute to the bottomline of cement companies in the next 10 years.

- India is the second largest producer of cement in the world and provides employment to more than a million people directly or indirectly. Government in its infra push has allocated Rs 139 billion for Urban Rejuvenation Mission AMRUT and 98 smart cities mission. Government's infrastructure push combined with housing for all, smart cities mission and Swach Bharat Abhiyan is going to boost cement demand in the country including from housing sector. In the budget of 2019-20, the Government of India announced to upgrade 1.25 lac km of road length during the next five years. An aoutlay of Rs 27,500 crore has been allotted under Pradhan Mantri Awas Yojana in the union budget 20-21.

- India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be amongst the top three economic powers of the world over the next 10-15 years on the back of digitisation, globalisation, favourable demographics and reforms.

Marketing and its Environment-

- The southern markets which are highly competitive were first affected by production bottlenecks at Tandur unit and then the prices slumped in second half of the year due to intense competition. The prices recovered during Feb and Mar 20.

- Cement Corporation of India also launched the environment friendly flyash based Portland Pozzolona Cement from its Bokajan . This is also likely to shore up the bottomline of the unit during FY 20-21. Similarly Portland Pozzolona Cement is being promoted in Tandur unit also.

E. QUALITY

- Quality aspects are given utmost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in Company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.

- Bokajan – ISO – 9001 : 2015 and ISO – 14001 : 2015

- Rajban - ISO – 9001 : 2015

- Tandur - ISO – 9001 : 2015 and ISO – 50001 : 2018

F. IMPLEMENTATION OF TALLY ERP AND LINKS TO COMPANY WEBSITE

Implementation of Tally ERP 9:-

- The modules of Tally ERP 9 are effectively working in operating units, Marketing Offices & Corporate Office.

- In order to improve performance of Tally ERP 9, Tally Server-9 has been deployed.

- LAN & Leased Line Internet connectivity has been deployed at Corporate Office.

Links to Company Website:-

The Website of Cement Corporation of India Ltd. is https://www.cciltd.in which contains current policies of the company like CSR, Medical benefit to existing and retired employees, financial results, Marketing Network etc.

E-Office:-

- E-Office (File Management, Online Leave) has been implemented in CCI for all approvals.

Bill Tracking System for Vendor:-

- For tracking the payment of Bill for the Vendor, Bill Tracking System has been implemented and a link is provided on CCI website for the same.

4. CAPITAL STRUCTURE

The company has not received any amount as equity from Government of India during the financial year and company's share capital at the end of the year stood at Rs.811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of Rs.455.98 crore and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of Rs.355.43 crore.

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

Cement Corporation of India Limited as a company feels immensely proud to be the only Cement Manufacturing Public Sector Undertaking of India, wholly owned by the Government of India. Being a company which has made a name for itself in the market since 50 years, it has grown astronomically by integrating innumerable progressive modifications, both in terms of products and satisfied customers.

Only recently, the country was under a lockdown due to pandemic conditions, but the company made sure to stay connected with its employees via online modes. CCI tilized the time in a prolific manner by conducting online knowledge transfer sessions, presentations, sessions by Experts/Advisors, Spiritual Gurus and Constructive orators, to name a few of the initiatives. The sessions were all the more an attainment because of the full cooperation of the higher authorities and active participation by the employees of the Corporate Office, Units and regional offices. In this period, more than 50 online trainings/awareness sessions on various management topics/technology were arranged.

During the last 4 months, the company also introduced its e-office platform in a bid to shift to being on the path of a digital organization, thus diminishing the use of paper. As a part of its CSR initiative, CCI has contributed to the PM CARES Fund. Also, all employees of CCI contributed one day salary to the PM CARES Fund.

CCI is a progressive company with focus on employee engagement, training and positive transformations in the field of cement manufacturing.

COVID-19 has emerged as a global pandemic, which has posed a lot of challenges in the Indian Industry on different levels.

Only recently, the country was under lockdown due to pandemic conditions, but Cement Corporation of India Limited has emerged as a dark horse during such tough times, working continuously and tirelessly so as to contribute their share of efforts into the nation building process.

As the nation continued to battle the coronavirus, numerous companies could not step back from their duties and required to keep running the show and CCI has been part of this nation building process ever since the onset of the pandemic. CCI has achieved many accolades during this period.

5. REMUNERATION POLICY:-

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008 No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009 The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating which is aligned to the organization's objectives.

As per guidelines issued vide OM W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, the 3rd PRC for Executives, Supervisors & Non-Supervisors has been approved by the Board and is yet to be implemented.

6. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

CCIL lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. Manning the company are more than 500 employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. The Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. CCIL has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

Human Resource Development and has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization

of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future.

CCI introduced E-Office, so as to allow employees to work from home, effectively and efficiently, thus reducing costs for the company. E-Office not only reduced the carbon footprint of the Company, but also strengthened the confidentiality aspect on various matters.

An online Performance management System has been introduced in CCI, thus making the APAR system fully automated and more proficient.

CCI has grown immensely as a technology responsive company by designing SoP for Online Recruitment process using various electronic means, thus reaching out to the eligible candidates at a less cost, as compared to the physical recruitment process.

Human capital plays important role in a firm's ability to compete in the tough economic times. Considering the vital role, the HR professionals of CCI are always seeking new ways to tap this potential by taking up various welfare activities for wellbeing of CCI employees

With a aim to build a healthy Workplace and to increase team's engagement , cohesiveness and overall productivity ,during 2019-20 , the Human Resource Department of CCI has organized health camps and celebrated various days like Foundation Day, Swachhta Pakhwada, Sports Activities, Hindi Pakhwada, Yoga Day, National Unity Day, Constitution Day etc across all its units and Corporate Office. The few Highlights of the events are given below:-

Free Health Check Up organized for the welfare of CCI Employees.

An interactive session for school students being conducted by CCI, Bokajan to stand against Terrorism On the occasion of ANTI -TERRORISM DAY.

Pledge taking ceremony on "National Unity Day" at CCI, Rajban

Distribution of environment friendly "Jute Bags & Bamboo Sappling" to employees during Swachhta Pakhwada

Address by Hon'ble C&MD on "Constitution Day "

Distribution of Shoes & Socks to Economically Weaker Students by CCI, Rajban

Celebration of Hindi Pakhwada from 11 September To 25th September 2019

56th Foundation day at CCI, Bokajan

Yoga Session being conducted for employees at CCI, Bokajan.

To promote Official Language implementation Hindi karyashala being organized at Corporate Office

8. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Ltd., for its employees.

CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions leave, work assignments and welfare amenities etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management.

9. WELFARE OF WOMEN:

The Company is fully sensitive and conscious of its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various Units/Offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these various clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women. As far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is concerned, the committee has been established to inquire any such issues and meetings are being conducted for the same at regular interval of time. During 2019-20, the committee has not received any complaint under Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

10. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation also taken active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.

The inspection also been carried out by Third Sub Committee of Committee of Parliament on Official language on 18.02.2020 at Corporate Office. CCI always endeavor to appreciate and encourage use of official language by organizing activities like Hindi Workshops, different types Competitions not only for its employees but also for the members of NARAKAS.

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, it has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level.

As a part of its Corporate Social Responsibility initiative, CCI has contributed to the PM CARES Fund. Also, all employees of CCI contributed one day salary to the PM CARES Fund.

13. INITIATIVES TAKEN BY CCI UNDER "ATMANIRBHAR BHARAT" ABHIYAN:

Cement Corporation of India Limited as a company feels immensely proud to be the only Cement Manufacturing Public Sector Undertaking of India, wholly owned by the Government of India. CCI has a vision and mission in line with the vision of the Hon'ble Prime Minister of India of making CCI "a bigger and more important part of the global cement industry", and being self-sustaining and self-generating in meeting the Indian market demand of Cement.

Being a company which has made a name for itself in the market since 50 years, it has grown astronomically by integrating innumerable progressive modifications, both in terms of products and satisfied customers and plans on continuing to do so.

14. EFFORTS BY CCI IN COMBATING COVID-19

While COVID-19 poses extraordinary challenges for every nation on Earth, India faces a uniquely complex test because of its enormous size and incredible diversity.

CCI with an active strength of employees and Corporate Office and its Units opening at the outset of Lockdown 1, was all the more apprehensive about ways to combating/ controlling the spread of COVID-19 amongst its employees. CCI thus, took to combating the virus even before the lockdown was effective in the country.

i.) Employees were instructed through various circulars to control the spread of the virus from one person to another by avoiding contact with one another and keeping a distance of at least 6-feet between each other.

ii.) Using face asks/covers made mandatory.

iii.) Installation & use of Aarogya Setu App by employees.

iv.) Practising frequent hand washing with soap. Washing hands often with soap and water for at least 20 seconds especially after blowing your nose, coughing, or sneezing.

v.) Avoid touching eyes, nose, and mouth with unwashed hands.

vi.) Availability of hand sanitiser/soap at all times in the office/Unit premises and entrances.

vii.) Distribution of handmade masks by the Units.

viii.) Organising meetings through video conference.

ix.) Staggering of office hours/lunch hours.

x.) Regular sanitisation of office premises

xi.) Seating arrangement made in such a way that adequate maintaining social distancing is maintained.

xii.) Respiratory etiquettes to be strictly followed. Always covering mouth and nose with a tissue while coughing or sneezing or using the inside of the elbow.

xiii.) Prohibiting spitting in the office.

xiv.) Throwing used tissues in the trash.

xv.) Restricting number of people in elevators.

xvi.) Prohibiting large gatherings.

15. Training and Development

As part of Human Resource development, the company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year, various online trainings were imparted to the employees to enhance their skills. The company has also nominates employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees are also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units are exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, CCIL also conducts competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

CCI has organised various online sessions/trainings for its employees during the full tenure of the lockdown period, even ensuring active participation of its employees on holidays. Presentations by the Head of Departments/ employees/Industry experts were a significant part of the learning process during the period.

The prime focus of organising vigorous activities/sessions and various knowledge transfer interactions amongst the employees was to accomplish a positive growth in the production output of the Units.

16. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

17. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

18. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

19. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

- During the year, Vigilance Department has created vigilance awareness amongst its employee at all levels in the Organization and promoted culture of honesty, efficiency and transparency in the working environment. Vigilance Awareness Week was celebrated from 28th October 2019 to 2nd November 2019, under guidance of CVC with the theme "integrity – A way of life". During the Week, corporate Office and operating Units have organized seminars, debate, workshops, competition on essay writing/ slogan etc. Lecture was also organized on preventive vigilance and system improvement with to eliminate the scope of indulging in malpractices.

- Two Workshops were also organized on preventive vigilance and system improvement in Bokajan Unit on 28.06.2019 and in Rajban Unit on 09.08.2019 by Corporate Vigilance Department.

- List of officers of 'Doubtful integrity' and 'Agreed List' for the year 2020 prepared and sent to CVC and CBI.
- E-procurement, e-auction and Integrity Pact has been implemented. As per CVC guidelines IEMs have been appointed.
- Timely action is being taken to safeguard the interest of the Corporation in legal cases emanating from Vigilance cases.
- During the financial year 2019-20, two complaints were received during the year, and same two complaints were disposed off. Disposed complaints were thoroughly investigated and put to the logical end.

20. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial control system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate.

The company has two types if internal audit system mainly:

- Internal audit by independent Chartered Accountants firms.
- In house audit.

Outside internal auditors are appointed by Audit Committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. Management has taken steps to update all other manuals from time to time for better check and control.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2019-20.

22. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

24. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

25. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

26. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted 5 Board Meetings during the financial year 2019-20.

27. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

28. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:-

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs

of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

(f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

29. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

30. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2019-20.

31. DIRECTORS

The following directors were appointed/ ceased to be Director during the year 2019-20.

- Shri B. V. N. Prasad, Director (HR) assumed the charge of the post of Chairman & Managing Director w.e.f. 30th December, 2019.
- Shri. Mahender Gupta, ceased to be Part time non-official Director w.e.f. 29th June, 2019. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution made during his association with the Company.

32. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Shri Mahender Gupta as Independent Director has given Declaration of Independence under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

33. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always been endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

34. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquires from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are for away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

35. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s.Sushil Jeetpuria & Co, Chartered Accountant, New Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2019-20; and M/s. Raipelly Ramesh & Co, M/s. S.K. Tanwani & Co., M/s.Manilal Shah & Co., M/s. R Kumar Agrawal & Co., M/s. Praveen Aggarwal & Co., M/s. Gupta Madkara & Associates and M/s C Venkat Krishna & Co. were appointed as Branch Auditors.

COST AUDITORS

M/s HMVN & Associates were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban Unit to fill the casual vacancy in place of M/s. K. C. Kohli & Co., Cost Accountants. M/s S Dhal & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s N S V Krishna Rao, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2019-20.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Balika Sharma & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2020. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

The Composition of Board of Directors/ Audit committee could not be duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE guidelines due to lack of required Independent Directors on the Board. Request to fill the vacancies were sent to Administrative Ministry.

36. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Directors:

1) Smt. Sukriti Likhi, Director (Govt. Nominee), Chairperson

2) Shri B.V.N Prasad, Dir (HR) / C & MD, Member

3) Shri A.M. Manichan Director (Govt. nominee), Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

37. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, , BIFR, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s.Sushil Jeetpuria & Co, Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(B.V.N Prasad)
Chairman and Managing Director

Date: 03 March 2021
Place: New Delhi

Annexure

CSR ACTIVITIES

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy.

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as "A Commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas44.45 where it is operating".

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India. The CSR and Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is http://cciltd.in/page.php?id=194

2. The composition of the CSR Committee

The Corporate Social Responsibility Committee at the Board Level consists of the following directors:

a.) Shri Mahender Gupta, Independent Director, Chairman
b.) Shri A.M. Manichan, Director (Govt. Nominee), Member
c.) Shri B.V.N Prasad, C&MD, Member

3. Average net profits of the Company for the last three financial years : Rs. 2222 Lakh

4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above) : Rs. 44 lakh

5. Details of CSR spent during the Financial year:

a.) Total amount to be spent for the financial year: Rs. 44 Lakh
b.) Amount unspent: Rs. 0 Lakh
c.) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(₹ in Lakh)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S. No	CSR project or activity	Projects or programs Local area or other	Amount outlay (budget) project	Amount spent	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	PM Cares Fund	-	44	44	44	Direct
	Total			**44**	**44**	

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Finance/CFO)

Sd/-
(B.V.N Prasad)
Director (HR)

Particulars are required under Companies (Disclosure of particulars in the report of the Board of Directors) Rules 1988.

Particulars are required under Companies (Disclosure of particulars in the Report of the Board of Directors) Rules 1988.

1. Resource Efficiency -

Tandur - Power received from APGPCL

Rajban –

i) Under Installation of 1 MW power Solar photovoltaic plant under RESCO model.

ii) MoU signed for utilization of RDF with SADA (Special Area Development Authority Trilok pur)

i) MoU with DUD (Deptt. of Urban Development, H.P.) for the use of SCF /RDF is under process.

ii) The Capital Investment on Energy conservation equipment.

a) SO_x NO_x Analyzer - PO 149(18)/17 dated 15.05.2019.

b) AQMAS – 137(18)/57 dated 20.07.2019 .

Bokajan - PPC Production on sustained basis since October'2019 with available resources.

2. Power and Coal Consumption: -

Tandur - SCCL, Ramagundam, Gr. Of Coal G-8.

Rajban & Bokajan : Eatern Coal Field Limited.

D Environment improvement-

Tandur - Errection & Commissioning of "Pulse Jet Bag Filter" - The finalisation of tender for errection & commissioning of Pulse Jet Filter is in progress. The Work order is expected to be placed by August' 2020 and work is likely to be completed by March, 2021.

Rajban-

i) SO_x NO_x Analyzer - PO 149(18)/17 dated 15.05.2019.

i) AQMAS – 137(18)/57

ii) dated 20.07.2019 .

Bokajan -

i) ESP for both Kiln: - Major ESP overhauling was done by M/s. AYCL (Aug / Sept'2019) to reduce the dust emission mg/Nm^3) from stack.

ii) Bag Filter for Coal Mill- Bags were replaced to reduce the stack emission as well fugitive emission for fine coal circuit.

E. Conservation of Energy -

ENERGY CONSERVATION STEPS TAKEN IN THE YEAR 2019—20

BOKAJAN:-

1) Converted under loaded motor from delta to star permanently for various motors.

2) Conventional motor for GCT pump motor of 60 HP replaced with energy efficient motor.

3) 300 Nos. LED lamps have replaced at the place of conventional lamps and tube light fittings.

4) 375 Nos. Energy efficient ceiling fan installed across plant and Colony at the place of conventional Ceiling fan.

5) Other plant motors were replaced with energy efficient motor e.g. motor for Cement mill vibrating screen (HP), Kiln Cooler motor (30 KW) and cement mill oil pump (5 HP) etc.

6) 15 Nos. Solar LED street lamps installed across plant, colony & quarry.

TANDUR:-

1) **Lighting Modification both in plant & Colony:**

- 650 Nos. of Ceiling Fans - Total saved 31 KWh.
- 230 Nos. of Led Flood light - Total saved 46 KWh.
- 820 Nos. of Led Tube & Street light - Total saved 55.20 KWh.
- 300 Nos. of Led Well Glass - Total saved 24.50 KWh.
- 20 Nos. of Solar Street Light - Total saved 800 KWh.
- 300 Nos. of Led Well Glass - Total saved 24.50 KWh.

2) Equipment Modification in the Plant:

- Coal Mill Fan No. - 1 - Total saved 60 KWh.
- Coal Mill Fan No. - 2 - Total saved 55 KWh.
- Pre Heater Fan No.-1 - Total saved 50 KWh.
- Pre- Heater Fan No.-2 - Total saved 64 KWh.
- Multi-Channel Burner Motor - Total saved 17 KWh.

F. TECHNOLOGY ABSORPTION

a. Rajban: -

- Installation Solar Energy Panel i.e. Renewal energy
- Installation of IE-3 motors.
- Cost savings Rs.2.78/unit generation from Solar Power.
- Not any imported technology during last three years.
- Not any expenditure incurred on R&D.

b. Tandur: - Following Technology Absorption:-

i) Solar Lighting
ii) LED Lighting
iii) Energy Efficient Fans
iv) Energy Efficient Motors
v) VFD Drives
vi) Installation of "Table top X Ray Analyser.

(A) Unit wise total energy consumption and energy consumption per unit of production:-

FOR THE REPORT OF BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2019-20

Particulars	BOKAJAN	RAJBAN	TANDUR	CCI AS A WHOLE
1) ELECTRICITY				
a) PURCHASED				
I) UNITS (KWH)	17067000	15202000	48912000	81181000
II) TOTAL AMOUNT (Rs. in lakh)	1284.83	1057.98	3227.40	5570.21
III) RATE PER UNIT (Rs./kwh)	7.52	6.96	6.59	6.86
b) OWN GENERATION				
I) THROUGH DIESEL GENERATION			0.00	0
I) UNITS(KWH)	67109.20	3636.00	0.00	70745.20
II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION IN LITRE	30726.00	4274.00	0.00	35000.00
III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL (KWH/ LITRE)	2.18	0.85	0.00	2.02
IV) COST PER UNIT Rs./KWH	27.31	74.02	0.00	29.67
2) COAL				
Quantity Consumed (MT)	19556.00	25009.00	75928.00	120493.00
TOTAL COST (Rs.in lakh)	1272.84	1936.98	4245.50	7455.32
AVERAGE RATE (Rs./MT)	6508.71	7745.15	5591.48	6615.11
3) CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION				
I) ELECECTRICITY (KWH/MT of packed cement incl. Township)	196.67	139.27	131.07	142.20
II) Booked Coal (%.) of clinker Production)	26.18	24.83	23.90	24.44
III) Coal quality & (UHV) k.cal/kg of coal	5354.00	4318.00	3918.00	4217.18

Production figures in 2019 -2020

	Clinker	Cement
BKO	74640	87024
RJO	100730	97450
TDO	317560	400110
TOTAL	**492930**	**584584**

B. Year wise total energy consumption and energy consumption per unit of production-

	Particulars	(2019-2020) (Operating Units only)	(2018-2019) (Operating Units only)
1.	**Electricity**		
	a) Purchased		
	i) Units (in lakhs)	**811.81**	965.94
	ii) Total amount (in lakhs)	**5570.21**	5960.89
	iii) Rate per Unit	**6.86**	6.17
	b) Own Generation		
	I) UNITS(KWH)	**70745.20**	72972
	II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION IN LITRE	**35000.00**	56633.60
	III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL (KWH/ LITRE)	**2.02**	1.77
	IV) COST PER UNIT ¹ ./KWH	**29.67**	36.18
2.	**Coal**		
	iii) Qty. Consumed (Tonne) **Coal**	**120493.00**	148675
	iv) Total Cost (¹ . In Lakhs)	**7455.32**	8591.88
	Average rate (¹ ./MT)	**6615.11**	5778.78
	Consumption per Unit of Production		
	iii) Electricity (KWH/ tonne of packed Cement incl. Township)	**142.20**	147.14
	ii) Booked coal (kg./kg.) of clinker/Production)	**0.2444**	0.2458
	Coal quality (UHV)(K.Cal / kg. of coal)	**4217.18**	4421.59

ANNEXURE-'B'

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT PURSUANT TO PROVISION OF THE COMPANIES ACT, 2013

Management's replies to the observations stipulated in the Audit Report (revised) dated 29-01-2021 are given below:

S.No	Basis For Qualifications	Management Reply
a	Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20acres to SDMC on dated 11-04-2017 cost of land transferred to claim recoverable from outside party. Physical possession of land measuring land 6.74 allotted for railway siding which is still with the company. (Refer Point No.3 of Note-34)	The position has been adequately explained in the relevant point no.03 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
b	Non Determination and consequent non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. (Refer Point No.5 of Note 34)	The position has been adequately explained in the relevant point no.05 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
c	The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation. (Refer Point No. 11 of Note 34)	The position has been adequately explained in the relevant point no.11 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
d	The balance of certain trade receivable Loan and advances. Trade Payables, Deposits to and from parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. (Refer Point No.19 of Note 34)	The position has been adequately explained in the relevant point no.19 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
e	The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point no.10 of Note 34. As per view of the management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because market value expected is normally more than the book value of the assets.	The position has been adequately explained in the relevant point no.10 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
f	The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1000/- each for a value of Rs.355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per cabinet / BIFR direction. (Refer Point No.12 of Note 34)	The position has been adequately explained in the relevant point no.12 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
g	Input Tax Credit Records at units, Corporate/ consolidation for output taken and input utilisations are not reconciled and matched with corresponding entries reported at GST portal. GST returns / records mismatches need satisfactory resolution. Corresponding reconciliation with financial books is to be achieved and consequential effects in financials to be incorporated on the basis of updations.	Input Tax credit reconciliation upto last financial year of all units has been reconciled.

FORM NO. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31 March, 2020

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :

i) **CIN:-** U74899DL1965GOI004322

ii) **Registration Date:-** 18/01/1965

iii) **Name of the Company: -** CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED

iv) **Category/ Sub-Category of the Company:-** MANUFACTURING SECTOR

v) **Address of the Registered office and contacts details:-**

CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD NEW DELHI-110003

vi) **Whether listed company Yes / No:-** No

vii) **Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-** N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl . No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/ services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%
2	Clinker	2394	

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING / SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
	NIL				

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares	- -	45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%	- -	45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%	NIL
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total(A) (1):-	**0**	**81,14,074**	**81,14,074**	**100%**		**81,14,074**	**81,14,074**	**100%**	
(2) Foreign									
a) NRIs-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0					
e) Any other….	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total (A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+ (A)(2)	**0**		0	0	0	0	0	0	
A. Public share holding									
1.Institutions									
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Central Govt. /State	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
h) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (1):- 2. **Non-Institutions**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) others (Specify)									
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (2):-	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
B. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	**0**	**81,14,074**	**81,14,074**	**100%**		**81,14,074**	**81,14,074**	**100%**	**NIL**

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			Change
		No. of shares	% of total shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of Pledged/ encumb-ered to total shares	% change Shareholding during the year
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. NO.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. Of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NO CHANGE			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the end of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer/ bonus/sweat equity etc):				
	At the end of the year				

5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrues but not due for payment

(₹ in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial				
i) Principal Amount	—	15090.06	—	15090.06
ii) Interest due but not paid	—	12385.26	—	12385.26
iii) Interest accrued but not due	—	Nil	—	Nil
Total (i+ii+iii)		**27475.33**		**27475.33**
Change in Indebtness during the financial year				
· Addition				
· Reduction	—	Nil	—	Nil
Net Change	—	Nil	—	Nil
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	—	15090.06	—	15090.06
ii) Interest due but not paid	—	12385.26	—	12385.26
iii) Interest accrued but not due	—	Nil	—	Nil
Total (i+ii+iii)		**27475.33**		**27475.33**

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	NAME OF MD/WTD/Manager		
		Sh. B.V.N. Prasad	Sh. S. Sakthimani	Total Amount
1.	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17 (1) of the Income tax Act, 1961	32.17	29.47	61.64
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income –tax Act, 1961	—	—	—
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	—	—	—
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL
4.	Commission			
	- As % of profit	NIL	NIL	NIL
	- Others, specify….			
5.	Others , please specify			
	(i) Contribution to PF	2.80	2.56	5.36
	(ii) Medical Reimbursement	0.10	0.21	0.31
	Total (A)	**35.07**	**32.24**	**67.31**
	Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other directors:

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
			—	—	
	3. Independent Directors ● Fee for attending board committee meetings ● Commission ● Others, please specify	—			—
	Total (1)	—	-	-	—
	4. Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee) ● Fee for attending board committee meetings ● Commission ● Others, please specify				
	Total (2)	—	-	-	—
	Total (b)=(1+2)	—			—
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

(₹ in Lakhs)

S.N.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel	
		COMPANY SECRETARY Sh. Ajay Kumar Sharma	**Dir(Fin.) /CFO** Sh. S. Sakthimani
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	14.80	29.47
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	-	-
5.	Others, please specify		
	(i) Contribution to PF (ii) Medical Reimbursement	1.43 0.02	2.56 0.21
	Total	16.25	32.24

7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment /Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY		Nil			
Penalty					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Compounding					

CS

Balika Sharma And Associates
Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members of,

Cement Corporation of India Limited

Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road New Delhi-110003

CIN: U74899DL1965GOI004322

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation of India Limited, Cin U74899DL1965GOI004322 (hereinafter called "the Company").** Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, e-Forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year commencing **from 1st April, 2019 and ended on 31st March, 2020** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, e-forms and returns filed and other records maintained by **Cement Corporation of India Limited** ("the Company") for the financial year ended on 31st March, 2020 according to the provisions of:

1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

2) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;

3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

4) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

5) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;

   c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

   d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;

CS

Balika Sharma And Associates
Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

6) Being an Unlisted Government Company, the above mentioned acts given in para 2, 3, 4 and 5 are not applicable to the Company.

7) We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We have examined compliances of the provisions of para (i) as they had been notified by Central Government with effect from 01st July, 2015 but we have not examined compliances of the provisions of para (ii) as these are not applicable to the Company (being Unlisted Government Company).

i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

ii) The Listing Agreements entered into by theCompany with Stock Exchange(s), if applicable;

We further report that

During the year under review, the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors; except Independent Directors.

The Company has only one Independent Director. However, the Company has already requested the Administrative Ministry to appoint requisite number of Independent Directors on the Board of Company and the confirmation on same is awaited.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines as stated above.

We further report that during the audit period, no specific events / actions took place having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

Sd/-
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P.No : 3222
UDIN number F004816B001394644

Place: New Delhi
Date: 04.12.2020

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure I and forms an integral part of this report.

CS

Balika Sharma And Associates
Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure I and forms an integral part of this report.

ANNEXURE I

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited
Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road,
New Delhi-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on the random test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations & happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on random test basis.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company not the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

7. In order to verify the compliances, reliance was placed on electronic records as provided by the management of the Company due to restriction on movement from one place to another imposed by the Government of India on account of COVID-19 pandemic.

Sd/-
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P.No : 3222
UDIN number F004816B001394644

Place: New Delhi
Date: 04.12.2020

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2020, the Board of CCI comprised of four (4) Directors out of which two are functional directors and two Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry, Government of India.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 26.09.2019)	No. of Directorship held as on 31.03.2020 (Including CCI)	No. of Committee membership held in other companies as on 31.03.2020
Functional Directors:						
1.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources) & Additional Charge of C&MD	5	5	Yes	1	NIL
2.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	5	5	Yes	2	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Smt. Sukriti Likhi	5	5	N/A	4	NIL
4.	Shri A. M. Manichan	5	5	Yes	4	NIL
Independent Director						
5.	Shri. Mahender Gupta (upto 28.06.2019)	1	1	Yes	1	NIL

The company held five Board Meetings i.e. on 30.05.2019, 31.07.2019, 02.08.2019 28.11.2019, and 09.03.2020 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than one hundred and twenty days as per the provisions of Companies Act, 2013.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An Action Taken Report(ATR) on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company do not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors were paid sitting fees at the rate of Rs. 6000/- (Rs. Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof during the financial year 2019-20.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2019-20)
Functional Directors:			
1.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources) & Additional Charge of C&MD w.e.f 05.10.2018.	Functional Director	NIL
2.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	Functional Director	1. Scooters India Limited
Government Nominee Directors			
3.	Smt. Sukriti Likhi (w.e.f 15.11.2018)	Govt. Nominee Director	1. NEPA LTD 2. ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LIMITED 3. TUMAKURU MACHIHNE TOOL PARK
4.	Shri A.M. Manichan	Govt. Nominee Director	1. Instrumentation Limited 2. Hindustan Cables Ltd 3. Bhel Electrical Machines Limited
Independent Director			
5.	Shri. Mahender Gupta (upto 28.06.2019)	Independent Director	M/s Continental Hygiene Concepts (Partner)

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be} by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2019-20.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

1) Smt. Sukriti Likhi, Director (Govt. Nominee)as Chairperson

2) Shri B.V.N. Prasad, C&MD as Member

3) Shri A.M. Manichan Director (Govt. Nominee) as Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2019-20, two Audit Committee Meetings were held on 02.08.2019 and 28.11.2019 attended by following members:-

S. No.	Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1.	Smt. Sukriti Likhi	2	2
2.	Shri B.V.N. Prasad	2	2
3.	Shri A.M. Manichan	2	2

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

For want of Independent Directors the Remuneration Committee of the company could not be reconstituted.

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2019-20 are given below:-

(₹ In lakhs)

Sl. No.	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri B.V.N. Prasad, Director (HR), CMD (AC)	26.10	6.07	0.00	0.00	0.10	2.80	35.06
2.	Shri S. Sakthimani, Director(Finance)/ CFO	23.90	5.57	0.00	0.00	0.21	2.56	32.24
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	11.90	2.90	0.00	0.00	0.02	1.43	16.25
	Total	61.90	14.54	0.00	0.00	0.32	6.78	83.55

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. However, the Company is not having Independent Directors, accordingly CSR Committee could not be reconstituted.

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Meeting of Independent Directors

Since there is no independent director on the board of the Company, the meeting of Independent Directors could not be held.

8. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

9. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	53rd AGM	54th AGM	55th AGM
Date & Time	20th September, 2017 at 3.00 PM	26th September, 2018 at 12.30 PM	30th December, , 2019 at 03.00 PM
Location	Scope Complex,Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex,Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex,Lodhi Road, New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	No	No	No

10. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2020.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2019-20 and last three years.

11. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance, CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

12. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.cciltd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

13. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

14. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Geeta Wadhwa, Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2019-20 which is **Annexed** herewith.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(B.V.N Prasad)
Chairman and Managing Director

Geeta Rani Wadhwa

Company Secretary

B.Com, ACS, LLB

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Cement Corporation of India Limited,
Core -5,Scope Complex 7-Lodhi Road
New Delhi - 110003

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Cement Corporation of India Limited, having its registered office at Core -5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on 31.03.2020,as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May, 2010 (as amended from time to time).

2. The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.

3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following:

a. There was no Independent Director on the Board of Company since 29.06.2019, however request to fill the vacancies of independent directors had been sent to the administrative ministry from time to time.

b. As per the DPE guidelines, the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company has no Independent Director. Hence, composition of the audit committee is not as per DPE guidelines.

c. The company does not have constituted the **Remuneration Committee**.

4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company not the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For G W & Associates
Company Secretaries

Sd/-
CS Geeta Rani Wadhwa
Proprietor
Membership No 25218
CP No 9822
M : 8802712645

UDIN NO. A025218B002688043

DATE: NEW DELHI
PLACE: 09.02.2021

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Overview and Outlook

The financial year 2019-20 witnessed contrasting economic scenarios. Due to trade wars and the weakening economic scenario in China, the global outlook remained weak during the initial months. The manufacturing sector witnessed either slow or negative growth in many countries.

The Indian economy also witnessed a slow down in FY 20 and the GDP growth was pegged at 4.2%, primarily on account of weak demand across sectors and tightening of credit. However respite came in the form of decline in prices of crude, oil and gas internationally due to moderation in global economic activities.

In order to improve the situation, Reserve Bank of India took many steps throughout the financial year including introduction of reforms to improve ease of doing business, steps for liberalising FDI and lowering of corporate income tax.

The Indian cement industry after witnessing sturdy growth of approximately 13% during FY 18-19 , exhibited slow down and closed with marginal de-growth. The year saw general elections during April-May 19, extended monsoons and low capital expenditures on infrastructure and road building. The cement demand started improving from Dec 2019, but the momentum was not sustained due to advent of Covid 19 pandemic outbreak. This severely impacted construction activities and the industry registered de-growth for the financial year after a gap of almost two decades

However with anticipated pick up in private investment, financial sector reforms and resolution of assets stressed under Insolvency and Bankruptcy Code coupled with strong fundamentals of the Indian economy, positive impact is expected on the cement industry.

Covid 19 pandemic which led to a nation wide lockdown from 25th Mar 2020 hit the cement sector and the entire construction sector came to a grinding halt. While cement sector witnessed robust demand prior to the lockdown, the event led to closure of all major cement plants including those of CCI. Post Covid lockdown relaxations, governments push on infrastructure shall see greater focus and this will push up capacity utilizations. This year also saw merger of many cement companies.

This year also saw the launch of fly ash based Portland Pozzlona Cement from Bokajan unit in the North Eastern part of the country which is witnessing a surge in cement demand due to push for infrastructure projects.

South India remains as the most competitive cement market due to high installed capacities.

2. **Financial Review and Analysis-** Cement Corporation of India could not make profits after a gap of more than 10 years. The net profit of the Corporation which was Rs 6.35 crores during Financial Year 18-19 turned into a loss of 50.94 Crores primarily due to major breakdowns at Rajban and Tandur units. Covid 19 also accentuated the problem with lockdown being imposed from 25th March 2020. The cement despatches stood at 5.77 lac MT during FY 2019-20 against 6.50 lac MT during FY 2018-19.

3. **Risks Concerns-** The risk management takes into account business enviornment, technologies and compliance regulations and procedures. Besides the threats opportunities are also identified through this process. The company has identified the following risks and opportunities for the Corporation-

a. **Primary Raw Material and Energy Cost-** The main raw material for cement production is limestone which is available in captive mines of CCI for all the three operational units. However coal availability is a challenge both in terms and quality and timely availability at economic prices. We are also in the process of using pet coke to ease the pressure of coal prices. We are also in the process of installing and replacing energy efficient motors and pollution control equipments.

b. **Low Demand and Overcapacity-** Though the northern and north eastern markets have seen buoyant demand, South India continues to be plagued with overcapacity and hence low capacity utilizations. This also leads to pressure on prices thereby affecting the topline and bottomline of the Corporation.

c. **Competition -** The cement industry has also seen consolidation and emergence of stronger brands. Indian cement industry being the second largest in the world creates competition and greenfield projects are also coming up in various parts of the country. However CCI finds itself on a strong position by virtue of its old presence . We also continue to enhance brand equity through enhanced marketing activities and high standards of quality, timely delivery and customer satisfaction.

d. **Project Execution-** Your company has also undertaken capacity expansion of Bokajan unit in

the cement deficit markets of North Eastern India. This project is facing the risk of time overruns and legal battles with the vendor.

f. **Homan Resources-** Human resources form the backbone of a vibrant organization and contribute towards delivery of value and profitability. In a competitive environment the continuous superannuation of employees may lead non availability of suitable talent which may affect the performance of the Corporation. The organization has to not only retain and nurture talent but also attract new talent. Your company is making all efforts by continuously benchmarking HR practices across the industry and making necessary improvements to attract and retain best talent.

g. **Regulatory and Compliance-** With the ever evolving regulatory framework in the country, the risk of non compliance and penalties looms large and carries reputational risks also. The company regularly reviews the changes brought about in the regulatory framework and necessary action is taken accordingly.

4. Internal Control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

5. CSR Policy

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

6. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance forCentral Public Enterprises (CPSEs) provides that as apart of Directors' Report or as an addition thereto, aManagement Discussion and Analysis Report should formpart of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains challenging. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augur well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis"describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt.policies and other factors.

Ten Year Digest

(₹ in lakhs)

Particulars	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Statement of Profit & Loss										
Sales & despatches and Accecretion/ (Decretion) to stock	25202	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286
Other income including exceptional income/Expense	3581	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893
Raw material consumed	4793	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969
Stores & packing material consumed	1488		1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703
Employees Remuneration & benefits	5490	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997
Interest	147	116	261	225	223	297	295	446	911	3683
Depreciation	720	720	608	665	790	636	906	811	744	774
Other manufacturing expenses	21410	24553	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340
Profit(+)/Loss(-)	(5094)	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713
Balance Sheet										
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140
Reserves & Surplus	(83350)	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)
Loans	15090	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172
Net Fixed Assets	12317	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224
Current Assets	28492	33564	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269
Current Liabilities and provisions	10564	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137
Capital W.I.P.	5809	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051
Other Assets (Includign DRE)	2248	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795
Capital Employed#	39765	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068
No. of employees	504	574	640	665	747	813	907	906	907	988
Net Worth	(4229)	859	364	(1382)	(5593)	(10807)	(14260)	(15808)	(16524)	(18536)

* Includes Equity Shares of Rs.45,598 lakh and Redemable Preference Share of Rs.35,543 lakh
# Capital Employed is calculated by reducing Current Liability and Unamortised Expense from Total Assets

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Revised)

To
The Members,
Cement Corporation of India Ltd
New Delhi

Revised Report on the Financial Statements

This Audit report is in supersession of our earlier Audit Report dated 7th December 2020 on the accounts as at 31st March 2020 of the **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED** has been revised to give effect to the observations made by Indian Audit and Accounts department, office of the Principal Director of Audit (I&CA), New Delhi vide letter no. AMG-III/CCI/2019-20/544 dated 18/01/2021 and letter no. AMG-III/2(48)/Account Audit-CCI/ 2019-20/2020-21/250/ dated 28/01/2021

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company")** CIN No –U74899DL1965 GOI004322 which comprises the Balance Sheet as at **March 31, 2020,** and Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurukunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020, and its loss, and its Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013.Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

BASIS FOR QUALIFIED OPINION:

a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, DDA suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on dated 11-04-2017 cost of land transferred to claim recoverable from outside party. Physical possession of land measuring land 6.74 acres allotted for railway siding which is still with the company. [Refer Point No.03 and 07 of Note-34].

b. Non-Determination and consequent non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.05 of Note 34].

c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 11 of Note 34]

d. The balance of certain Trade Receivable, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.19 of Note 34].

e. The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention

is drawn to point No.10 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because market value expected is normally more than the book value of the Assets.

f. The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1000/- each for a value of Rs.355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.12 of Note 34].

g. Input Tax Credit Records at Units, Corporate/ Consolidation for output taken and input utilizations are not reconciled and matched with corresponding entries reported at GST portal. GST returns /records mismatches need satisfactory resolution. Corresponding reconciliation with financial books is to be achieved and consequential effects in financials to be incorporated on the basis of updations

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Other Matter

We did not audit the financial statements of 11 (eleven) branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements/ financial information total assets of Rs 523.49 crores. as at 31st March'2020 and total revenue of Rs. 298.39 crores. for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters which is relevant.

Without qualifying, we draw attention to following matters referred to in the Notes to the Financial Statements:

a) The financial statements of the company have been prepared on going concern basis despite:

   I. It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.

   II. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3rd May 2006 for sale of seven factories of the Company including two units under Nayagaon expansion.

   The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 10 of Note 34). The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

b) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI and it was completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. However, sale of these non-operating units are under progress as per direction given by NITI Aayog. (Refer point no. 10 of Note 34).

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation give to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.

2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

c) The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

f) Being a Government Company, pursuant to the

Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial dreporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note No 32 to the financial statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There have not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Rules made there under.

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
FRN: 500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
M.No: 014290

Place: New Delhi
Date : 29/01/2021

UDIN: 21014290AAAAAU4466

Annexure – 'Á'

Annexure to the Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2020]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

I. In respect of its fixed assets:

(a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets. The location of the assets has not been mentioned in some of the Fixed Assets register.

(b) As explained to us, fixed assets have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner programme of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification and have been properly dealt with the books of accounts.

(c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except some of the units as mentioned in the branch audit reports. Some Title deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed. (Refer Point No.**3 and 7 of Notes 34) Detail given as under**

Sr. No.	Units Name	Description of Land/ Building
1	Mandhar	1.06 Acres
2	Nayagaon	0.146 Hectres
3	Akaltara	495.75 Acres
4	Bhatinda	10.12 Acres
5	Nayagaon	155.83 Acres
6	Adilabad	58.81 Acres
7	Head Office Building	Rs 266.58 Lakh Excluding Electrical Installation of Rs 5.7 Lakh

II. In respect of its inventory:

(a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and 'A'&'B' category of stores, spare parts and raw materials were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of 'C' category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.

(b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification of stocks as compared to book records.

III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013:

According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms, limited liability partnership or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

IV. In respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.

V. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.

VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

VII. In respect of statutory dues:

According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, GST, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable

Nature of Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	1589.72
Corporation Tax	NALA Tax	70.05
Corporation Tax	Property Tax	367.20
Service Tax	Service Tax	2.29
Corporation Tax	Royalty	569.50
Corporation Tax	Entry Tax	12.45
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.23
Central Sales tax	CST	9.60
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	13.26
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	18.03
Mining dues	Mining Department	186.61
Excise duty	Excise duty	0.32

(b) According to the information and explanations given to us, the disputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2020 is given below:

Particulars	Nature Of Dues	Where Pending	Amount (₹ in Lakh)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal / Financial Commissioner/ Appropriate Authority	274.63
Income tax penalty	Mismatch Demand	Commissioner of Income	9.98
Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	195.43
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	38.73
Excise & Customs	Excise Duty	Appellate Authority	538.70

VIII. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon in respect of dues, as per details given here as under

Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
Govt. of India including Interest	***27475.00***	*From 2011*

IX. Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.

X. According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

XI. The provision of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to Government Companies. According, the provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the Corporation.

XII. The Company is not a Nidhi Company and Nidhi Rules, 2014 not applicable to it as such the provision of Clause 3(xii) of the Order are not applicable on the Company.

XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.

XIII. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provision of Clause 3 (xiv) of the order are not applicable.

XIV. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, provision of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.

XV. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
FRN: 500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
M.No: 014290

Place: New Delhi
Date : 29/01/2021

UDIN: 21014290AAAAAU4466

Annexure 'B'

Report on Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;

2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the corporation; and

3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become

inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
FRN: 500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
M.No: 014290

Place: New Delhi
Date : 29/01/2021

UDIN: 21014290AAAAAU4466

Annexure-I

Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2020

1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the company has its system in place to process all the accounting transactions through IT system. We have not noticed any accounting transactions which have been processed outside the IT system.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	The funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
FRN: 500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
M.No: 014290

Place: New Delhi
Date : 29/01/2021

UDIN: 21014290AAAAAU4466

Sub-Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 for the year 2019-20.

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information are given below:

BIFR Scheme

The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/S IFCI (OA) and approved by Govt. Of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter-alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units. Sale of non-operating units are under progress as per DIPAM guideline.

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
FRN: 500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
M.No: 014290

Place: New Delhi
Date : 29/01/2021

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

(₹ in lakh)

PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT MARCH 31, 2020	AS AT MARCH 31, 2019
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,141	81,141
(b) Reserves and Surplus	03	(83,350)	(78,256)
		(2,209)	**2,885**
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090	15,090
(b) Other Long-Term Liabilities	05	23,877	24,093
(c) Long-Term Provisions	06	5,027	4,854
		43,994	**44,037**
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	07	-	-
(b) Trade Payables	08	2,219	2,049
(c) Other Current Liabilities	09	6,399	6,525
(d) Short-Term Provisions	10	1,946	2,123
		10,564	**10,697**
Total		**52,349**	**57,619**
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible Assets	11	12,317	12,697
(ii) Capital Work-In-Progress	12	5,809	5,812
(iii) Intangible Assets under development	13	0	-
(b) Non-Current Investments	14	228	228
(c) Long-Term Loans and Advances	15	3,444	3,253
(d) Other Non-Current Assets	16	39	39
(e) Unamortised Expenses	17	2,020	2,026
		23,857	**24,055**
Current Assets			
(a) Current Investments	18	-	-
(b) Inventories	19	14,309	13,540
(c) Trade Receivables	20	1,692	1,180
(d) Cash and Bank Balances	21	9,133	14,898
(e) Short-Term Loans and Advances	22	2,976	3,271
(f) Other Current Assets	23	382	675
		28,492	**33,564**
	Total	**52,349**	**57,619**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.500062N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
Membership No.014290

Sd/-
(B V N Prasad)
Chairman & Managing Director

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Finance)/ CFO

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Manoj Kumar Patra)
AGM (Finance)

Date: 07.12.2020
Place: New Delhi

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹in lakh)

PARTICULARS	NOTE NO.	YEAR ENDED MARCH 31, 2020	YEAR ENDED MARCH 31, 2019
Revenue			
Revenue from Operations			
(a) Sale of Products (Includes clinker)		24,762	27,666
(b) Other Operating Revenues		171	117
Net from Operations		**24,933**	**27,783**
Other Income	**24**	4,902	7,056
Total Revenue		**29,835**	**34,839**
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	**25**	4,793	4,029
(b) Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	**26**	(440)	429
(c) Employee Benefits Expense	**27**	5,490	6,070
(d) Other Expenses	**28**	23,045	24,553
(e) Finance Costs	**29**	-	-
(f) Depreciation and Amortisation Expense	**30**	720	635
Total Expenses		**33,608**	**35,716**
Profit / (Loss) before Exceptional Items		(3,773)	(877)
Exceptional Items Income / (Expense)	**31A**	(1,321)	1,512
Profit / (Loss) before Tax		(5,094)	635
Tax Expense on Continuing operations		-	-
Profit / (Loss) from Continuing operations		(4,567)	(1,312)
Profit / (Loss) from Discontinuing operations	**31C**	(527)	1,947
Tax expense of Discontinuing operations		-	-
Profit / (Loss) from Discontinuing operations (After Tax)		(527)	1,947
Profit / (Loss) for the year		**(5,094)**	**635**
Earnings per Equity Share (in Rs.)			
(Par Value of Rs.1000/- per Equity Share)			
Basic		**(83)**	**(19)**
Diluted		**(83)**	**(19)**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34
The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss
This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
Membership No.014290

Date: 07.12.2020
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(B V N Prasad)
Chairman & Managing Director

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Finance)/ CFO

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Manoj Kumar Patra)
AGM (Finance)

Cash Flow Statement for the Year ended 31st March 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
		Year ended Mar 31, 2020	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2020	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2020	Year ended Mar 31, 2019
A.	**Cash flow from Operating Activities:**						
	Net profit/(loss) before Tax	(4,567)	(1,312)	(527)	1,947	(5,094)	635
	Adjusted for:						-
	Depreciation and amortisation expenses	645	610	121	110	766	720
	Finance Cost	-	-	-	-	-	-
	Interest and Other Income	(3,081)	(3,422)	(1,628)	(1,203)	(4,709)	(4,625)
	Profit on disposal of Fixed Assets	(14)	-	(11)	-	(25)	-
	Profit on sale of Investment	-	-	-	-	-	-
	Provisions no longer required written back	(167)	(1,878)	(1)	(553)	(168)	(2,431)
	Provision for doubtful receivables	13	-	-	-	13	-
	Unamortised Expenses written off	181	323	-	-	181	323
	Exceptional (Income)/Expense	-	(1,118)	1,321	(394)	1,321	(1,512)
	Operating profit before working capital changes	**(6,990)**	**(6,797)**	**(725)**	**(93)**	**(7,715)**	**(6,890)**
	Changes in Working Capital:						
	Increase / (Decrease) in Trade Payables	52	36	118	4	170	40
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities	(365)	3,381	191	(103)	(174)	3,278
	Increase / (Decrease) in Provisions	(120)	(3,319)	117	(195)	(3)	(3,514)
	Decrease / (Increase) in Trade Receivables	(108)	258	(417)	(261)	(525)	(3)
	Decrease / (Increase) in Inventories	(779)	405	10	10	(769)	415
	Decrease / (Increase) in Loans and Advances	135	(52)	(30)	890	105	838
	Decrease / (Increase) in Other Assets	293	112	-	-	293	112
	Unamortised Expenses incurred	(175)	(418)	-	-	(175)	(418)
	Net cash from / (used in) Operating Activities	**(8,057)**	**(6,394)**	**(736)**	**252**	**(8,793)**	**(6,142)**
B.	**Cash flow from Investing Activities:**						
	Purchase of Fixed Assets	(160)	(3,047)	(239)	(44)	(399)	(3,091)
	Interest and Other Income	3,081	3,422	1,629	1,203	4,710	4,625
	Capital work-in-progress	(39)	2,297	42	8	3	2,305
	Receipts on sale of Fixed Assets	22	-	13	-	35	-
	Net cash from Investing Activities	**2,904**	**2,672**	**1,445**	**1,167**	**4,349**	**3,839**
C.	**Cash flow from Financing Activities:**						
	Proceeds from Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
	Repayment of Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
	Proceeds from Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
	Repayment of Short-Term Borrowings	-	(625)	-	-	-	(625)
	Funds transferred to other units	-	-	-	-	-	-
	Grant received from Govt. of India	-	-	-	-	-	-
	Interest and Other Borrowing Cost paid	-	-	(1,321)	-	(1,321)	-
	Fund transferred between units	(648)	1,395	648	(1,395)	-	-
	Net cash from financing activities	**(648)**	**770**	**(673)**	**(1,395)**	**(1,321)**	**(625)**
	Net Increase / (Decrease) in Cash & Bank Balances	**(5,801)**	**(2,952)**	**36**	**24**	**(5,765)**	**(2,928)**
	Opening Cash and Bank Balances	14,868	17,820	30	6	14,898	17,826
	Closing Cash and Bank Balances	**9,067**	**14,868**	**66**	**30**	**9,133**	**14,898**

(₹ in Lakh)

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended Mar 31, 2020	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2020	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2020	Year ended Mar 31, 2019
Notes :						
1 Closing Cash and Bank Balances comprises:						
Cash	2	1	0	0	2	1
Cheques in hand	-	2	-	-	-	2
Balance with Banks:						
- On Current Accounts	623	632	66	30	689	662
- On Deposit Accounts	8,442	14,233	-	-	8,442	14,233
Total	**9,067**	**14,868**	**66**	**30**	**9,133**	**14,898**

2 The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

3 Bank Deposits include deposits of Rs 1674 lakh (Previous Year: Rs 938 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

4 Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.

5 Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
Membership No.014290

Date: 07.12.2020
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(B V N Prasad)
Chairman & Managing Director

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Finance)/ CFO

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Manoj Kumar Patra)
AGM (Finance)

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above Cash Flow Statement of Cement Corporation Of India Limited derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31, 2020 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached

For Sushil Jeetpuria & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.500062N

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
Membership No.014290

Date: 07.12.2020
Place: New Delhi

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

(i) Liquidated damages/penalties/claims, other than Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.

(ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

01.02 Revenue Recognition

(i) Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax.

(ii) Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.

01.03 Land & Amortisation

(i) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.

(ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.04 Investments

(i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.

(ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.05 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

01.06 Inventories

a) Valuation

(i) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (ii) below, are stated at weighted average cost. The obsolete/ unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.

(ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.

(iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.

(iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles

Tools and tackles are written off over a period of three years.

01.07 Depreciation

(i) The financial statements have prepared under historical cost convention on accrual basis in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013.

(ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on Fixed Assets is calculated on straight line basis based on the useful life of assets in accordance with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of assets except as mentioned in (iv) below.

(iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.

(iv) Any individual asset whose written down value

is Rs.5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.

(v) Any individual asset costing upto Rs.5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

01.08 Deferred Revenue Expenditure

(i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.

(ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.

(iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.

(iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.

(v) In case there is no unutilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.09 Prior Period / Extraordinary Adjustments

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than Rs. 10,000/-. In case, the amount is more than Rs. 10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of Current year / Prior period / Extraordinary Expenditure / Income.

01.10 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

01.11 Government Grants/ Subsidies

(i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.

(ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.

(iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.

(iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

01.12 Claims of the Corporation

(i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events

of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.

ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.13 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.14 Staff Benefits

(i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

01.15 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.16 Prepaid Expenses

Expenditure of Rs. 10,000/- or less in each case incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.17 Accounting for Bad & Doubtful Recievables/ Loans / Advances etc

(i) Provision is made for doubtful Recievables/ Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.

(ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.18 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

(i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.

(ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.

(iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

(iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.19 Classification of Expenditure

(i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares, except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss.

(ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.

(iii) Salaries and Wages: Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

(iv) Other Sundry Expenses: Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.20 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.21 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
02	**Share Capital**		
	Authorised		
	50,00,000 (31 March 2019: 50,00,000) Equity Shares, Rs.1000/- par value per share	50,000	50,000
	40,00,000 (31 March 2019: 40,00,000) Preference Shares Rs.1000/- par value per share	40,000	40,000
	Total	**90,000**	**90,000**
	Issued, Subscribed and Paid-Up		
	45,59,749 (31 March 2019: 45,59,749) Equity Shares, Rs.1000/- par value per share fully paid	45,598	45,598
	35,54,325 (31 March 2019: 35,54,325) Preference Shares Rs.1000/- par value per share fully paid	35,543	35,543
	Total	**81,141**	**81,141**

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and Preference Shares having par value of Rs.1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

Equity Shares	March 31, 2020		March 31, 2019	
	Number of Shares	Amount	Number of Shares	Amount
Balance as at the beginning of the year	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	Number of Shares	Amount	Number of Shares	Amount
Balance as at the beginning of the year	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

Name of the Share Holder	March 31, 2020		March 31, 2019	
	Number of Shares	% of Shareholding	Number of Shares	% of Shareholding
Equity Shares:				
Government of India	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	3,554,325	100%	3,554,325	100%

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in lakh)

	PARTICULARS		As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
03	**Reserves & Surplus**			
	Capital Reserve			
	Balance as at the beginning of the year		-	45
	Add: Receipts/(Utilised) during the year		-	45
		(A)	**-**	**-**
	Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss			
	Balance as at the beginning of the year		(78,256)	(78,891)
	Add: Net Profit / (Loss) for the year		(5,094)	635
		(B)	**(83,350)**	**(78,256)**
	Balance as at the end of the year	**(A+B)**	**(83,350)**	**(78,256)**
04	**Long Term Borrowings**			
	Unsecured:*			
	Govt. Loans		15,090	15,090
	Inter Corporate Borrowing		0	0
	Total		**15,090**	**15,090**
05	**Other Long Term Liabilities**			
	Trade Payable			
	- MSMEs		79	80
	- Others		2,454	2,481
	Security & Earnest Money Received		2,189	2,270
	Advance from Customers		421	620
	GST/Sales Tax payable		207	209
	Power dues payable		1,059	1,059
	Royalty payable		252	252
	Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan		12,385	12,385
	Other Payables		4,831	4,737
	Total		**23,877**	**24,093**

(₹ in lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
06	**Long Term Provisions**		
	Provision for Employee benefits:		
	- Gratuity	2,669	2,652
	- Earned Leave	1,494	1,392
	Provision for Capital Work in Progress	11	11
	Other Provisions	853	799
	Total	**5,027**	**4,854**
07	**Short Term Borrowings**		
	From Banks	-	-
	Total	**-**	**-**
08	**Trade Payables**		
	Trade Payables- MSMEs	245	45
	Trade Payables- Others	1,974	2,004
	Deposits	-	-
	Total	**2,219**	**2,049**
09	**Other Current Liabilities**		
	Advance from customers	1,165	1,558
	Security & Earnest Money Received	1,368	1,285
	GST/Sales Tax Payable	1,121	1,083
	Power Dues Payable	787	1,018
	Dues to Employees	825	570
	Royalty payable	18	41
	Other Payables	1,115	970
	Total	**6,399**	**6,525**
10	**Short Term Provisions**		
	Provision for Employee benefits:		
	- Gratuity	593	730
	- Earned Leave	274	309
	Other Provisions	1,070	1,073
	Bonus	9	11
	Total	**1,946**	**2,123**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

11. Tangible Assets

(₹ in Lakh)

PARTICULARS	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
	As at April 01, 2019	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2020	As at April 01, 2019	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2020	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a) +(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
A) Works										
1 Land Freehold	1,338	-	-	1,338	146	-	-	146	1,192	1,192
2 Land Leasehold	162	239	-	401	158	12	-	170	231	4
3 Roads & Culverts	904	-	-	904	612	40	-	652	252	292
4 Plant Buildings	8,087	-	-	8,087	7,588	71	-	7,659	428	499
5 Non-Plant Buildings	856	-	14	842	609	8	14	603	239	247
6 Water Supply, Drainage & Sewerage	1,081	-	-	1,081	941	2	-	943	138	140
7 Railway Siding	3,295	-	-	3,295	1,660	102	-	1,762	1,533	1,635
8 Electrical Installation	1,850	11	-	1,861	1,768	1	-	1,769	92	82
9 Plant & Machinery	47,113	37	-	47,150	39,548	476	-	40,024	7,126	7,565
10 Aerial Ropeway	706	-	-	706	672	-	-	672	34	34
11 Railway Rolling Stock	423	-	-	423	406	-	-	406	17	17
12 Quarry Equipment	2,519	1	198	2,322	2,383	5	188	2,200	122	136
13 Vehicles	427	-	17	410	403	1	16	388	22	24
14 Furniture & Fixture	265	-	-	265	250	3	-	253	12	15
15 Office Equipments	494	7	-	501	452	7	-	459	42	42
16 Miscellaneous Equipments	911	99	1	1,009	796	15	1	810	199	115
17 Plant & Mach. costing upto Rs.5000	55	3	-	58	55	3	-	58	-	-
Total Works	**70,486**	**397**	**230**	**70,653**	**58,447**	**746**	**219**	**58,974**	**11,679**	**12,039**

PARTICULARS	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
	As at April 01, 2019	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2020	As at April 01, 2019	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2020	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a) +(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
B) Township										
1 Land Freehold	15	-	-	15	-	-	-	-	15	15
2 Land Leasehold	32	-	-	32	0	-	-	0	32	32
3 Roads & Culverts	39	-	-	39	37	-	-	37	2	2
4 Residential & welfare buildings	1,751	-	-	1,751	1,187	19	-	1,206	545	564
5 Water Supply, Drainage & Sewerage	185	-	-	185	152	1	-	153	32	33
6 Electrical Installation	42	-	-	42	40	-	-	40	2	2
7 Vehicles	122	-	-	122	116	-	-	116	6	6
8 Furniture & Fixture	19	-	-	19	17	-	-	17	2	2
9 Office Equipments	4	-	-	4	4	-	-	4	0	0
10 Miscellaneous Equipments	20	-	-	20	18	-	-	18	2	2
Total Township	**2,229**	**-**	**-**	**2,229**	**1,571**	**20**	**-**	**1,591**	**638**	**658**
Total works & Township	**72,715**	**397**	**230**	**72,882**	**60,018**	**766**	**219**	**60,565**	**12,317**	**12,697**
Previous year	**69,716**	**2,999**	**-**	**72,715**	**59,298**	**720**	**0**	**60,018**	**12,697**	

(₹ in lakh)

		As at 31 March 2019	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2020
12	**Capital Work-in-Progress (Tangible)**				
	Mechanical consultancy	133	-	1	132
	Civil Engineering Works	2,019	4	-	2,023
	Plant & Machinery including awaiting erection	3,790	9	42	3,757
	Erection Expenses of Plant & Machinery	1	-	-	1
	Incidental Expenditure Pending Allocation*	136	0	-	136
	Capital Stores	9	-	-	9
	Others	160	27	-	187
	Sub Total	**6,248**	**40**	**43**	**6,245**
	Provision	436	-	-	436
	Total	**5,812**	**40**	**43**	**5,809**
*	**Incidental Expenditure Pending Allocation***				
	Employee Remuneration & Benefits				
	Salaries, Wages & Allowances	-			-
	Total	**-**			**-**
	Power	0			1
	Miscellaneous Expenses	1			1
	Legal Expenses	4			4
	Security Expenses	23			20
	Depreciation	0			0
	Total	**28**			**26**
	Transferred	28			26
	Addition during the year	-			-
	Total	**0**			**0**
13	**Capital Work-in-Progress (Intangible)**				
	Software Development	2	0	-	2
	Total	**2**	**0**	**-**	**2**
	Provision	2	-	-	2
	Total	**-**	**0**	**-**	**0**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	Market Value as on 31-03-2020	Book Value as on 31-03-2020	Market Value As on 31-03-2019	Book Value as on 31-03-2019
14	**Non Current Investments**				
A	**Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted**				
i)	31 Equity Shares of Rs.10/- each of Andhra Cement Co. Ltd. Market Value Rs.1.60 per share on NSE (Previous Year: Rs.5.15 per Share)	#	#	#	#
ii)	280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of Rs. 10/- each of ACC Ltd. (1) Market Value @Rs.968.50 per share on NSE (Previous Year: Rs.1666.30 per Share)	3	#	5	#
	Sub Total		**#**		**#**
B	**Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted**				
i)	1 Equity Share of Rs.10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (2)		#		#
ii)	79 Equity Share of Rs.10/- each of Jaipur Udyog Ltd.		#		#
iii)	40 Equity Share of Rs.5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.		#		#
iv)	5531520 Equity Share of Rs.10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 2315520 Bonus Shares		322	-	322
	[16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares]		94		94
	Balance held 39,20,840 Shares of Rs.10/- each (including 21,81,520 Bonus Shares)		228		228
	Sub Total		**228**		**228**
	Total		**228**		**228**
	Aggregate of Quoted Investments				
	Cost		#		#
	Market Value	3		5	
	Aggregate of Un-quoted Investments				
	Cost		228		228
	Total		**228**		**228**

(1) Converted from 28 Shares of Rs.100 each. New Share Certificates awaited.
(2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.
Amount is less than Rs.1 lakh

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
15	**Long-term Loans and Advances**		
a)	**Capital Advances**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	207	207
	Doubtful	19	19
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	19	19
	Sub Total	**207**	**207**
b)	**Deposits: Central Excise**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	8	8
	Doubtful	0	0
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	0	0
	Sub Total	**8**	**8**
c)	**Deposits: Others**		
	Secured, Considered Good	158	158
	Unsecured, Considered Good	1,405	1,393
	Doubtful	54	54
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	54	54
	Sub Total	**1,563**	**1,551**
d)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	0
	Unsecured, Considered Good	29	22
	Doubtful	471	471
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	471	471
	Sub Total	**29**	**22**
e)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	119	119
	Unsecured, Considered Good	170	183
	Doubtful	151	151
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	151	151
	Sub Total	**289**	**302**
f)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	8	5
	Doubtful	134	134
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	134	134
	Sub Total	**8**	**5**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
g)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	3	3
	Unsecured, Considered Good	1	1
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**4**	**4**
h)	**Claims Recoverable- Railways**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	13	13
	Doubtful	406	406
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	406	406
	Sub Total	**13**	**13**
i)	**Excise Duty Relief Recoverable**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	28	28
	Doubtful	80	80
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	80	80
	Sub Total	**28**	**28**
j)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	0	0
	Unsecured, Considered Good	0	0
	Doubtful	8	8
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	8	8
	Sub Total	**0**	**0**
k)	**Recoverable from Outside Parties**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	1,295	1,113
	Doubtful	674	674
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	674	674
	Sub Total	**1,295**	**1,113**
l)	**Shortage, Losses Pending Investigation**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	590	590
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	590	590
	Sub Total	-	-
	Total	**3,444**	**3,253**

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
16	**Other Non-Current Assets**		
	Long- Term Trade Receivables:		
	Secured- Considered Good	-	-
	Unsecured- Considered Good	-	-
	Doubtful	1,515	1,501
	Less: Allowances for doubtful receivables	1,515	1,501
	Sub Total	**-**	**-**
	Interest accrued & due on Loans & Advances		
	Secured- Considered Good	1	1
	Unsecured- Considered Good	38	38
	Doubtful	0	0
	Less: Allowances for doubtful receivables	0	0
	Sub Total	39	39
	Total	**39**	**39**
17	**Unamortised Expenses**		
	Quarry Development Expenditure		
	Opening for the year	2,026	1,931
	Additions	175	418
		2,201	**2,349**
	Less: Capitalised/Adjusted	181	323
	Total	**2,020**	**2,026**
18	**Current Investments**		
	Non Trade Investments	-	-
	Total	**-**	**-**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
19	**Inventories (As verified, valued and certified by the Managament)**				
a)	***Stores and Spares:***				
	In stock	6,375		6,414	
	In transit	56	6,431	101	6,515
b)	***Work in Progress:***				
	In stock	4,104		4,122	
	In transit	-	4,104	-	4,122
c)	***Finished Goods:***				
	In stock	659		274	
	In transit	2	661	7	281
d)	***Raw Materials:***				
	In stock	1,188		1,012	
	In transit	0	1,188	8	1,020
e)	***Loose Tools:***				
	In stock	1		1	
	In transit	-	1	-	1
f)	***Packing Materials:***				
	In stock	93		87	
	In transit	-	93	-	87
g)	***Coal:***				
	In stock	1,476		1,237	
	In transit	-	1,476	-	1,237
h)	***Scrap:***				
	In stock	366		288	
	In transit	-	366	-	288
	Sub total		**14,320**		**13,551**
	Less: Provision for Unrealisable inventory		11		11
	Total		**14,309**		**13,540**

	PARTICULARS	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
20	**Trade Receivables**				
	Outstanding for a period exceeding six months				
	Secured, Considered Good	0		-	
	Unsecured, Considered Good	840		465	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	840	-	465
	Others				
	Secured, Considered Good	160		194	
	Unsecured, Considered Good	692		521	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	852	-	715
	Total		**1,692**		**1,180**

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
21	**Cash & Bank Balances**		
	Cash in hand	2	1
	Cheques in hand	-	2
	Balance with Bank in current account	689	662
	Bank deposits		
	- Not under lien	5,817	12,076
	- Under lien	2,625	2,157
	Total	**9,133**	**14,898**

Note:

Bank Deposits include deposits of Rs. 1674 lakh (Previous Year: Rs. 938 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
22	**Short-term Loans and Advances**		
a)	**Capital Advances**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**-**	**-**
b)	**Deposits: Central Excise**		
	Secured, Considered Good	22	74
	Unsecured, Considered Good	18	18
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**40**	**92**
c)	**Deposits: Others**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	460	541
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**460**	**541**
d)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	333	640
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**333**	**640**
e)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	288	272
	Unsecured, Considered Good	1,227	828
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**1,515**	**1,100**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
f)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	7	6
	Unsecured, Considered Good	87	53
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**94**	**59**
g)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	8	8
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**8**	**8**
h)	**Claims Recoverable- Railways**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**-**	**-**
i)	**Excise Duty Relief Recoverable**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	52	52
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**52**	**52**
j)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	9	24
	Unsecured, Considered Good	9	14
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**18**	**38**
k)	**Recoverable from Outside Parties**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	456	741
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**456**	**741**
l)	**Shortage, Losses Pending Investigation**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**-**	**-**
	Total	**2,976**	**3,271**
23	**Other Current Assets**		
	Interest Accrued on Term Deposits	382	675
	Total	**382**	**675**

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS		As at March 31, 2020		As at March 31, 2019
24	**Other Income**				
	Refund under budgetary support		262		439
	Rent from Property		3,483		2,779
	Interest on:				
	- Fixed deposits with banks		812		1,071
	- Others		47		53
	Receipts from Township		40		46
	Excess Provision written back		168		2,431
	Miscellaneous Income		65		237
	Profit on sale of discarded Assets		25		-
	Total		**4,902**		**7,056**
25	**Cost of Raw Materials Consumed**				
	Opening Balance	1,012		884	
	Acquisition during the year:				
	Limestone Raising, Quarrying & Transportation (1)	2,790		3,256	
	Other Raw Materials Purchased	2,179		901	
	Adjustment of Raw material	0	5,981	-	5,041
	Less:				
	Closing Stock		1,188		1,012
	Raw Materials Consumed		**4,793**		**4,029**
(1)	**Limestone Raising, Quarrying & Transportation**				
	Limestone Raising & Payment to Contractors		592		874
	Employees Remuneration & Benefits				
	Salaries, Wages and Bonus	371		423	
	Gratuity paid	103		79	
	Benefits to Employees	0		0	
	Contribution to Provident Fund	23		27	
	Contribution to Pension Fund	7		8	
	Leave Encashment	32		26	
	Medical Expenses	5		7	
	Provision for Gratuity	2		-	
	Provision for Earned Leave	4	547	-	570
	Stores Consumed				
	Gross Amount	183		218	
	Less: Amount included under Repairs	22	161	31	187
	Power	72		66	
	Fuel	85		84	
	Rates and Taxes	21		24	
	Payment to Contract Labour	342		349	

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS		As at March 31, 2020		As at March 31, 2019
	Royalty and Cess	871		1,088	
	Quarry Development Expenditure written off	181		323	
	Travelling Expenses	4		4	
	Other Expenses	22		60	
	Depreciation	45	1,643	14	2,012
	Repairs				
	- Machinery	18		20	
	- Others	4	22	11	31
	Sub Total		**2,965**		**3,674**
	Less: Quarry Dev. Exp.		175		418
	Total		**2,790**		**3,256**
26	**Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade**				
	Semi Finished Goods				
	- Opening Stock	4,122		3,641	
	- Closing Stock	4,104	18	4,122	(481)
	Finished Goods				
	- Opening Stock	274		1,109	
	- Closing Stock	659	(385)	274	835
	Finished Goods in transit				
	- Opening Stock	7		88	
	- Closing Stock	2	5	7	81
	Scrap Stock				
	- Opening Stock	288		282	
	- Closing Stock	366	(78)	288	(6)
	Total		**(440)**		**429**
27	**Employee Benefits Expenses**				
	Salary, Wages and Bonus		3,670		4,005
	Gratuity Paid		528		749
	Benefits to Employees		6		9
	Leave Encashment		326		408
	Contribution to Provident Fund		290		292
	Contribution to Pension Fund		60		70
	Medical Expenses		207		240
	Provision for Earned Leave		74		1
	Provision for Gratuity		60		43
	Staff Welfare Expenses		269		253
	Sub Total		**5,490**		**6,070**
	Less: Employee Benefits Expenses transferred to IEDC		0		0
	Total		**5,490**		**6,070**

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
28	**Other Expenses**				
	Power	5,566		5,975	
	Coal	7,455		8,551	
	Fuel Oil	3		7	
	Rent	33		20	
	Rates & Taxes	121		100	
	Insurance	23	13,201	22	14,675
	Repairs & Maintenance				
	- Plant & Machinery	1,534		1,472	
	- Buildings	165		161	
	- Others	225	1,924	276	1,909
	Other Production Expenses		1,266		795
	Tools & Tackles Written off		0		0
	Travelling Expenses		102		127
	Selling Expenses				
	- Freight on Cement	1,785		2,400	
	- Handling Charges	134		132	
	- Godown Charges	86		91	
	- Sales Promotion & Publicity	27		23	
	- Other Selling Expenses	7	2,039	1	2,647
	Vehicle Running Expenses		28		35
	Auditors' Remuneration				
	- For Audit Fee	8		8	
	- For Reimbursement of Expenses	2		0	
	- In Other Capacity	2	12	4	12
	Cost Auditors' Remuneration				
	- For Audit Fee	1		1	
	- For Reimbursement of Expenses	0	1	0	1
	Subscription to CRI & Others		9		11
	Communication Expenses		21		28
	Printing & Stationery		19		29
	Hire Charges for Data Processing		11		3
	Legal & Professional Expenses		196		200
	Security Expeneses		703		689
	Interest on deposits from Stockists/Others		147		116
	Training of Workers & Supervisors		1		3
	Miscellaneous Expenses (1)		565		423
	Payment to Contract Labour		1,250		1,291
	Expenses on closed project		26		28
	Provision for doubtful receivables & advances		13		0
	Prior period Expenses (Net) [Refer Note No.31B]		5		84
	Corporate Social Responsibiity		44		3
	Consumption of Stores & Spare Parts:				
	- Gross Amount	1,885		1,756	
	- Less: Includes under Repair & Maintenance	1,206	679	1,227	529
	Packing Materials		809		943
	Sub Total		**23,071**		**24,581**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS		As at March 31, 2020		As at March 31, 2019
	Less: Power expenses transferred to IEDC		1		0
	Less: Legal and Professional expenses transferred to IEDC		4		4
	Less: Security expenses transferred to IEDC		20		23
	Less: Miscellaneous expenses transferred to IEDC		1		1
	Total		**23,045**		**24,553**
(1)	Includes:				
	- Entertainment Expenses		0		0
	- Director Sitting Fees		0		1
29	**Finance Cost**				
	Other Borrowing Cost				
	- Others		-		-
	Total		**-**		**-**
30	**Depreciation and Amortisation Expense**				
	Depreciation/ Amortisation of tangible assets		766		720
	Less: Allocated to Quarry Development		45		14
	Less: Amount charged to Prior Period		1		71
	Sub Total		**720**		**635**
	Less: Depreciation transferred to IEDC		0		0
	Total		**720**		**635**
31	**Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years**				
31A	**Exceptional Items**				
	Income:				
	Waiver of Interest etc.		-		1,512
	Profit on sale of Assets		-		-
	Sub total		**-**		**1,512**
	Expenses:				
	Interest on Mining Lease Rent		1,321		-
	Sub total		**1,321**		**-**
	Net Exceptional Items income/(Expenses)		(1,321)		1,512
31B	**Prior Period Items**				
	Income:				
	Interest	36		-	
	Others	14	50	3	3
	Total		**50**		**3**
	Expenses:				
	Repairs & Maintenance	-		3	
	Stores & Packing Materials	-		1	
	Employee Remuneration & Benefits	-		0	
	Rates & Taxes	6		4	
	Royality	9		-	
	Bonus	-		1	
	Depreciation	1		71	
	Others	39	55	7	87
	Net Prior Period Income / (Expense)		**(5)**		**(84)**

31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
		Year eneded March 31, 2020	Year eneded March 31, 2019	Year eneded March 31, 2020	Year eneded March 31, 2019	Year eneded March 31, 2020	Year eneded March 31, 2019
A	**Revenue:**						
	Turnover (Net)	24,762	27,666	-	-	24,762	27,666
	Other Operating Revenue	110	117	61	-	171	117
	Accretion/Decretion to Semi-Finished Goods & Finished Goods	442	(429)	(2)	-	440	(429)
	Total	**25,314**	**27,354**	**59**	**-**	**25,373**	**27,354**
B	**Expenses:**						
	Operating Expenses	33,143	35,084	905	203	34,048	35,287
	Total	**33,143**	**35,084**	**905**	**203**	**34,048**	**35,287**
C	**Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities**	**(7,829)**	**(7,730)**	**(846)**	**(203)**	**(8,675)**	**(7,933)**
	Interest Expenses	-	-	-	-	-	-
D	**Profit/(Loss) Before Tax**	**(7,829)**	**(7,730)**	**(846)**	**(203)**	**(8,675)**	**(7,933)**
	Income Tax	-	-	-	-	-	-
E	**Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax**	**(7,829)**	**(7,730)**	**(846)**	**(203)**	**(8,675)**	**(7,933)**
	Other Income	3,262	5,300	1,640	1,756	4,902	7,056
F	Exceptional Items-Income/(Expenses)	-	1,118	(1,321)	394	(1,321)	1,512
G	**Net Profit / (Loss) from Operating Activities**	**(4,567)**	**(1,312)**	**(527)**	**1,947**	**(5,094)**	**635**

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
32	**Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)**		
A)	**Contingent Liabilities**		
(i)	Claims against the company not acknowledged as debts		
a)	Income Tax Demand	9	32
b)	Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	814	814
c)	Bokajan Expansion Contract	12,648	11,200
d)	Arbitration Matter	751	751
e)	Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,152	1,152
f)	Power wheeling charges etc. in respect of Units	17,637	14,386
g)	Others- Miscellaneous Cases	6,452	9,456
(ii)	Other money for which company is contingently liable	-	-
	Sub Total	**39,463**	**37,791**
B)	**Commitments**		
a)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	270	11,640
	Sub Total	**270**	**11,640**
	Total (A+B)	**39,733**	**49,431**

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
33	**Quantitative Details**				
1	**Actual Production**				
	Portland Cement				
	- Ordinary	446,947	M Tonnes	526,057	M Tonnes
	- Pozzolana	137,637	M Tonnes	108,265	M Tonnes
		584,584	M Tonnes	**634,322**	M Tonnes
2	**Clinker**	492,960	M Tonnes	603,890	M Tonnes
	(A pre cement stage material & not an additional product)				
	Clinker purchased	34,282	M Tonnes	-	M Tonnes
3	**Cement Despatches**	576,953	M Tonnes	650,537	M Tonnes
		Quantity in M. Tonnes	**Value In Rs. Lakh**	**Quantity in M. Tonnes**	**Value In Rs. Lakh**
4	**Opening Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	2,300	99	16,784	617
	- Cement PPC	1,803	70	3,533	140
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	2,238	98	9,200	352
	- Cement PPC	-	-	-	-
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	160	7	2,787	88
	- Cement PPC	-	-	-	-
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	5,089	7	4,888	-
	- Cement PPC	3,016	-	3,016	-
	Sub Total	**14,606**	**281**	**40,208**	**1,197**
b)	Clinker	160,235	3,258	161,324	3,169
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**160,235**	**3,258**	**161,324**	**3,169**
5	**Net Sales including self consumption/ Transfer etc.**				
i)	Cement OPC	476,594	19,776	549,695	22,675
ii)	Cement PPC	97,265	4,964	109,988	4,655
iii)	Cement used for testing	1	-	0	-
iv)	Cement shortage during transit	68	-	40	-
v)	Self Consumption OPC	22	1	193	11
vi)	Self Consumption PPC	-	-	8	0
		573,950	**24,741**	**659,924**	**27,341**
v)	Clinker	517	21	11,646	325

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Lakh)

	PARTICULARS		As at March 31, 2020		As at March 31, 2019
6	**Closing Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	9,786	334	2,300	99
	- Cement PPC	1,947	93	1,803	70
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	4,208	205	2,238	98
	- Cement PPC	-	-	-	-
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	30	2	160	7
	- Cement PPC	-	-	-	-
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	6,253	27	5,089	7
	- Cement PPC	3,016	-	3,016	-
	Sub Total	**25,240**	**661**	**14,606**	**281**
b)	Clinker	140,598	2,945	160,235	3,258
	Clinker (Purchase)	1	0	-	-
	Sub Total	**140,599**	**2,945**	**160,235**	**3,258**
7	**Others**				
i)	Clinker shortages during transit	-	-	-	-
ii)	Cement Sold as Scrap	-	-	-	-
iii)	Clinker Sold as Scrap	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
8	**Clinker used for Cement Grinding**	546,361	18,660	593,333	19,730
9	**Raw Materials Consumed**				
i)	Limestone	722,767	2,786	881,561	2,974
ii)	Laterite	2,054	10	3,739	17
iii)	Iron Ore	10,445	369	16,667	491
iv)	Gypsum	12,363	260	11,108	260
v)	Shale	19,219	48	33,344	104
vi)	Fly Ash	29,474	276	26,941	152
vii)	Burnt Clay	169	1	329	2
viii)	Others	22,499	80	22,539	29
ix)	Clinker (Purchase)	34,281	963	0	0
	Total		**4,793**		**4,029**
10	**Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:**				
i)	Raw Materials	-	-	-	-
ii)	Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii)	Capital Goods	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
11	**Directly Imported and indigenously available Raw mateirals, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :**				
	Directly Imported	1%	35	1%	47
	Indigenously Available	99%	6,643	99%	5,738
		100%	**6,678**	100%	**5,785**

34 Notes Forming Part of Financial Statements

34.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for Rs. 1,04,455 lakh (Previous year Rs. 1,04,461 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award / decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

34.02 i) Under section 143(3), Income Tax Department, for the Assessment Years 2006-07 and 2007-08, assessed income of Rs.88,501 lakh and Rs.8,799 lakh respectively and adjusted the same with brought forward losses. As a result, the assessed losses of the company reduced to Rs.97,300 lakh. The company had filed appeals and Appellate Authority had reverted back the case to Assessing Officer. Consequently, the Assessing officer recomputed the Total Income to Rs.8,852 lakh due to the addition w.r.t disallowance of depreciation on Plant and Machinery of Non Operating Units. Hence, the assessed loss of the company now stands reduced by Rs.54 lakh making the cummulative carried forward loss to Rs.97,353 lakh. The company has filed an appeal against the disallowance of Rs.54 lakh and the same is pending with Appellate Authorities.

ii) The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited , Bangalore (Contractor) in the year 2010 for Rs. 18208 lakh. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. CCI also lodged counter claim for loss/ damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work including Silchar for Rs. 92,900 lakh against the contractors claim of Rs.12,648 lakh. Work Order issued to the party has been cancelled. As per terms of contract, Arbitrator has been appointed and arbitration proceedings has started. Further, necessary action has been initated for completing the project on risk and cost basis.

34.03 Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. DHI has given the direction for disinvestment of Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11-04-2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. DHI Vide letter in 2018 directed CCI to negotiate with SDMC for compensation in terms of money. The matter was also discussed in a meeting dated 16.05.2019 in NITI Ayog. Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railways sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI.

34.04 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03-12-2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

34.05 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration not made in the accounts.

34.06 The shares of various Companies (Face Value of Rs. 37.79 lakh), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of Rs. 214.00 lakh taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at Rs.2.80 lakh (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.

34.07 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of Rs. 266.58 lakh excluding Electrical Installation of Rs. 5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner. However, the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.

34.08 A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25-04-96. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8-8-96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. After closure of Hon'ble BIFR, the sale of non-operating unit is undertaken through DHI as per DIPAM guidlines. As per direction, sale of non-operating units is required to be taken place in two phases for which Assets Valuer, Transaction Advisor and Legal Advisor have been appointed. PIM (Preliminary Information Memorandum) for five units has been prepared. Expession of Interest for Nayagaon Unit has been published. Hence, the assets and liabilities of Nayagaon Expansion (1 million tonne plant), to the extent identified as direclty related to operation, has been transfrerred to Nayagaon Cement Factory with effect from 01-04-2019. Similarly, the liabilities of Nayagaon Cement Factory, other than as mentioned earlier, has been transferred to Nayagaon Expansion (1 million tonne plant).

34.09 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.

(ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to Rs.15,090 lakh (Previous year: Rs. 15,090 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03-05-2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of Rs. 12,385 lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The Company is in default in towards repayment to this extant. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.10 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chatisgarh	06 June 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	14 August 1996
iii)	Akaltara	Chatisgarh	09 December 1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	30 June 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	01 November 1998
vi)	Adilabad	Telengana	05 November 1998
vii) a	Delhi Grinding Unit	Delhi	08 February 1999
vii) b	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 and sanctioned scheme circulated on 03-05-2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

34.11 The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.

34.12 During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of Rs. 35,543 lakh was issued on 22-03-2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet / BIFR direction.

34.13 Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.

34.14 For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

34.15 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Acounting Standard-17 is not applicable.

34.16 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

(₹ in Lakh)

Particulars	Opening Balance		Adjustment/ Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current year	Previous year	**Current year**	Previous year	**Current year**	Previous year	**Current year**	Previous year
Gratuity	**3382**	3890	**199**	551	**79**	43	**3262**	3382
Bonus	**11**	11	**3**	3	**1**	3	**9**	11
Capital work-in-progress	**11**	11	**-**	-	**-**	-	**11**	11
E.L. Liability	**1701**	1918	**11**	220	**78**	3	**1768**	1701
Others	**1872**	4661	**394**	3836	**445**	1047	**1923**	1872

34.17 Details of interest due / paid to Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)

(₹in lakh)

S.No	Description	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	**324**	125
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	**353**	339
3	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	**14**	14
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	**353**	339

34.18 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) **Provident Fund**

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) **Gratuity**

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) **Leave Encashment**

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) **Other Defined Retirement Benefits**

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the statement of Profit and Loss and Balance Sheet are as under:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹in lakh)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31-03-20	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19
a)	Current Service Cost	**150.01**	143.37	**128.29**	115.26	**0.79**	0.77
b)	Interest Cost	**248.09**	290.80	**127.93**	146.59	**1.29**	1.52
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	**113.15**	(156.71)	**157.73**	(80.78)	**0.11**	(0.72)
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	**511.25**	277.46	**413.95**	181.07	**2.19**	1.57

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹in lakh)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31-03-20	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19
a)	Present value of obligation as at the end of the period	**3148.62**	3268.71	**1754.04**	1685.53	**15.88**	17.04
b)	Funded status/Difference	**(3,148.62)**	(3,268.71)	**(1,754.04)**	(1,685.53)	**(15.88)**	(17.04)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	**(3,148.62)**	(3,268.71)	**(1,754.04)**	(1,685.53)	**(15.88)**	(17.04)

C. Change in present value obligation

(₹in lakh)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31-03-20	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	**3268.70**	3776.74	**1685.54**	1903.77	**17.04**	19.74
b)	Interest Cost	**248.09**	290.81	**127.93**	146.59	**1.29**	1.52
c)	Current Service Cost	**150.01**	143.37	**128.29**	115.26	**0.79**	0.77
d)	Benefits Paid	**(631.33)**	(785.50)	**(345.45)**	(399.31)	**(3.35)**	(4.27)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	**113.15**	(156.71)	**157.73**	(80.78)	**0.11**	(0.72)
f)	Present value of obligation as at the end of the year	**3148.62**	3268.71	**1754.04**	1685.53	**15.88**	17.04

D. Amount for the current period

(₹in lakh)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encahsment		Other defined retirement benefits	
		31-03-20	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19	**31-03-20**	31-03-19
a)	Present value of obligation as at the end of the year	**3148.62**	3268.71	**1754.04**	1685.53	**15.88**	17.04
b)	Surplus/(Deficit)	**(3,148.62)**	(3,268.71)	**(1,754.04)**	(1,685.53)	**(15.88)**	(17.04)

E. Actuarial Assumptions

S.No.	Description	As at 31 March 2020
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: - % age Upto 30 years - 0% From 31 to 44 years - 1% Above 44 years - 1%
iii)	Discounting rate	6.69 %
iv)	Future salary increase	6.00%
v)	Expected return on plan assets	Nil

34.19 Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.20 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 28.

(₹in lakh)

Sl.	Particulars	Year Ended 31-03-2020	Year Ended 31-03-2019
i)	Average net profit of Corporation for last three years	2222	3794
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	44	76
iii)	Total amount spent during the year as given below	44	3
iv)	Amount unspent (ii - iii)	0	73

Details of the amount spent during the year

(₹in lakh)

Sl.	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above						
	i) Water Pump at School	-	0	-	-	-	0
	ii) Rennovation of School At Hidippi	-	3	-	-	-	3
	iii) PM CARES and State Govt. Funds	44	-	-	-	44	-
	Total	**44**	**3**	-	-	**44**	**3**

34.21 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹in lakh)

Sl.	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2020	Year Ended 31-03-2019
1.	Sh. B V N Prasad *	Chairman & Managing Director	35	31
2.	Sh. S.Sakthimani	Director (Fin)/ CFO	32	28
3.	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	16	15
4	Sh. Manoj Misra #	Ex-Chairman & Managing Director	0	32

*** Director (HR) upto 29/12/2019 and appointed as C&MD from 30/12/2019**
 # Retired on 30/09/2018

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1000 kms. per month on payment of Rs.2000/- per month.

34.22 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under:

(₹in lakh)

Sl.	Particulars	Year Ended 31.03.2020	Year Ended 31.03.2019
a)	Net Profit after tax for the year (Rs. Lakh)	(5,094)	635
b)	Less: Extraordinary/Exceptional items (Rs. Lakh)	(1,321)	1512
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (Rs. Lakh)	4	4
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (Rs. Lakh)	(3,777)	(881)
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	4559749	4559749
f)	Face Value of Equity Share (Rs.)	1000	1000
g)	Basic Earnings Per Share (Rs.)	(83)	(19)
h)	Diluted Earnings Per Share (Rs.)	(83)	(19)

34.23 Figures of the previous years have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For Sushil Jeet Puria & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.500062N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Lov Bhatia)
Partner
Membership No.014290

Sd/-
B V N Prasad
Chairman & Managing Director

Sd/-
S. Sakthimani
Director (Finance)/ CFO

Date: 07.12.2020
Place: New Delhi

Sd/-
Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

Sd/-
Manoj Kumar Patra
AGM (Finance)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली– 110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI- 110 002

संख्या: एएमजी-III/2(48)/वार्षिक खाते/CCI/(2019-20)/2020-21/285
दिनाँक:05/02/2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
कोर-5 स्कोप काम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित की जा रही है। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाये।

भवदीय,

C. Nedunchezhian

(सी. नेडून्चेलियन)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाश / Phone:- +91-11-23702357,फैक्स / Fax:+91-11-23702359, E-mail:pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2020

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 20l3 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 29.01.2021 which supersedes their earlier Audit Reports dated 07.12.2020 and 20.01.2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the Statutory Auditor's report, to give effect to five of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(C. Nedunchezhian)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)

Place: New Delhi
Date:05/02/2021

Our Employees-Our Greatest Assets

Employees are the heartbeat of the Company.

CCI has a dedicated team of more than 500 employees all over India, who toil round the clock for better productivity for the Company. CCI has adopted progressive policies in scientific planning, acquisition, utilization, training and motivation of the team. At CCI, everybody matters; every person adds something or the other to the Company's success.

Our Employees are the backbone of our organization. CCI believes that investment in people improves the performance of the organization and developing staff is one of the most effective motivator for retaining them.

CCI feels that there is always an economic link between employee satisfaction and company financial performance. A happy workplace culture does translate into better stock returns.

Happy employees = Happy Customers = Happy Stakeholders

HR policies at CCI revolve around the basic tenet of creating a highly motivated, vibrant & self-driven team. The Company cares for each and every employee and has in-built systems to recognise and reward them periodically. Since, CCI believes in equality, women employees are encouraged to apply and various workshops are organized for the employees including programme on gender sensitization and gender equality.

"Human Resources" are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of "Human Resources" is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resource is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between 'Actual' and 'potential' "Human resources" may also be branded as "Mother Resources" through the medium of which other scare resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realization of the Potentialities of this "Mother Resources" is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management's positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed profession wise and age wise 57.53% of the total employees' strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 52.07% of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. The broad distribution of CCI's human force is as under:

Professional Profile			
Sl. No.	**PARTICULARS**	**No. of employees**	
		As on 31.3.2020	As on 31.3.2019
1	PHDs	**1**	1
2	Post Graduate Engineers	**1**	1
3	Graduate Engineers	**81**	78
4	MBAs	**29**	26
5	Professional Diploma Holders	**16**	16
6	Post Graduate	**29**	24
7	CA/ICWA/SAS/ACS	**11**	12
8	Engineer Diploma Holders	**52**	58
9	Graduate	**70**	79
10	ITI Certificate Holders	**92**	109
11	Others	**122**	149
	Total	**504**	**553**

The age wise and category-wise distribution of employees as on 31.3.2020 is given below :

	YEARS							
Row Labels	**<30**	**30-35**	**36-41**	**42-47**	**48-53**	**54-60**	**Grand Total**	**Average Age**
EXE.	3	36	26	12	21	53	151	46
SUP.	13	18	9	1	11	82	134	49
WORKER	8	44	38	7	34	88	219	47
Grand Total	**24**	**98**	**73**	**20**	**66**	**223**	**504**	**47**

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01/01/2020 and number of appointments made during the preceding calendar year, as furnished to the Government, is given below:

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.					No. of appointments made during the calender year									
	(AS ON 01/01/2020)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
Groups	**Total No. of Employees**	**SCs**	**STs**	**OBCs**	**Total**	**SCs**	**STs**	**OBCs**	**Total**	**SCs**	**STs**	**Total**	**SCs**	**STs**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
Group A-TOT	148	18	2	27	14	2	0	3	18	3	0	0	0	0
Group B-TOT	138	15	8	29	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0
Group C-TOT	207	30	16	26	0	0	0	0	15	1	6	0	0	0
GROUP D-TOT	21	14	15	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	514	77	41	113	14	2	0	3	54	6	6	0	0	0

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED																		
Manpower strength of Physically Challanged employeess as on 01/01/2020																		
Group-wise manpower strength of Physically Challanged employees as on 01/01/2020																		
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)							PROMOTION						
	(AS ON 01/01/2020)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	**148**	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	**138**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	**207**	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Group D	**21**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**514**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)																		
ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)																		
iii) OH stands for orthopacdically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)																		

Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2019-20	**2018-19**	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**3.80**	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(91)**	(37)	1,08

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2019-20	**2018-19**	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**1,98**	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(105)**	7	(2,17)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in diffcult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighbouring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from1st April, 1977.

	2019-20	**2018-19**	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**1,98**	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	**0.87**	0.84	1.12
Value of Production (₹ in lakhs)	**4808**	4761	56.39
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(1475)**	(10,92)	(6,86)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transpoted by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2019-20	**2018-19**	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**2.48**	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	**0.98**	1.44	1.35
Value of Production (₹ in lakhs)	**6020**	58,72	74,67
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(7,76)**	(9,65)	2,21

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2019-20	2018-19	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**4.00**	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(10,61)**	44	15.00

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2019-20	2018-19	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**5.00**	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(5,55)**	433	231

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2019-20	2018-19	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**4.00**	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**15,00**	11,74	2,92

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2019-20	2018-19	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**-**	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(20)**	37	(278)

The production remained suspended due to unit being unviable.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from Apri, 1984

	2019-20	2018-19	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**4.00**	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	**-**	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	**-**	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**(1,96)**	2,88	2,38

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2019-20	2018-19	2017-18
Installed capacity (in lakh tonnes)	**10.00**	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	**4.00**	4.07	5.06
Value of Production (₹ in lakhs)	**14376**	1,66,04	2,00,07
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**-23,16**	7,46	20,92

56वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का भाषण	98
निदेशक की रिपोर्ट	100
सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	114
निगमित शासन पर रिपोर्ट	129
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	136
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	139
वार्षिक लेखे 2019–20	150
कैश फ्लो विवरणी	152
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	185
हमारे कर्मचारी–हमारी महानतम परिसंपत्तियां	187
यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं	189

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

56वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के निदेशक मंडल की और से, कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक में आपकी गरिमामयी उपस्थिति कंपनी के प्रयासों में आपके समर्थन और रुचि को रेखांकित करती है; मैं आप सभी का आभारी हूँ।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। आपकी अनुमति से, मैं यह मानना चाहूँगा कि उसे पढ़ लिया गया है।

निष्पादन के मुख्य बिंदु

वर्ष 2019–20 का कुल राजस्व पिछले वर्ष के 348.39 करोड़ रुपए की तुलना में 298.35 करोड़ रुपए रहा है। पिछले वर्ष के निवल लाभ 6.35 करोड़ रुपए की तुलना में, निगम को वर्ष 2019–20 में 50.94 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ है। पिछले वर्ष के 6.34 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष का सीमेंट उत्पादन 5.85 लाख मीट्रिक टन रहा है।

गुणवत्ता प्रबंधन

सीसीआई में गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आपकी कंपनी के पास आईएसओ प्रमाणन के साथ–साथ तांदूर,

राजबन और बोकाजन के तीनों परिचालन संयंत्रों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली भी है। कर्मचारियों में गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता जगाने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र सीमेंट निर्माण उपक्रम होने पर बेहद गर्व है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी ने 50 वर्षों से बाजार में अपनी साख बनाई है, उत्पादों और संतुष्ट ग्राहकों, दोनों के मामले में असंख्य प्रगतिशील संशोधनों को एकीकृत करके यह खगोलीय रूप से विकसित हुई है।

निगम का सामाजिक दायित्व

बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर, 2016 को आयोजित अपनी 332वीं बैठक में सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया था। इस नीति को निगम में कार्यान्वित किया गया है।

निगम का प्रशासन

कंपनी का विश्वास है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यापार व्यवहार निगम प्रशासन के मानदंडों का पालन करने की कुंजी है। आपकी कंपनी इसे आगे बढ़ाने में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे अतीव खुशी हो रही है कि कंपनी द्वारा जारी 10 लाख रुपए से अधिक की किसी भी निविदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत की निगरानी और समाधान के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किया गया है। मैं आपका ध्यान निदेशकों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें निगम प्रशासन शीर्षक के अंतर्गत एक अलग अनुभाग शामिल है।

स्वीकृति

आपका निरंतर समर्थन और विश्वास हमें उत्कृष्टता के नए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपको और भारत सरकार को, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग को, हमारे सभी कार्यों में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं सीसीआई के उत्पादों का निरंतर समर्थन करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के अपने सम्मानित ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकरों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक और सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–प्प और अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अपार समर्थन के लिए उनका आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और उन्नति में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

आप सभी का पुनः धन्यवाद, जय हिंद।

हस्ताक्षर
(बी. वी. एन प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मार्च 2021

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,

मुझे, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के साथ आपकी कंपनी का 56वीं वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2019–20 के लिए	वर्ष 2018–19 के लिए
1	परिचालनों से कुल योग	249.33	277.83
2	अन्य आय (असामान्य आय सहित)	35.81	85.68
3	पीबीडीआईटी	–43.74	13.55
4	घटाएं: वित्तीय लागत	0.00	0.00
5	मूल्यह्रास से पहले लाभ	–43.74	13.55
6	घटाएं: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7.20	7.20
7	मूल्यह्रास और ब्याज के बाद लाभ	–50.94	6.35
8	घटाएँ: कर संबंधी व्यय	0.00	0.00
9	कर पश्चात् निवल लाभ	–50.94	6.35

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल राजस्व 298.35 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 348.39 करोड़ रुपए था।

निगम को पिछले वर्ष के 6.35 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2019–20 में 50.94 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ है।

पिछले वर्ष के 6.34 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 5.85 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

1. लाभांश

कंपनी को घाटा हुआ है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

2. व्यापार संचालन और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा

आपके निदेशक वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए व्यवसायिक परिचालन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं:–

क. संचालन

इकाइयों का निष्पादन –

1) अलग–अलग और सामूहिक रूप से परिचालन इकाइयों की क्षमता का उपयोग सीमेंट (%), क्लिंकर उत्पादन (मे.टन), सीमेंट उत्पादन (मे.टन) और सीमेंट का प्रेषण (मे.टन) निम्नानुसार है –

	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
वर्ष	19–20	18–19	19–20	18–19	19–20	18–19	19–20	18–19
क्षमता सीमेंट का उपयोग (%)	**44.00**	42.20	**39.30**	58.00	**40.00**	40.70	**40.40**	43.90
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	**74670**	84985	**100730**	99100	**317560**	419805	**492960**	603890
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	**87024**	83570	**97450**	143750	**400110**	407002	**584584**	634322
प्रेषण (मीट्रिक टन)	**86782**	86697	**97731**	148641	**392440**	415197	**576953**	650534

गैर– प्रचालित ईकाइयां

कंपनी की निम्नलिखित परिचालन न करने वाली इकाइयों में सीमेंट संयंत्र बिना किसी संचालन के बंद रहेः

1. **मंधार,** रायपुर जिला, छत्तीसगढ़।
2. **कुर्कुंटा,** कलबुर्गी जिला, कर्नाटक।
3. **नयागांव,** नीमच जिला, मध्य प्रदेश।
4. **अकालतारा,** जांजगीर–चांपा जिला, छत्तीसगढ़।
5. **चरखी दादरी,** चरखी दादरी जिला, हरियाणा।
6. **आदिलाबाद,** आदिलाबाद जिला।
7. **दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट** – दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट की जमीन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सौंप दी गई है।

परिचालन नहीं करने वाली इकाइयों की बिक्री की स्थितिः–

कंपनी की निम्नलिखित इकाइयाँ बंद रहेंगीः–

1. मंधार, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़;
2. कुर्कुंटा, कलबुर्गी जिला, कर्नाटक;
3. नयागांव, नीमच जिला, मध्य प्रदेश;
4. अकालतारा, जांजगीर चांपा जिला, छत्तीसगढ़;
5. चरखी दादरी, चरखी दादरी जिला, हरियाणा; और
6. आदिलाबाद, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार, परिचालन न करनेवाली इकाइयों अर्थात मंधार, कुरकुंटा, नयागांव, अकालतारा, चरखी दादरी और दिल्ली की ग्राइंडिंग इकाइयों को 31.10.2008 से बंद कर दिया गया है। दिनांक 20.02.2017 के आदेश से आदिलाबाद इकाई भी 1.4.2015 से बंद है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, निम्नलिखित इकाइयों के लिए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया शुरू की गई हैः –

1. **नयागांव** – 02.03.2019 को समाचार पत्रों में इकाई की बिक्री के लिए आशय की अभिव्यक्ति प्रकाशित की गई है।
2. **कुरकुंटा** – कुरकुंटा खनन पट्टों का विस्तार। अक्तूबर, 2020 में कुरकुंटा सीमेंट फैक्ट्री के सभी अर्थात् तीनों खनन पट्टों के लिए पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई थी और आगे की प्रक्रिया के लिए केएसपीसीबी द्वारा रिपोर्ट को एमओईएफ, नई दिल्ली भी भेजा गया है, जहां वह सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना

स्वीकृत योजना के अनुसार, बोकाजन इकाई की स्थापित क्षमता को 1200 टीपीडी क्लिंकर तक बढ़ाया जाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बोकाजन में सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता में वृद्धि और 50 टीपीएच क्षमता के साथ सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

18 महीने की अनुबंध अवधि के साथ 142.40 करोड़ की कुल लागत पर टर्नकी आधार पर बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री की क्षमता का 1200 टीपीडी तक विस्तार करने के लिए मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीईआईएल), बैंगलोर को कार्य आदेश प्रदान किया गया था।

पीईआईएल ने परियोजना का काम जून 2011 में शुरू किया था। काम की गति धीमी थी। पार्टी ने मई 2014 में एलसी न खुलने और भुगतान में देरी जैसे विभिन्न कारण बताते हुए काम बंद कर दिया।

पार्टी द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए पार्टी के साथ चर्चा के बाद, पार्टी को परियोजना पूरी करने में सक्षम करने के लिए दिसंबर 2017 में 15 महीने के समय के साथ, विस्तारण जारी किया गया था। पार्टी ने मूल्य वृद्धि के लिए मध्यस्थता खंड लागू किया। परियोजना का काम दोबारा शुरू करने के बाद पार्टी ने फिर से काम छोड़ दिया। मध्यस्थता कार्यवाही के समय काम जारी रखने में पार्टी की विफलता को देखते हुए, सीसीआई ने 06.03.2019 को कार्य आदेश रद्द कर दिया।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थता की कार्यवाही जारी है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट

मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर को टर्नकी आधार पर 39.68 रुपए की कुल लागत पर 50 टीपीएच की सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना का कार्यादेश भी प्रदान किया गया था। ठेकेदार द्वारा परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की जा सकी।

चूंकि बोकाजन विस्तार कार्य और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों अनुबंध मैसर्स प्रोमैक इंजीनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए हैं, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में दोनों कार्यों के लिए "मध्यस्थता" की कार्यवाही चल रही है।

ग) तांदूर में तकनीकी उन्नयन

क) स्वीकृत योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार, तांदूर में कुल 34 तकनीकी उन्नयन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का काम आरंभ किया गया है। अब तक तेईस (23) योजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, अन्य 11 योजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

ख) भारतीय रेलवे द्वारा डिपोजिटरी कार्य योजना के अंतर्गत तांदूर प्लांट में रेलवे साइडिंग का उन्नयन किया जा रहा है अर्थात 13.11.2017 से, जिसका कार्य प्रगति पर है लगभग 8.3 कि.मी. ट्रैक रेल नवीनीकरण कार्य पूरा किया गया है, शेष 1.7 कि.मी. ट्रैक रेल का कार्य 31.05.2021 तक पूरा हो जाएगा।

ख. लाभप्रदता

पिछले वर्ष के 6.35 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2019–20 में कंपनी को 50.94 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

ग. बिक्री

वित्तीय वर्ष 18–19 बनाम 19–20 के लिए समग्र रूप से सीसीआई की बिक्री

सुर्खियां और आउटलुक

– बिक्री– वित्तीय वर्ष 19–20 में सीमेंट की कुल बिक्री 5.74 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 18–19 में 6. 59 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की बिक्री हुई थी। बोकाजन इकाई ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिक्री में मामूली वृद्धि दर्ज की।

– तांदूर और राजबन दोनों इकाइयों ने अगस्त–दिसंबर 19 की अवधि के बीच प्रमुख रखरखाव और ब्रेकडाउन किया जिससे आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि जुलाई 19 तक अर्थात ब्रेकडाउन से पहले सीमेंट की बिक्री जुलाई 18 तक 1.75 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2.43 लाख मीट्रिक टन थी। उद्योग वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में दक्षिणी बाजारों में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी चरण से गुज़रा, जिससे निगम की टॉपलाइन और बॉटम दोनों प्रभावित हुए। लाइन। मार्च 20 को कोविड 19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण सीमेंट की बिक्री और प्रेषण दोनों को रोक दिया गया था। उल्लेखनीय है कि जनवरी–मार्च तिमाही सीमेंट उद्योग के लिए पीक डिमांड पीरियड है।

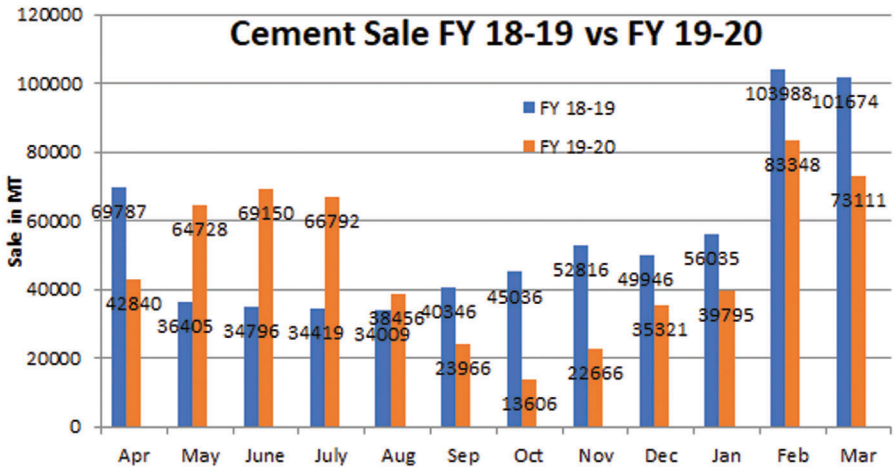

उद्योग की मुख्य विशेषताएं और आउटलुक

– भारतीय सीमेंट उद्योग की स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता 545 मिलियन टन है जबकि वास्तविक उत्पादन 329 मिलियन टन है। भारत की वैश्विक सीमेंट उत्पादन स्थापित क्षमता का 8% हिस्सा है। भारतीय सीमेंट उद्योग ने वित्तीय वर्ष 18–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 19–20 में 0.8% की गिरावट दर्ज की। भारतीय सीमेंट उद्योग में 210 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं, जिनमें से 77 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में स्थित हैं, ये संयंत्र दक्षिण भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बनाते हैं। बड़े संयंत्रों की वार्षिक स्थापित क्षमता 410 मिलियन टन है। हालांकि भारत की मध्यम अवधि की विकास की मजबूत संभावनाएं हैं। दीर्घकालिक सीमेंट मांग वृद्धि दर के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से 1.2 गुना अधिक होने का अनुमान है। अगले 10 वर्षों में भारत के पूर्वी राज्यों के सीमेंट कंपनियों की निचली पंक्ति में योगदान करने की संभावना है।

– भारत दुनिया भर में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यह उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।. सभी के लिए आवास, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के साथ सरकार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से आवास क्षेत्र सहित देश में सीमेंट की मांग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने अपने बुनियादी ढांचे में शहरी कायाकल्प मिशन अमृत और 98 स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 139 अरब रुपए आवंटित किए हैं। 2019–20 के बजट में, भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को उन्नत करने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2020–21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 27,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

– भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और अगले 10–15 वर्षों में डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिकी और सुधारों के आधार पर इसके दुनिया की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होने की आशा है।

विपणन और उसका पर्यावरण–

– अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दक्षिणी बाजार, पहले तंदुरुनीत में उत्पादन बाधाओं से प्रभावित हुए और फिर तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण वर्ष की दूसरी छमाही में कीमतों में गिरावट आई। फरवरी से मार्च 20 के बीच कीमतों में सुधार हुआ है।

– सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने बोकाजन संयंत्र से पर्यावरण के अनुकूल फ्लाईएश आधारित पोर्टलैंड पॉज़ोलोना सीमेंट भी लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इकाई की बॉटमलाइन को ऊपर उठाए जाने की संभावना है। इसी प्रकार तांदूर इकाई में भी पोर्टलैंड पॉजोलोना सीमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ङ. गुणवत्ता

➢ सीसीआई की तीनों परिचालन इकाइयों में गुणवत्ता पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कंपनी की निजी सुसज्जित प्रयोगशालाओं में कच्चे माल के चरण से उत्पाद चरण तक नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण गतिविधियों को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, पूर्ण भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए सीमेंट के नमूनों का एनटीएच, एनसीबी आदि जैसी प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

➢ बोकाजन – आईएसओ – 9001: 2015 और आईएसओ – 14001: 2015

➢ राजबन – आईएसओ – 9001: 2015

➢ तांदूर – आईएसओ – 9001: 2015 और आईएसओ – 50001: 2018

च. टैली ईआरपी का कार्यान्वयन और कंपनी की वेबसाइट के लिंक

टैली ईआरपी 9 का कार्यान्वयनः–

- परिचालन इकियों, विपणन कार्यालय और निगम कार्यालय में टैली ईआरपी 9 के मॉड्यूल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- टैली ईआरपी 9 के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए टैली सर्वर–9 तैनात किया गया है।
- निगम कार्यालय में लैन और लीज लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है।

कंपनी की वेबसाइट के लिंकः–

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.cciltd.in है, जिसमें कंपनी की सीएसआर, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ, वित्तीय परिणाम, मार्केटिंग नेटवर्क आदि की वर्तमान नीतियां शामिल हैं।

ई–ऑफिसः–

- सीसीआई में सभी स्वीकृतियों के लिए ई–ऑफिस (फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन अवकाश) लागू किया गया है।

विक्रेता के लिए बिल ट्रैकिंग प्रणालीः–

- विक्रेता के बिल के भुगतान को ट्रैक करने के लिए, बिल ट्रैकिंग प्रणाली लागू किया गया है और इसके लिए सीसीआई वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया गया है।

4. पूंजी संरचना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी रुपए 811.41 करोड़ थी; इसमें 455.98 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और 355.43 करोड़ रुपए के चुकता गैर–संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर शामिल हैं।

मानव संसाधन विभाग

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र सीमेंट विनिर्माण उपक्रम होने पर बेहद गर्व है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है।. कंपनी ने विगत 50 वर्षों से बाजार में अपनी साख बनाई है,

यह उत्पादों और संतुष्ट ग्राहकों दोनों के मामले में असंख्य प्रगतिशील संशोधनों को एकीकृत करके खगोलीय रूप से विकसित हुई है।

हाल ही में, महामारी की स्थिति के कारण देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कंपनी ने सुनिश्चित किया कि वह ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने कर्मचारियों के साथ जुड़ी रहे। सीसीआई ने कुछ पहलों को आरंभ करने के लिए विशेषज्ञों/सलाहकारों, आध्यात्मिक गुरुओं और रचनात्मक वक्ताओं द्वारा ऑनलाइन ज्ञान हस्तांतरण सत्र, प्रस्तुतियों, सत्रों का आयोजन कर इस समय का सदुपयोग किया। उच्च अधिकारियों के पूर्ण सहयोग और कॉर्पोरेट कार्यालय, इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के कारण सभी सत्र अत्यधिक सफल रहे। इस अवधि में विभिन्न प्रबंधन विषयों/प्रौद्योगिकी पर 50 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण/जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

पिछले 4 महीनों में, कंपनी ने एक डिजिटल संगठन बनने के लिए अपना ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म आरंभ किया है, जिससे कागज के उपयोग में कमी आई है। अपनी सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में, सीसीआई ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। साथ ही सीसीआई के सभी कर्मचारियों ने भी एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में दान किया है।

सीसीआई एक प्रगतिशील कंपनी है, जो सीमेंट निर्माण के क्षेत्र में कर्मचारियों के जुड़ाव, प्रशिक्षण और सकारात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है।

कोविड–19 एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है, इसने भारतीय उद्योग में विभिन्न स्तरों पर कई चुनौतियां उत्पन्न की हैं।

हाल में, महामारी की स्थिति के कारण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसे कठिन समय में भी एक ऐसी कंपनी के रूप में उभरी है, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए लगातार और अथक रूप से काम कर रही है।

राष्ट्र ने कोरोनवायरस से संघर्ष जारी रखा, पर कई कंपनियां अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटीं क्योंकि कार्य जारी रखना आवश्यक था। महामारी की शुरुआत के बाद से ही सीसीआई राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा रही है। इस अवधि में सीसीआई ने कई सम्मान प्राप्त किए हैं।

5. पारिश्रमिक नीतिः–

सीसीआई में, अधिकारियों के वेतन और अन्य लाभ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं.1(6)2009–पीई.ग्प् दिनांक 30 अप्रैल 2009 के माध्यम से जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। अंतिम वेतन संशोधन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XVI/08 दिनांक 26 नवंबर, 2008 संख्या 2(70)/08–डीपीई और (डब्ल्यूसी)–जीएल–IV/09 दिनांक 9 फरवरी 2009 और संख्या 2(70)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी)–जीएल–IV/09 दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के अनुसार किया गया था, जो 01/01/2007 से प्रभावी हुआ था। पीआरपी कंपनी के निष्पादन/लाभप्रदता के साथ–साथ व्यक्तिगत निष्पादन रेटिंग पर आधारित है जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप है।

दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 के अंतर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, बोर्ड द्वारा 01.01.2017 से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसई के गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन पर कार्यकारी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और गैर–पर्यवेक्षकों के लिए तीसरे पीआरसी को अनुमोदित कर दिया गया है, पर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

6. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधः

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं इसलिए सीसीआईएल मानव संसाधनों को अत्यधिक महत्व देती है। कंपनी के प्रबंधन में 500 से अधिक कर्मचारी हैं जिनके पास विभिन्न प्रकार के कौशल, योग्यताएं और क्षमताएं हैं। निगम मानव संसाधनों को विकसित करने और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में उनके योगदान से संबंधित अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीसीआईएल मानव दक्षताओं के विकास और अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति अर्थात अपने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

निगम की सभी इकाइयों में पूरे वर्ष शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे। ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न मंचों पर उपयोगी विचार–विमर्श और बातचीत की जा रही है, जिसने निवारण को नियंत्रित करने, मतभेदों को दूर करने और औद्योगिक संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में कोई भी मानव दिवस नष्ट नहीं हुआ है।

7. मानव संसाधन विकासः

एक स्वस्थ कार्य संस्कृति को स्थापित करने तथा उच्च लक्ष्य एवं उत्पादकता प्राप्त करने के साथ–साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधनों के विकास और इष्टतम उपयोग की दिशा में प्रयास पर जोर दिया जा रहा है।

सीसीआई ने कर्मचारियों को अपने घर से प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने की सुविधा उपलब्ध कराने और कंपनी की लागत को कम करने के लिए ई–ऑफिस की शुरुआत की। ई–ऑफिस ने कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ–साथ विभिन्न मामलों में गोपनीयता के पहलू को भी मजबूत किया।

सीसीआई में एक ऑनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे एपीएआर प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित और अधिक कुशल हुई है।

विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के लिए एसओपी की डिजाइन करके सीसीआई एक प्रौद्योगिकी उत्तरदायी कंपनी के रूप में काफी विकसित हुई है, इस प्रकार भौतिक रूप से भर्ती प्रक्रिया की तुलना में कम लागत पर योग्य आशावारों तक पहुंच हो रही है।

आर्थिक कठिनाई के इस समय में फर्म की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सीसीआई के मानव संसाधन पेशेवर सदैव सीसीआई कर्मचारियों की भलाई के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां शुरू कर इस क्षमता का दोहन करने के नए तरीके तलाश रहे हैं।

स्वस्थ कार्यस्थल के निर्माण और टीम की व्यस्तता, एकजुटता और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, सीसीआई के मानव संसाधन विभाग ने 2019–20 में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और इसकी सभी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापना दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा, खेल गतिविधियों, हिंदी पखवाड़ा, योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस आदि जैसे विभिन्न दिवसों का पालन किया गया। इन कार्यक्रमों के कुछ मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:–

8. शिकायत निवारण तंत्रः

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी आंतरिक तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है।

सीसीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाए रखता है और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन मामलों, काम करने की स्थिति, छुट्टी, कार्य असाइनमेंट और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। इकाइयों में मौजूद पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का निवारण अनौपचारिक रूप से किया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

9. महिला कल्याणः

कंपनी महिला कल्याण की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और जागरूक है। निगम की विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी वैधानिक और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं।

महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सीसीआई की इकाइयों में लेडीज क्लब हैं जहाँ महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन क्लबों में कंप्यूटर साक्षरता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल आदि पर व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निगम समय–समय पर महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए संरचनात्मक और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में, ऐसे किसी भी मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है और इसके लिए नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 2019–20 के दौरान, समिति को कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और

निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं मिली है।

10. राजभाषा कार्यान्वयनः

निगम ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक होती है, निगम ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी की। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा 18.02.2020 को कॉर्पोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया गया। सीसीआई अपने कर्मचारियों के साथ–साथ नरकास के सदस्यों के लिए भी हिंदी कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके राजभाषा के उपयोग की सराहना करने और प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है।

11. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी ने अपने सीएसआर दर्शन के एक हिस्से के रूप में सदैव अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिससे व्यवसाय और समाज विकास के भागीदार बन सकें। अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप, इसने गतिविधियों की रूपरेखा बनाई है और अपने संयंत्र स्तर पर विभिन्न पहलें की है।

अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल के एक हिस्से के रूप में, सीसीआई ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। साथ ही सीसीआई के सभी कर्मचारियों ने भी पीएम केयर्स फंड में अपना दिन का वेतन दिया है।

13. "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के अंतर्गत सीसीआई द्वारा की गई पहलः

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में भारत के एकमात्र सीमेंट विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने पर बेहद गर्व है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। सीसीआई ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत में सीमेंट की बाजार मांग की बैठक में सीसीआई को "वैश्विक सीमेंट उद्योग का एक बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा" बनाने की एक दृष्टि और मिशन पर बात की। इस कंपनी ने विगत 50 वर्षों से बाजार में अपनी साख बनाई है, यह उत्पादों और संतुष्ट ग्राहकों और ऐसा करने की योजना दोनों के मामले में असंख्य प्रगतिशील संशोधनों को एकीकृत करके खगोलीय रूप से विकसित हुई है।

14. कोविद–19 का प्रतिकार करने में सीसीआई के प्रयास

कोविद –19 पृथ्वी पर प्रत्येक राष्ट्र के लिए असाधारण चुनौतियां बन गया है जबकि भारत अपने विशाल आकार और अतुलनीय विविधता के कारण एक विशिष्ट जटिल परीक्षण का सामना कर रहा है।

कर्मचारियों और कॉर्पोरेट कार्यालय व इसकी इकाइयों के सक्रिय प्रयास से सीसीआई, अपने कर्मचारियों के बीच कोविद–19 के प्रसार का प्रतिकार करने/नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में लॉकडाउन 1 के शुरू होने पर आशंकित था। इस प्रकार, सीसीआई ने देश में लॉकडाउन प्रभावी होने से पहले ही वायरस का प्रतिकार कर लिया।

i) कर्मचारियों को विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से निर्देश दिए गए कि वे एक–दूसरे से संपर्क से बचते हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करें और एक–दूसरे के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें।

ii) चेहरे पर मास्क/कवर के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।

iii) कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना और उपयोग

iv) साबुन से लगातार हाथ धोने का अभ्यास करना। विशेष रूप से अपनी नाक साफ करने, खांसने या छींकने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अक्सर हाथ धोना।

v) बिना धुले हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।

vi) कार्यालय/इकाई परिसर और प्रवेश द्वारों में हर समय हैंड सैनिटाइजर/साबुन की उपलब्धता।

vii) इकाइयों द्वारा हस्तनिर्मित मास्क का वितरण।

viii) वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठकों का आयोजन।

ix) कार्यालय समय/मध्यान्ह भोजन के समय में परिवर्तन।

x) कार्यालय परिसर की नियमित सफाई

xi) बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए।

xii) श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाए। खांसते या छींकते समय या कोहनी के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग करते समय सदैव मुंह और नाक को टिशू से कवर करना।

xiii) कार्यालय में थूकने पर रोक।

xiv) इस्तेमाल किए गए टिशू को कचरे में फेंकना।

xv) लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित करना।

xvi) बड़े समारोहों पर रोक लगाना।

15. प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विकास के हिस्से के रूप में, कंपनी ने सभी स्तर के कर्मचारियों के कौशल विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए गए। कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण के लिए भी नामित किया है। विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को अपने कार्यात्मक क्षेत्रों में कई सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया जाता है।

सभी परिचालन इकाइयों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की अवधारणा और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, सीसीआईएल परिचालन इकाइयों में पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारियों का योग्यता मानचित्रण भी करता है ताकि कौशल अंतर को पाटा जा सके।

सीसीआई ने लॉकडाउन अवधि के पूरे कार्यकाल में अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सत्र/प्रशिक्षण आयोजित किए हैं, यहां तक कि अपने छुट्टियों पर गए कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की है। इस अवधि में दौरान विभागाध्यक्षों/कर्मचारियों/उद्योग विशेषज्ञों की प्रस्तुतियाँ सीखने की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।

कर्मचारियों के बीच की जाने वाली गतिविधियों/सत्रों और विभिन्न ज्ञान हस्तांतरण बातचीत के आयोजन मुख्य रूप से इकाइयों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हासिल करने पर केंद्रित था।

16. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी संलग्नक में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

17. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के एक भाग के रूप में किया जाता है ।

18. कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट के सामाजिक दायित्व पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने सदैव अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है जिससे व्यवसाय और समाज विकास के भागीदार बन सकते हैं। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा अपने कॉर्पोरेट के सामाजिक दायित्व के अनुरूप बनाई है और विभिन्न पहलें आरंभ की हैं।

19. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां।

- इस वर्ष, सतर्कता विभाग ने संगठन में सभी स्तरों पर कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता उत्पन्न की है और काम के माहौल में ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। 28 अक्तूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक सीवीसी के मार्गदर्शन में "अखंडता – जीवन का एक तरीका" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह कॉर्पोरेट कार्यालय और संचालन इकाइयों ने संगोष्ठियों, वाद–विवाद, कार्यशालाओं, निबंध लेखन/नारा आदि पर प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं। कदाचार खत्म करने के लिए निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया था।
- निगम के सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 28.06.2019 को बोकाजन इकाई में और 09.08.2019 को राजबन इकाई में निवारक सतर्कता और प्रणाली सुधार पर दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- वर्ष 2020 के लिए 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' और 'सहमत सूची' के अधिकारियों की सूची तैयार कर सीवीसी और सीबीआई को भेजी गई।
- ई–खरीद, ई–नीलामी और सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया है। सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार आईईएम की नियुक्ति की गई है।
- सतर्कता मामलों से उत्पन्न कानूनी मामलों में निगम के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में दो शिकायतें प्राप्त हुई और उनका निस्तारण किया गया। निस्तारित शिकायतों की गहनता से जांच की गई और उन्हें तर्कसम्मत अंत तक पहुंचाया गया।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, और अच्छे कॉर्पोरेट के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है।

कंपनी के पास मुख्य रूप से दो प्रकार की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है:

– स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।

– आंतरिक लेखापरीक्षा।

बाहर के आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। समय–समय पर कंपनी की प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी के पास विपणन नियमावली, खरीद और कार्य नियमावली सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत नियमावली इत्यादि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आवृत करने के लिए प्रबंधन द्वारा जारी की गई विभिन्न संहिताओं, नियमावलियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं। प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय–समय पर अन्य सभी नियमावलियों को अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं।

21. ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

22. लेखापरीक्षकों और प्रेक्टिस करनेवाले कंपनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई योग्यताओं, आरक्षणों, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

23. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत परिभाषित अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी।

24. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीतिः

सीसीआई एक सीपीएसई है जहां निदेशकों को देय नियुक्ति, पारिश्रमिक और भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

25. वार्षिक विवरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी के अंश इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

26. समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में बोर्ड की 5 बैठकें आयोजित की हैं।

27. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

28. निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्द्वारा अपने उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करता हैः–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या नुकसान के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव की उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा व्याप्त चिंताओं के आधार पर तैयार किया था; तथा

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

29. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

कंपनी का कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

30. जमा

कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

31. निदेशक

निम्नलिखित निदेशकों को वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक नियुक्त किया गया/नियुक्ति समाप्त हुई।

– श्री बी वी एन प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) ने 30 दिसंबर 2019 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया।

– श्री महेन्द्र गुप्ता, 29 जून, 2019 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नहीं रहे हैं। कंपनी ने कंपनी के साथ उनके सहयोग की अवधि में उनके मार्गदर्शन और योगदान की सराहना की।

32. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

श्री महेन्द्र गुप्ता ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अंतर्गत स्वतंत्रता की घोषणा की है।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को सदैव अक्षरशः लागू करने का प्रयास किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर अधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

34. विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

समय–समय पर विभिन्न पक्ष हमसे निर्यात संबंधी पूछताछ करते रहे हैं। हमारे संयंत्रों के समुद्री बंदरगाहों से दूर के स्थानों पर होने के कारण, संयंत्रों से निकटतम समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय माल भाड़ा अधिक होता है, जिससे हमें नुकसान हुआ है। इसी कारण से हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। निर्यात के मोर्चे पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाया जा सके। हालांकि सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

35. लेखापरीक्षकः

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था; और मेसर्स मतपेली रमेश एंड कंपनी, मेसर्स. एस.के. तनवानी एंड कंपनी, मेसर्स मणिलाल शाह एंड कंपनी, मेसर्स आर कुमार अग्रवाल एंड कंपनी, मेसर्स प्रवीण अग्रवाल एंड कंपनी, मेसर्स गुप्ता मदकारा एंड एसोसिएट्स और मेसर्स सी वेंकट कृष्णा एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था।

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स को निगम का मुख्य लागत लेखापरीक्षक और की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए राजबन इकाई में मेसर्स के सी कोहली एंड कंपनी, लागत लेखाकार के स्थान पर, बोकाजन इकाई में मेसर्स एस ढल एंड कंपनी, लागत लेखाकार और तांदूर इकाई के लिए मेसर्स एन एस वी कृष्णा राव, लागत लेखाकार के स्थान पर, वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:

बोर्ड में आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति की संरचना का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। प्रशासनिक मंत्रालय के पास रिक्त पदों को भरने का अनुरोध भेजा गया था।

36. लेखापरीक्षा समिति के गठन और निगरानी तंत्र के प्रावधान का स्पष्टीकरण

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1) श्रीमती सुकृति लेखी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित), अध्यक्ष

2) श्री बी.वी.एन प्रसाद, निदेशक (एचआर)/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सदस्य

3) श्री ए.एम. मणिचन निदेशक (सरकार द्वारा नामित), सदस्य

कंपनी की सचेतक नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी सीधी पहुंच प्रदान की है, जो कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अधीन कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग पर सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.in पर उपलब्ध है

37. स्वीकृतियाँ

बोर्ड भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से आपके निगम को प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन और रेल मंत्रालय, डीजीएस एंड डी, पीईएसबी, बीआईएफआर, वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के समर्थन और सहयोग को स्वीकार करता है। हम सीसीआई के उत्पादों को निरंतर भारी समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों का आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी के निदेशक मेसर्स सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II के आभारी हैं। निदेशक निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0
(बी.वी.एन. प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 3 मार्च 2021
स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति के वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है।

   सीसीआई की सीएसआर और स्थिरता नीति की परिकल्पना "अधिमानतः परियोजना क्षेत्रों में 44.45 जहां यह काम कर रहा है, समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की एक प्रतिबद्धता के रूप में की गई है"।

   सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियों और गतिविधियों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सुझाई गई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत और संरेखित करती है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को आत्मसात किया जाएगा और इसे सीसीआई की सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, संचालन और लेनदेन में प्रविष्ट करना चाहिए।

   सीएसआर नीति के वेब–लिंक पता है http://cciltd.in/page.php?id=194

2. सीएसआर समिति की संरचना

   बोर्ड स्तर पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

   क.) श्री महेन्द्र गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
   ख.) श्री ए.एम. मणिचन, निदेशक (सरकार द्वारा नामित), सदस्य
   ग.) श्री बी. वी. एन प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभः ₹ 2222 लाख रुपए

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में दी गई राशि का 2%): ₹ 44 लाख रुपए

5. वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर का विवरणः

   क.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशिः ₹ 44 लाख रुपए
   ख.) अव्ययित राशि : ₹ 0 लाख
   ग.) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ लाखों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	परियोजना अथवा कार्यकलाप (1) स्थानीय अथवा अन्य	परियोजना परिव्यय की राशि (बजट)	खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	पीएम केयर फंड	–	44	44	44	प्रत्यक्ष
3.	कुल			44	44	

ह0
(एस. शक्तिमणी)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0
(बी.वी.एन. प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियम 1988 के अंतर्गत विवरण आवश्यक हैं।

1. संसाधन कुशलताः –

तांदूर – एपीजीपीसीएल से बिजली प्राप्त की गई।

राजबन –

i) रेस्को मॉडल के अंतर्गत 1 मेगावाट बिजली सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की स्थापना के अंतर्गत।

ii) एसएडीए (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण त्रिलोकपुर) के साथ आरडीएफ के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

iii) एससीएफ/आरडीएफ के उपयोग के लिए डीयूडी (शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश) के साथ समझौता ज्ञापन प्रक्रियाधीन है।

iv) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश।

क) SOx NOx एनालाइजर – पीओ 149(18)/17 दिनांक 15.05.2019.

ख) एक्यूएमएएस – 137(18)/57 दिनांक 20.07.2019

बोकाजन – उपलब्ध संसाधनों के साथ अक्तूबर 2019 से निरंतर आधार पर पीपीसी उत्पादन।

2. बिजली और कोयले की खपतः–

तांदूर– एससीसीएल, रामागुंडम, जी–8 श्रेणी का कोयला।

राजबन एवं बोकाजनः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

घ पर्यावरण सुधार–

तांदूर – "पल्स जेट बैग फिल्टर" का निर्माण और कमीशनिंग – पल्स जेट फिल्टर के इरेक्शन कमीशनिंग के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य आदेश अगस्त 2020 तक दिए जाने की संभावना है और मार्च 2021 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

राजबन–

i) SOx NOx एनालाइजर – पीओ 149(18)/17 दिनांक 15.05.2019।

ii) एक्यूएमएएस–137(18)/57 दिनांक 20.07.2019.

बोकाजन –

i) दोनों भट्ठों के लिए ईएसपीः – स्टैक से धूल उत्सर्जन mg/Nm3 कम करने के लिए मेसर्स एवाईसीएल (अगस्त/सितंबर 2019) द्वारा प्रमुख ईएसपी मरम्मत की गई थी।

ii) कोल मिल के लिए बैग फिल्टर– स्टैक उत्सर्जन को कम करने के साथ–साथ फाइन कोल सर्किट के फ्यूजिटिव उत्सर्जन को कम करने के लिए बैगों को बदला गया।

ङ. ऊर्जा संरक्षण –

वर्ष 2019–20 में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

बोकाजनः–

1) विभिन्न मोटरों के लिए अंडर लोडेड मोटर को डेल्टा से स्टार में स्थायी रूप से परिवर्तित किया गया।

2) 60 एचपी की जीसीटी पंप मोटर के पारंपरिक मोटर को ऊर्जा कुशल मोटर से बदल दिया गया है।

3) पारंपरिक लैंपों और ट्यूब लाइट फिटिंग को 300 नग एलईडी लैंपों से बदल दिया गया है।

4) प्लांट और कॉलोनी में परंपरागत सीलिंग फैन के स्थान पर 375 नग ऊर्जा दक्ष सीलिंग फैन लगाए गए।

5) अन्य संयंत्र मोटरों को ऊर्जा कुशल मोटरों से बदल दिया गया उदाहरण– सीमेंट मिल वाइब्रेटिंग स्क्रीन (एचपी), किल कूलर मोटर (30 किलोवाट) और सीमेंट मिल ऑयल पंप (5 एचपी) आदि के लिए मोटर।

6) प्लांट, कॉलोनी और खदान में 15 नग सोलर एलईडी स्ट्रीट लैंप लगाए गए।

तांदूरः–

1) संयंत्र और कॉलोनी दोनों में प्रकाश संशोधनः

– 650 नग सिलिंग पंखे – कुल 31 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– 230 नग एलईडी फ्लड लाइट – कुल 46 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– 820 नग लेड ट्यूब एवं स्ट्रीट लाइट– कुल 55.20 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– 300 नग लेड वेल ग्लास– कुल 24.50 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– 20 नग सोलर स्ट्रीट लाइट– कुल 800 किलोवाट बचाई गई।
– 300 नग लेड वेल ग्लास– कुल 24.50 किलोवाट बिजली बचाई गई।

2) संयंत्र में उपकरण संशोधनः

– कोल मिल फैन नंबर–1– कुल 60 किलोवाट बिजली बचाई गई।।
– कोल मिल फैन नंबर– 2 – कुल 55 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– प्री हीटर फैन नंबर–1– कुल 50 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– प्री–हीटर फैन नंबर–2– कुल 64 किलोवाट बिजली बचाई गई।
– मल्टी–चैनल बर्नर मोटर– कुल 17 किलोवाट बिजली बचाई गई।

च. प्रौद्योगिकी अवशोषण

क. राजबनः –

– सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा
– आईई–3 मोटर्स की स्थापना।
– सौर ऊर्जा से उत्पादन लागत बचत रुपए 2.78/यूनिट।
– पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई तकनीक आयात नहीं की गई।
– अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया।

ख. तांदूरः – निम्नलिखित प्रौद्योगिकी का अवशोषणः –

i) सोलर लाइटिंग
ii) एलईडी लाइटिंग
iii) ऊर्जा कुशल पंखे
iv) ऊर्जा कुशल मोटरें
v) वीएफडी ड्राइव्स
vi) "टेबल टॉप एक्स रे एनालाइजर" की स्थापना।

क. कुल ऊर्जा संयोजन और ऊर्जा संयोजन प्रति उत्पादन की इकाई वर्ष 2019–20 के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के लिए

विवरण	बोकाजन	राजबन	तादूर	एक पूरे के रूप में सीसीआई
1. विद्युत				
क) खरीद				
i) यूनिट (केडब्ल्यूएच)	17067000	15202000	48912000	81181000
ii) कुल राशि (₹ लाख में)	1284.83	1057.98	3227.40	5570.21
iii) दर प्रति यूनिट	7.52	6.96	6.59	6.86
ख) स्वयं का उत्पादन				
i) डीजल जनरेटर यूनिट के माध्यम से(केडब्ल्यूएच)	67109.20	3636.00	0.00	70745.20
ii) कुल डीजल खपत लीटर में	30726.00	4274.00	0.00	35000.00
iii) डीजल आयल के प्रति लीटर यूनिट (केडब्ल्यूएच प्रति लीटर)	2.18	0.85	0.00	2.02
iv) प्रति यूनिट लागत (₹ प्रति केडब्ल्यूएच)	27.31	74.02	0.00	29.67
2. कोयला				
i) खपत की गई मात्रा (टन में)	19556.00	25009.00	75928.00	120493.00
ii) कुल लागत (₹ लाख में)	1272.84	1936.98	4245.50	7455.32
iii) औसत दर (₹ प्रति मीट्रिक टन)	6508.71	7745.15	5591.48	6615.11
3. प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत				
i) विद्युत ;टाउनशिप सहित पैक किए गए सीमेंट के प्रति टन केडब्ल्यूएच)	196.67	139.27	131.07	142.20
ii) बुक किया गया कोयला (प्रति किलोग्राम क्लिंकर उत्पादन)	26.18	24.83	23.90	24.44
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) (कि. सेल्सियस प्रति किलोग्राम कोल)	5354.00	4318.00	3918.00	4217.18

उत्पादन के आंकड़े 2019–2020

	क्लिंकर	सीमेंट
बोकाजन	74640	87024
राजबन	100730	97450
तांदूर	317560	400110
कुल	**492930**	**584584**

ख. उत्पादन की प्रति इकाई वर्षवार कुल ऊर्जा खपत और ऊर्जा खपत–

	विवरण	(2019–2020) (केवल ऑपरेटिंग इकाइयां)	(2018–2019) (केवल ऑपरेटिंग इकाइयां)
1.	बिजली		
	क) खरीदा		
	i) इकाइयां (लाख में)	**811.81**	965.94
	ii) कुल राशि (लाख में)	**5570.21**	5960.89
	iii) दर प्रति यूनिट	**6.86**	6.17
	ख) खुद की पीढ़ी		
	i) यूनिट्स (KWH)	**70745.20**	72972
	ii) लीटर में कुल डीजल की खपत	**35000.00**	56633.60
	iii) डीजल तेल की इकाइयां/लीटर (किलोवाट/लीटर)	**2.02**	1.77
	iv) लागत प्रति यूनिट रु./KWH	**29.67**	36.18
2.	कोयला		
	iii) मात्रा. खपत (टन) **कोयला**	**120493.00**	148675
	iv) कुल लागत (रु. लाखों में)	**7455.32**	8591.88
	औसत दर (रु./MT)	**6615.11**	5778.78
	उत्पादन की प्रति यूनिट खपत		
	iii) बिजली (केडब्ल्यूएच/टन पैक्ड सीमेंट टाउनशिप सहित)	**142.20**	147.14
	ii) क्लिंकर/उत्पादन का बुक किया गया कोयला (किग्रा./किग्रा.)	**0.2444**	0.2458
	कोयले की गुणवत्ता (UHV)(K.Cal/किलो कोयला)	**4217.18**	4421.59

अनुबंध–'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के निदेशकों की रिपोर्ट अनुसार करने के लिए परिशिष्ट

टिप्पणियों के प्रबंधन के उत्तरों लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निर्धारित दिनांक 29–01–2021 के तहत यहां दिए गए हैं:–

क्र	अहर्ताएं	प्रबंधन का उत्तर
क	कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और लीज पट्टा का कंपनी के पक्ष में निष्पादन लंबित है और भूमि का विवरण मिलान के अधीन है। इसके अलावा, डीडीए ने स्वतः संज्ञान लेकर दिनांक 11–04–2017 को 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को स्थानांतरित कर दी, भूमि की लागत को बाहरी पार्टी से वसूली योग्य दावा माना गया। रेलवे साइडिंग के लिए आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा 6.74 जो अभी भी कंपनी के पास है। (टिप्पणी–34 का बिंदु संख्या 3 देखें)	टिप्पणी संख्या 34 के प्रासंगिक बिंदु संख्या 03 में स्थिति को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, जो वार्षिक लेखों का हिस्सा है।
ख	सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क के रूप में उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि के संबंध में राजस्व विभाग से हस्तांतरण आदेश से उत्पन्न दायित्व का गैर निर्धारण और परिणामी गैर प्रावधान अभी भी प्रतीक्षित है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 5 देखें)	टिप्पणी संख्या 34 के प्रासंगिक बिंदु संख्या 05 में स्थिति को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, जो वार्षिक लेखों का हिस्सा है।
ग	1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई विसंगतियों के प्रभाव पर समाधान लंबित होने के कारण विचार नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 11 देखें)	टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 11 में स्थिति को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, जो वार्षिक लेखों का हिस्सा है।
घ	कुछ व्यापार प्राप्य ऋणों और अग्रिमों का संतुलन। व्यापार देय, पार्टियों को जमा और अन्य देनदारियां पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। गैर–समाधान से उत्पन्न वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित है (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 19 देखें)	टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 19 में स्थिति को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, जो वार्षिक लेखों का हिस्सा है।
ङ	दिल्ली में कंपनी की सात उत्पादन इकाइयाँ और एक ग्राइंडिंग इकाई है, जहाँ 1996 से 1999 के बीच परिचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई ने उत्पादन शुरू नहीं किया था, जिसके संबंध में टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 10 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रबंधन के विचार के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस–28 के अंतर्गत संपत्ति की हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार मूल्य आम तौर पर संपत्ति के बुक मूल्य से अधिक होता है।	टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 10 में स्थिति को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, जो वार्षिक लेखों का हिस्सा है।
च	कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को भारत सरकार को, 7 (सात) वर्ष के लिए 355.43 करोड़ रुपए मूल्य के प्रत्येक शेयर 1000/– रुपए मूल्य के 3554325 गैर–संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त वरीयता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले भुनाया जाना था, जो कि निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने बताया कि कैबिनेट/बीआईएफआर के निर्देश के अनुसार मंत्रालय से वरीयता शेयर को फिर से जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 12 देखें)	टिप्पणी संख्या 34 में प्रासंगिक बिंदु संख्या 12 में स्थिति को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, जो वार्षिक लेखों का हिस्सा है।
छ	इकाइयों में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स का लिए गए आउटपुट के कॉर्पोरेट/समेकन और इनपुट उपयोगों का मिलान नहीं किया गया है और जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट की गई संबंधित प्रविष्टियों के साथ इसका मिलान नहीं किया जाता है। जीएसटी रिटर्न / रिकॉर्ड के इस अंतर को संतोषजनक समाधान की आवश्यकता है। वित्तीय बहियों के साथ तदनुरूपी समाधान प्राप्त किया जाना है और वित्ती में परिणामी प्रभावों को अद्यतनों के आधार पर शामिल	सभी इकाइयों के पिछले वित्तीय वर्ष तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट समाधान को समायोजित किया गया है।

फॉर्म संख्या एमजीटी– 9
वार्षिक विवरणी का सारांश
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

---

1. पंजीकरण और अन्य विवरणः

i) **सीआईएन** : यू74899डीएल 1965जीओआई004322

ii) **पंजीकरण की तारीख** : 18.01.1965

iii) **कंपनी का नामः**– सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

iv) **कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी** :– विनिर्माण क्षेत्र

v) **पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण** :–
कोर –5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली– 110003

vi) **क्या सूचीबद्ध कंपनी है– हां/नहीं** :– नहीं

vii) **रजिस्टार और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण** :– शून्य

2. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या उससे अधिक का योगदान देते हैं:.

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	सीमेंट	2394	100 %
2	क्लिंकर	2394	

3. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
	शून्य				

4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) **प्रमोटर**									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष /एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) केंद्र सरकार के इक्विटी शेयर प्राथमिकता शेयर	– –	45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%	– –	45,59,749 35,54,325	45,59,749 35,54,325	100% 100%	शून्य
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ड) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (क) (1)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) **विदेशी**									
(क) एनआरआई– व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (क) (2) :	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1)+(क) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) केंद्र/राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
घ) उद्यम पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड.) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड.) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	
च) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	
छ) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	0	0	0	

प्रत्यास्थ परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (ख) (1):	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) व्यक्ति विशेष									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग–ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	
एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (ख) (2):–	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सकल योग (क+ख+ग)	**0**	**81,14,074**	**81,14,074**	**100%**		**81,14,074**	**81,14,074**	**100%**	**शून्य**

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
1.	केंद्र सरकार	81,14,074	100 %	–	81,14,074	100%	–	शून्य
	जोड़	81,14,074	100 %	–	81,14,074	100%	–	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण / बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्नः

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयर धारक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)				

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस /स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

5. कर्जदारी

बकाया /संचित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं राशियों पर ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(रु. लाख में)

	जमा राशियों सहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	–	15090.06	–	15090.06
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	–	12385.26	–	12385.26
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	–	शून्य	–	शून्य
जोड़ (i+ii+iii)		**27475.33**		**27475.33**
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
• वृद्धि	–	–	–	–
• कमी	–	शून्य	–	शून्य
निबल परिवर्तन	–	शून्य	–	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	–	15090.06	–	15090.06
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	–	12385.26	–	12385.26
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	–	शून्य	–	शून्य
जोड़ (i+ii+iii)		**27475.33**		**27475.33**

6. **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना**

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		श्री बी.वी. एन. प्रसाद	श्री शे. शक्तिमणी	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	32.17	29.47	61.64
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	–	–	–
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य		
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य		
4.	कमीशन			
	– लाभ के % के रूप में			
	– अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....	शून्य		

5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	(i) भविष्य निधि में अंशदान (ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2.80 010	2.56 0.21	5.36 0.31
	जोड़ (क)	**35.07**	**32.24**	**67.31**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
			–	–	
	3. **स्वतंत्र निदेशक** ● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	–	–	–	–
	4. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती) ● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	–	–	–	–
	जोड़ (2)	–	–	–	–
	जोड़ (ख)=(1+2)	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय मेहनताना	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग. प्रबध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)/सीएफओ**
		श्री अजय कुमार शर्मा	श्री शे. शक्तिमणी
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	14.80	29ण47

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ			
2.	स्टॉक विकल्प	–		–
3.	स्वेट इक्विटी	–		–
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट कर	–		–
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	(iii) भविष्य निधि में अंशदान (iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.43 0.02		2.56 0.21
	जोड़	16.25		32.24

7. अपराधों के लिए सजा/दंड/समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित की गई सजा/दिए गए दंड/समझौता शुल्क के विवरण	प्राधिकार आरडी/एनसीएल/न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दण्ड			शून्य		
समझौता					
ख. निदेशक					
सजा					
दंड					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
सजा					
समझौता					

सी एस

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकैट ए/3, सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
मोबाइल : 9811387946
ई मेल : balikasharma@gmail.com

फार्म संख्या एमआर–3
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली 2014 के नियम संख्या 9 के अनुक्रम में)

सेवा में सदस्यगण
सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली–110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीआईएन यू74899डीएल1965जीओआई004322 (इसके बाद "कंपनी" कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट के आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी मत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, ई–प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं हैं और अनुपालन–तंत्र इस हद तक, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और अधीन है:

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा तैयार बहियों, कागजात, कार्यवृत लेखों, ई–फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
2) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
3) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;
5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –
   - क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
   - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
   - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

ङ) 2008; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; तथा

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

6) एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 में दिए गए उपरोक्त अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

7) हमने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणाली और तंत्र के लिए किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है।

हमने अनुच्छेद (i) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2015 से अधिसूचित किया गया था, लेकिन हमने अनुच्छेद (ii) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच नहीं की है क्योंकि ये कंपनी पर लागू नहीं हैं (असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते)।

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते, यदि लागू हो;

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर, कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन है।

कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। हालांकि, कंपनी ने पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है और इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।

बोर्ड की बैठकों को तय करने के लिए पर्याप्त पहले सभी निदेशकों को नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो ऊपर बताए गए लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

ह0
(बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स)
कंपनी सचिव
सदस्य संख्या - 4816
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3222
यूडीआईएन नं. एफ004816बी001394644

दिनांक: 04.12.2020
स्थान: नई दिल्ली

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

सी एस

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकैट ए/3, सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
मोबाइल : 9811387946
ई मेल : balikasharma@gmail.com

इस रिपोर्ट को हमारे सम–तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध I के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुबंध I

सेवा में सदस्यगण
सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली–110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाएः

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक मत व्यक्त करना है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की निवलता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर इनका सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की निवलता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4 जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से जानकारी प्राप्त की है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है, न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

7. कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लगाए गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण, अनुपालनों को सत्यापित करने के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों पर निर्भर रहना पड़ा था।

ह0
(बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स)
कंपनी सचिव
सदस्य संख्या - 4816
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3222
यूडीआईएन नं. एफ004816बी001394644

दिनांक: 04.12.2020
स्थानः नई दिल्ली

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. प्रशासन संहिता पर कंपनी का दर्शनः

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन है कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करता है। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले अपने घोषित विश्वास और दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई की प्रथाएँ को सभी हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/ विभाग और बड़े पैमाने पर समाज पर आधारित हैं।

2. निदेशक मंडलः

i. बोर्ड का गठनः

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 निदेशकों से कम और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

ii. बोर्ड की संरचनाः

31 मार्च 2020 तक, सीसीआई के बोर्ड में चार (4) निदेशक शामिल थे, जिनमें से दो कार्यात्मक निदेशक और दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं, जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणियां, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक के साथ–साथ निदेशक और समिति (लेखापरीक्षा समिति) में पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: निदेशकों की श्रेणियाँ और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति के पद

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों की संख्या जिनमें	एजीएम में 26.09.2019 (को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार डायरेक्टर	31.03.2020 की स्थिति के अनु–सार अन्य कंपनियों की समितियों में
कार्यकारी निदेशकः						
1.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	5	5	हां	1	शून्य
3.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	5	5	हां	2	शून्य
सरकारी नामिति निदेशकः						
3.	सुश्री सुकीर्ति लिखि	5	5	लागू नहीं	4	शून्य
4.	श्री ए. एम. मणिचन	5	5	हां	4	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
5.	श्री महेन्द्र गुप्ता (28.06.2019) तक	1	1	हां	1	शून्य

कंपनी ने रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान 30.05.2019, 31.07.2019, 02.08.2019 28.11.2019 और 09.03.2020 को पांच बोर्ड बैठकें आयोजित कीं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावदो बोर्ड बैठकों के बीच में समय का अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

iii. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची के मदों का निर्धारण और चयनः

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उचित पूर्व सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। जब अत्यावश्यक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय की पूर्व सूचना पर बुलाई जाती हैं या अधिनियम या उसके लेखों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के अनुपालन में संचलन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण एजेंडा नोट्स में संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, या विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मदों के कागजात बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्यसूची पत्रों को कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किया जाता है।
- वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर बोर्ड/समितियों की बैठकों में प्रस्तुतियां दी जाती हैं ताकि सदस्यों को जब भी आवश्यक हो, सूचित निर्णय लेने में सक्षम किया जा सके।
- कंपनी की सभी जानकारियों तक बोर्ड के सदस्यों की पूरी पहुंच है। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे की सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह एजेंडा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। जब भी आवश्यक हो, बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुओं के लिए अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बुलाया जाता है।

iv. बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंगः

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने के लिए अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के सदस्यों के बीच उन्हें परिचालित किया जाता है। बोर्ड की उप–समिति के कार्यवृत्त भी जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती तंत्रः

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

vi. अनुपालनः

हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एजेंडा नोट्स तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाता है। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बोर्ड को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती हैः–

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़े अनुबंधों को सौंपने की जानकारी।
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस, और दंड नोटिस, यदि कोई हो।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशक और समिति के पदों के बारे में प्रकटीकरण।
- कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मद।
- वैधानिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालन प्रमाण–पत्र।
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर वांछित अन्य विषय।

vii. गैर–कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरणः

कंपनी सरकारी नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं करती है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल और उनकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 6000/– (केवल छह हजार रुपए) की दर से बैठक शुल्क और जेब खर्च का भुगतान किया गया।

viii. निदेशक मंडल द्वारा अन्य कंपनियों की समिति में धारित निदेशक पद और सदस्यता

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/प्रकटन (2019–20)
कार्यकारी निदेशकः			
1.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद निदेशक (मानव संसाधन) एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (दिनांक 05.10.2018 से)	कार्यकारी निदेशक	शून्य
2.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	1. स्कूटर इंडिया लिमिटेड
सरकारी नामिती निदेशक :			
3.	श्रीमती सुकीर्ति लिखि (15.11.2018 से)	सरकारी नामिती निदेशक	(1) नेपा लिमिटेड (2) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (3) तुमाकुरू मशीन टूल्स पार्क
4.	श्री ए. एम. मणिचन	सरकारी नामिती निदेशक	(1) इनस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान केबलस लिमिटेड (3) बीएचईएल इलेक्ट्रीकल मशीनस लिमिटेड
5.	श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.19 तक)	स्वतंत्र निदेशक	(1) कॉन्टिनेन्टल हाईजीन कॉनसैप्ट्स (पार्टनर)

ix. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने बोर्ड के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने की पहल करती है। सीसीआई के प्रबंधन द्वारा समय–समय पर सीसीआई के बोर्ड {(आधिकारिक) और (गैर–आधिकारिक)}, जैसा भी मामला हो} के अंशकालिक निदेशकों को सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। ।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुष्टि की गई है कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2019–20 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण से संबंधित नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत और कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ संरेखित भाग है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है ।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की एक लेखापरीक्षा समिति है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं: –

1) श्रीमती सुकृति लेखी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) अध्यक्ष
2) श्री बी.वी.एन. प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सदस्य
3) श्री ए. एम. मणिचन, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) सदस्य

लेखापरीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और संदर्भ की शर्तें हैं।

वर्ष 2019–20 में, दिनांक 02.08.2019 और 28.11.2019 को लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

क्रमांक	नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्रीमती सुकृति लेखी	2	2
2.	श्री बी.वी.एन. प्रसाद	2	2
3.	श्री ए. एम. मणिचन	2	2

4. पारिश्रमिक समिति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय पारिश्रमिक और भत्ते सरकार द्वारा और उनकी नियुक्ति/अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई एक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में वितरित करने के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति तय करेगी।

प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ लाख में)

क्र सं.	नाम	वेतन और भत्ता	अन्य लाभ	निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियों का मूल्य	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1	श्री बी वी एन प्रसाद निदेशक (मानव संसाधन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	26.10	6.07	0.00	0.00	0.10	2.80	35.06
2	श्री एस.शक्तिमणि निदेशक (वित्त) सीएफओ	23.90	5.57	0.00	0.00	0.21	2.56	32.24
3	श्री अजय कुमार शर्मा, कम्पनी सचिव	11.90	2.90	0.00	0.00	0.02	1.43	16.25
	कुल योग	61.90	14.54	0.00	0.00	0.32	6.78	83.55

5. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की आवश्यकता है। हालांकि, कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, तदनुसार सीएसआर समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

6. हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है। इसलिए, ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

8. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

9. वार्षिक आम बैठक

पिछले तीन वर्षों की वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

वार्षिक आम सभा	53वीं वार्षिक आम सभा	54वीं वार्षिक आम सभा	55वीं वार्षिक आम सभा
तारीख और समय	20 सितम्बर, 2017 को दोपहर 3.00 बजे	26 सितम्बर, 2018 को दोपहर 12.30 बजे	30 दिसम्बर, 2019 दोपहर 3.00 बजे
स्थान	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

10. प्रकटीकरण

I. संबंधित पार्टी लेनदेन:

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार व्यक्तिगत रूप से निदेशकों द्वारा किया गया प्रकटीकरण) के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के संभावित हित हैं।

II. कानूनों का अनुपालन:

कंपनी ने मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कानूनों के गैर–अनुपालन के कारण जुर्माना नहीं लगाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए संविदात्मक दायित्वों के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार खर्च के अलावा कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया गया है।

III. लेखांकन उपचारः

कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और टिप्पणियों के अधीन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन किया।

IV. राष्ट्रपति के निर्देशः

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं मिला है।

11. सतर्कता

सीसीआई एक पीएसयू होने के नाते, कंपनी के रिकॉर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं, सीसीआई में सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग है।

12. संचार के माध्यम

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों और गतिविधियों पर आधिकारिक समाचार सीसीआई की वेबसाइट पर भी होस्ट करती है।

13. सचेतक नीतिः

कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों की सीएमडी और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति तक सीधी पहुंच है जो कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.in पर होस्ट किया गया है

14. अनुपालन प्रमाण–पत्रः

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और अवलोकन के अधीन अनुपालन की पुष्टि करने वाला मेसर्स गीता वाधवा, कंपनी सचिवों का प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, जो इसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर
(बी.वी.एन प्रसाद)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

बी. कॉम एसीएस, एलएलबी

गीता रानी वाधवा
कंपनी सेक्रेटरीज

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर –5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7–लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003

1. हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, मई, 2010 को (जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है) जारी दिशा–निर्देशों मे निर्धारित अनुसार 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोर–5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में पंजीकृत कार्यालय, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कॉर्पोरेट प्रशासन का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत की अभिव्यक्ति है।

3. हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

   क. कंपनी के बोर्ड में 29.06.2019 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, हालांकि समय–समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध भेजा गया था।

   ख. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक सदस्य होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। लेकिन कंपनी का कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इसलिए, लेखापरीक्षा समिति की संरचना डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।

   ग. कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

4. हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जी डब्ल्यू एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस गीता रानी वाधवा
मालिक
सदस्यता संख्या 25218
सीपी संख्या 9822
एमः 8802712645
यूडीआईएन सं. I025218ठ002688043
तारीखः 09.02.2021
स्थानः नई दिल्ली

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

अवलोकन और दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विपरीत आर्थिक परिदृश्य का सामना किया गया। व्यापारिक युद्धों और चीन में कमजोर आर्थिक परिदृश्य के कारण, शुरुआती महीनों में वैश्विक दृष्टिकोण कमजोर रहा। कई देशों में विनिर्माण क्षेत्र में धीमी या नकारात्मक वृद्धि देखी गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था में भी वित्तीय वर्ष 20 में मंदी देखी गई और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.2% आंकी गई, जिसका मुख्य कारण सभी क्षेत्रों में कमजोर मांग और ऋण की तंगी थी। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में नरमी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल, तेल और गैस की कीमतों में गिरावट से राहत मिली।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष में स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए सुधारों की शुरूआत, एफडीआई को उदार बनाने और कॉर्पोरेट आयकर को कम करने के कदम शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 18–19 में लगभग 13% की मजबूत वृद्धि देखने के बाद, भारतीय सीमेंट उद्योग ने धीमी गति से निष्पादन किया और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वर्ष में अप्रैल–मई 19 के दौरान आम चुनाव हुए, विस्तारित मानसून और बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण पर पूंजीगत व्यय कम हुआ। दिसंबर 2019 से सीमेंट की मांग में सुधार होना शुरू हुआ, लेकिन कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण यह गति कायम नहीं रह सकी। इसने निर्माण गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया और उद्योग ने लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद इस वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर में गिरावट दर्ज की।

हालांकि, निजी निवेश में प्रत्याशित वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत मूल सिद्धांतों के साथ, सीमेंट उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव की आशा है।

कोविड–19 महामारी के कारण 25 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन हुई, जिसने सीमेंट क्षेत्र को प्रभावित किया और पूरा निर्माण क्षेत्र ठप हो गया। सीमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन से पहले मजबूत मांग देखी गई, पर इस घटना के कारण सीसीआई सहित सभी प्रमुख सीमेंट संयंत्र बंद हो गए। कोविड लॉकडाउन में ढील के बाद, सरकारें बुनियादी ढांचे पर जोर देंगी और अधिक ध्यान केंद्रित करेगी और इससे क्षमता के उपयोग में वृद्धि होगी। इस साल कई सीमेंट कंपनियों का मर्जर भी हुआ।

इस साल देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बोकाजन इकाई से फ्लाई ऐश आधारित पोर्टलैंड पॉज़्लोना सीमेंट का भी शुभारंभ हुआ, जिसके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के कारण सीमेंट की मांग में वृद्धि देखी जा रही है।

उच्च स्थापित क्षमताओं के कारण दक्षिण भारत सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी सीमेंट बाजार बना हुआ है।

2. **वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण** – सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10 साल से अधिक के अंतराल के बाद लाभ अर्जित नहीं कर सकी। निगम का निवल लाभ जो वित्तीय वर्ष 18–19 के दौरान 6.35 करोड़ रुपए था, मुख्य रूप से राजबन और तांदूर इकाइयों में बड़े ब्रेकडाउन के कारण 50.94 करोड़ के नुकसान में बदल गया। कोविड–19 के कारण 25 मार्च 2020 से लागू किए जा रहे लॉकडाउन ने समस्या को बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 6.50 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019–20 में सीमेंट का प्रेषण 5.77 लाख मीट्रिक टन रहा।

3. **जोखिम संबंधी चिंताएं** – जोखिम प्रबंधन व्यवसाय के माहौल, प्रौद्योगिकियों और अनुपालन नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखता है। इसके अलावा खतरों के अवसरों की भी इस प्रक्रिया के माध्यम से पहचान की जाती है। कंपनी ने निगम के लिए निम्नलिखित जोखिमों और अवसरों की पहचान की है–

क. **प्राथमिक कच्चा माल और ऊर्जा लागत**– चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल है जो तीनों परिचालन इकाइयों के लिए सीसीआई की कैप्टिव खानों में उपलब्ध है। हालांकि कोयले की उपलब्धता आर्थिक कीमतों पर गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता दोनों के लिहाज से एक चुनौती है। हम कोयले की कीमतों के दबाव को कम करने के लिए पेट कोक का उपयोग करने की प्रक्रिया में भी हैं। हम ऊर्जा दक्ष मोटरों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने और बदलने की प्रक्रिया में भी हैं।

ख. **कम मांग और अधिक क्षमता** – हालांकि उत्तरी और उत्तर पूर्वी बाजारों में मांग में उछाल देखा गया है, दक्षिण भारत में

अत्यधिक क्षमता है, इसलिए यह क्षमता के कम उपयोग से ग्रस्त है। इससे कीमतों पर भी दबाव पड़ता है जिससे निगम की आमदनी और लाभ प्रभावित होता है।

ग. **प्रतिस्पर्धा** – सीमेंट उद्योग में मजबूत ब्रांडों का समेकन और उभार देखा गया है। भारतीय सीमेंट उद्योग दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग होने के कारण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है और देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं भी आ रही हैं। हालांकि सीसीआई अपनी पुरानी उपस्थिति के कारण खुद को एक मजबूत स्थिति में पाता है। हम उन्नत विपणन गतिविधियों और गुणवत्ता के उच्च मानकों, समय पर वितरण और ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से ब्रांड इक्विटी को बढ़ाना जारी रखते हैं।

घ. **परियोजना क्रियान्वयन**– आपकी कंपनी ने उत्तर पूर्वी भारत के सीमेंट घाटे वाले बाजारों में बोकाजन इकाई की क्षमता विस्तार का कार्य भी किया है। यह परियोजना विक्रेता के साथ समय की अधिकता और कानूनी लड़ाई के जोखिम का सामना कर रही है।

ङ. **मानव संसाधन**– मानव संसाधन एक जीवंत संगठन की रीढ़ होता है और यह मूल्य और लाभप्रदता के वितरण में योगदान करते हैं। प्रतिस्पर्धी माहौल में कर्मचारियों की निरंतर सेवानिवृत्ति के कारण उपयुक्त प्रतिभा की अनुपलब्धता हो सकती है जो निगम के निष्पादन को प्रभावित कर सकती है। संगठन को न केवल प्रतिभा को बनाए रखना और पोषित करना है, बल्कि नई प्रतिभाओं को भी आकर्षित करना है। आपकी कंपनी पूरे उद्योग में मानव संसाधन प्रथाओं को लगातार चिह्नित कर और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधार करने के सभी प्रयास कर रही है।

च. **नियामक और अनुपालन** – देश में लगातार विकसित हो रहे नियामक ढांचे के साथ, गैर–अनुपालन और दंड का जोखिम बहुत बड़ा है और यह प्रतिष्ठा जोखिम भी वहन करता है। कंपनी नियमित रूप से नियामक ढांचे में किए गए परिवर्तनों की समीक्षा करती है और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है और लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। संचालन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की सिफारिशें भी लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं और व्यवसाय संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए उपकरण के रूप में इनका उपयोग करते हैं।

5. सीएसआर नीति

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति है।

6. अन्य प्रकटीकरण

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अध्याय –7 में प्रावधान है कि निदेशकों की रिपोर्ट के अलावा या इसके अतिरिक्त, एक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए जिसमें कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा शामिल है। जहां तक खंड–वार और उत्पाद–वार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक खंड अर्थात् सीमेंट में काम करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चा और पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि जैसे विषय पहले ही निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए जा चुके हैं।

निष्कर्ष

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावनाएं अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी हुई हैं। अल्प अवधि में आउटलुक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, सीमेंट उद्योग के लिए दीर्घकालिक चालक बरकरार है। महत्वपूर्ण रूप से, बुनियादी ढांचे के विकास और आवास पर सरकार का ध्यान उद्योग के लिए अच्छा है।

चेतावनी वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अनुमानों का वर्णन करने वाले इस "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" में दिए गए कथन लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थ में प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

दस वर्ष डाइजेस्ट

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
लाभ और हानि का विवरण										
बिक्री और प्रेषण और (विवेकाधिकार) स्टॉक करने के लिए	25202	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286
असाधारण आय सहित अन्य आय	3581	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893
कच्चे माल की खपत	4793	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969
भंडार और पैकिंग सामग्री की खपत	1488		1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	5490	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997
ब्याज	147	116	261	225	223	297	295	446	911	3683
मूल्यह्रास	720	720	608	665	790	636	906	811	744	774
अन्य विनिर्माण व्यय	21410	24553	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340
लाभ (+)/हानि (–)	(5094)	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713
तुलन पत्र										
पेडअप शेयर कैपिटल*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140
रिजर्व और सरप्लस	(83350)	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)
ऋण	15090	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172
नेट फिक्स्ड एसेट्स	12317	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224
वर्तमान संपत्ति	28492	33564	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	10564	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137
राजधानी डब्ल्यू.आई.पी.	5809	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051
अन्य संपत्तियां (डीआरईआरई सहित)	2248	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795
पूंजी नियोजित#	39765	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068
कर्मचारियों की संख्या	504	574	640	665	747	813	907	906	907	988
निवल महत्व	(4229)	859	364	(1382)	(5593)	(10807)	(14260)	(15808)	(16524)	(18536)

* 45,598 लाख रुपये के इक्विटी शेयर और रु..35,543 लाख के मोचन वरीयता शेयर शामिल हैं

\# पूंजी नियोजित की गणना टोटल एसेट्स से करेंट लिवेबिलिटी और अनअमोर्टेड एक्सपेंस कम करके की जाती है

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(संशोधित)

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली
वित्तीय विवरणों पर संशोधित रिपोर्ट

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रमुख निदेशक लेखापरीक्षा (आई एंड सीए), नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या एएमजी–III/सीसीआई/2019–20/544 दिनांक 18/01/2021 और पत्र संख्या एएमजी–III/2(48)/अकाउंट ऑडिट–सीसीआई/2019–20/202020–21/250/ दिनांक 28/01/2021 में की गई टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को लेखों पर हमारी पिछली 7 दिसंबर 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

मत

हमने सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सीआईएन नंबर –U74899DL1965 GOI004322 के साथ–साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष तुलन–पत्र और लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें ग्यारह इकाइयां शामिल हैं (मंधार, तांदूर, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुरुकुंटा, आदिलाबाद), बोकाजन और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट) का लेखा–जोखा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और कॉर्पोरेट कार्यालय का हमारे द्वारा लेखा परीक्षण किया गया।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्यता विचार अनुच्छेद के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और उसके नुकसान, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

मत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की तथा उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य मत के लिए आधारः

क. कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के मालिकाना हक और लीज पट्टा का निष्पादन लंबित है और भूमि का विवरण मिलान के अधीन है। इसके अलावा, डीडीए ने स्वतः 14.20 एकड़ भूमि दिनांक 11–04–2017 को एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी, भूमि की लागत बाहरी पार्टी से वसूली योग्य दावा करने योग्य थी। रेलवे साइडिंग के लिए आवंटित 6.74 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा अभी भी कंपनी के पास है। (टिप्पणी–34 के बिंदु संख्या 03 और 07 को देखें)

ख. सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क के रूप में उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि के संबंध में राजस्व विभाग से हस्तांतरण आदेश से उत्पन्न दायित्व का गैर–निर्धारण और परिणामी गैर–प्रावधान अभी भी प्रतीक्षित है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 05 देखें)

ग. वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाधान के कारण विचार नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 11 देखें)

घ. कुछ व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, पार्टियों और अन्य देनदारियों से जमा और अन्य देनदारियों की

शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है। गैर–समाधान से उत्पन्न वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 19 देखें)।

ङ. कंपनी की दिल्ली में सात उत्पादन इकाइयाँ और एक ग्राइंडिंग इकाई है, जहाँ 1996 से 1999 के बीच परिचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जिसने उत्पादन शुरू नहीं किया था, जिसके संबंध में टिप्पणी के बिंदु संख्या 10 पर ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के विचार के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस–28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार मूल्य आम तौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक होता है।

च. कंपनी ने 22 मार्च 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए भारत सरकार को 355.43 करोड़ रुपए के मूल्य के 3554325 गैर–संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर 1000/– रुपए प्रत्येक जारी किए थे । निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त वरीयता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले भुनाया जाना था, जो कि निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने बताया कि कैबिनेट/बीआईएफआर के निर्देश के अनुसार मंत्रालय से वरीयता शेयर को फिर से जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। (टिप्पणी 34 की संदर्भ लें बिंदु सं .12 देखें)।

छ. इकाइयों में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड का, लिए गए आउटपुट के कॉर्पोरेट/समेकन और इनपुट उपयोग का मिलान नहीं किया गया है और जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट की गई संबंधित प्रविष्टियों के साथ मिलान नहीं किया गया है। बेमेल जीएसटी रिटर्न/रिकॉर्ड का संतोषजनक समाधान करना आवश्यक है। वित्तीय बहियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना है और वित्त में परिणामी प्रभावों को अद्यतनों के आधार पर शामिल किया जाना है

विशिष्ट (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए, इन विशिष्ट वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह सहित वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उपयुक्त कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की एक चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, लागू अनुसार प्रकटीकरण, प्रचलित चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन में प्रचलित चिंता आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के परिसमापन या परिचालन बंद करने इरादा नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण के मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा होती है तो इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करें।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखापरीक्षा मानकों और

उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरणों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी त्रुटि के कारण हो। लेखापरीक्षक जोखिम मूल्यांकन करने में, कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष अवसर देता है। लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं व वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के विशिष्ट (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में शामिल 11 (ग्यारह) शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी के अनुसार कुल संपत्ति 523.49 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इस तारीख तक कुल राजस्व 298.39 करोड़ रुपए है। जैसा कि विशिष्ट (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में माना गया है/इन शाखाओं की जानकारी की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक यह राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, शाखाओं के संबंध में, हमारे मत पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई प्रासंगिक बदलाव नहीं किया गया है।

योग्यता के बिना, हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संदर्भित निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) कंपनी के वित्तीय विवरण निम्नलिखित के बावजूद प्रचलित चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं:

I. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 31 के खंड (ओ) के अर्थ के भीतर इसे एक बीमार कंपनी घोषित किया जा रहा है।

II. बीआईएफआर ने अपने दिनांक 3 मई 2006 के आदेश अनुसार नयागांव विस्तार के अंतर्गत दो इकाइयों सहित कंपनी के सात कारखानों की बिक्री की योजना को मंजूरी दी।

कंपनी की चिंता बने रहने की क्षमता काफी हद तक बीआईएफआर पैकेज में परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर है (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 10 देखें)। वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं है जो कंपनी के चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने में असमर्थ होने पर आवश्यक हो सकता है।

ख) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) को 2 (दो) चरणों में लागू किया जाना था, जिसमें से पहला चरण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था और इसे पूरा किया गया था। दूसरे चरण को 7 (सात) परिचालन न करनेवाली इकाइयों की बिक्री आय में से 2007–08 तक पूरा किया जाना था, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। हालाँकि, इन परिचालन न करनेवाली इकाइयों की बिक्री नीति आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार प्रगति पर है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 10 देखें)।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों के इस तरह की जांच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी

गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ए' में, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप निर्देशों पर, अनुलग्नक–I में और अनुलग्नक–II हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं जिसे हमने उचित समझा है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे मत में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया हैं, उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उन शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उनपर उचित रूप से ध्यान दिया गया है।

घ) तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण, खाते की बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ हैं, जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

ङ) हमारे मत में, उपरोक्त विशिष्ट (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

च) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्न अनुसार हैं:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए उसे कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।

iii. वहाँ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और नियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कोई निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 500062एन

ह०
(सीए लॉब भाटिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 014290
यूडीआईएन : 21014290एएएएएयू4466

दिनांक : 29 जनवरी 2021
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–'क'

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा उचित समझी गई जांचों के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. इसकी अचल संपत्तियों के संबंध में:

(क) कंपनी ने अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। कुछ अचल संपत्ति रजिस्टर में संपत्ति के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारे मत में, उचित अंतराल पर सभी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं और लेखों की किताबों से ठीक से रखा गया है।

(ग) शाखा ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ इकाइयों को छोड़कर अचल संपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के कुछ स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। नदकमत (टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 3 और 7 देखें) विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

क्र.सं.	इकाइयों का नाम	भूमि का विवरण/बिल्डिंग
1	मंधार	1.06 एकड़
2	नयागांव	0.146 हेक्टेयर
3	अकालतारा	495.75 एकड़
4	भटिंडा	10.12 एकड़
5	नयागांव	155.83 एकड़
6	आदिलाबाद	58.81 एकड़
7	प्रधान कार्यालय भवन	विद्युत स्थापना को छोड़कर रु 266.58 लाख रु 5.7 लाख

II. इसकी सूची के संबंध में:

(क) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में तैयार माल, अर्द्ध–तैयार माल और 'ए' और 'बी' श्रेणी के स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया था। जहां तक स्पेयर पार्ट्स की 'सी' श्रेणी की सूची का संबंध है, प्रबंधन के पास भौतिक सत्यापन की एक प्रणाली है ताकि तीन साल के ब्लॉक में कम से कम एक बार सभी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जा सके। तदनुसार, वर्ष के दौरान ऐसी सूची के एक भाग का भौतिक सत्यापन किया गया था। तीसरे पक्षों के पास कोई माल सूची नहीं है।

(ख) हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने सूची का उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है और बुक रिकॉर्ड की तुलना में स्टॉक के भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

III. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल पक्षों को दिए गए सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई ऋण नहीं दिया है; और इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3(iii) लागू नहीं होता है।

IV. ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

V. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और उसके पास कोई दावा न की गई जमाराशि नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया

निर्धारित लागत रिकॉर्ड तैयार किए और रखे गए हैं। हालांकि, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सही या पूर्ण हैं।

VII. वैधानिक देय राशि के संबंध में:

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, आयकर, कर कटौती सहित स्रोत पर कर, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, निर्विवाद वैधानिक देय राशि उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। निम्नलिखित निर्विवाद मामलों में, भुगतान देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार बकाया है

संविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (₹ लाख में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	1589.72
निगमित कर	एनएएलए कर	70.05
निगमित कर	संपत्ति कर	367.20
सेवा कर	सेवा कर	2.29
निगमित कर	रॉयल्टी	569.50
निगमित कर	प्रवेश कर	12.45
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.23
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	9.60
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार / अतिरिक्त कर	13.26
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	18.03
खनन बकाया	खनन विभाग	186.61
उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	0.32

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को बकाया/शेष में आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में विवादित देय राशियां नीचे दी गई हैं:

विवरण	देयता का स्वरुप	कहां लंबित है?	राशि (₹लाख में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण/वित्त आयुक्त/उपयुक्त पदाधिकारी	274.63
आयकर जुर्माना	बेमेल मांग	आय आयुक्त	9.98
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	195.43
सेवा कर	जीटीए सेवा	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	38.73
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	अपीलीय प्राधिकारी	538.70

VIII. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने यहां दिए गए विवरण के अनुसार, देय राशि के संबंध में ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज की चुकौती में चूक की है।

विवरण ब्याज सहित	राशि (₹ लाख में)	चूक की अवधि
भारत सरकार की राशि	27475.00	2011 से

IX. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है या कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

X. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या कंपनी के साथ उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

XI. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के

प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। आदेश के खंड 3(xi) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

XII. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है क्योंकि आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, वित्तीय विवरण में लेखा मानक (एएस) 18, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अंतर्गत अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर लागू सीमा तक आवश्यक खुलासा किया गया है।

XIV. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई वरीयता आवंटन या शेयरों का निजी आवंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

XV. कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

XVI. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 500062एन

ह०
(सीए लॉब भाटिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 014290
यूडीआईएन : 21014290एएएएएयू4466

दिनांक : 29 जनवरी 2021
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक 'ख'

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उस तारीख तक सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो निगम की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करे इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, अपनी लेखापरीक्षा की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, एक भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा की मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

1. उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन आदि शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर को बिगाड़ सकता है।

मत

हमारे मत में, कंपनी के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई गई है, जो 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी, और आंतरिक नियंत्रण स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित था।

सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 500062एन

ह०
(सीए लॉब भाटिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 014290
यूडीआईएन : 21014290एएएएएयू4466

दिनांक : 29 जनवरी 2021
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–I

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के लिए अनुपालन रिपोर्ट, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो बताया जा सकता है।	हाँ, आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी की अपनी प्रणाली है। हमने ऐसा कोई भी लेखांकन लेनदेन नहीं देखा है जिसे आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया है।
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था।

सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 500062एन

ह०
(सीए लॉब भाटिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 014290
यूडीआईएन : 21014290एएएएएयू4466

दिनांक : 29 जनवरी 2021
स्थान : नई दिल्ली

वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत यथावश्यक उप निदेश

कंपनी के लेखों के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर और/या जानकारी नीचे दी गई है:

बीआईएफआर योजना

माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बेंच प्ट एसओएल दिनांक 8.8.96 द्वारा कंपनी को बीमार घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने 21.03.2006 को आयोजित अपनी सुनवाई में मेसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा 03.05.2006 को परिचालित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 परिचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर–संचालन संयंत्रों को बंद करने/बिक्री की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार सात इकाइयों को बंद किया गया है। दीपम के दिशा–निर्देशों के अनुसार गैर–परिचालित इकाइयों की बिक्री प्रगति पर है।

सुशील जीतपुरिया एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 500062एन

ह०
(सीए लॉब भाटिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 014290
यूडीआईएन : 21014290एएएएएयू4466

दिनांक : 29 जनवरी 2021
स्थान : नई दिल्ली

तुलन पत्र 31 मार्च 2020 को

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
साम्या और दायित्व			
अंशधारियों की निधियाँ			
क) शेयर पूंजी	**02**	81,141	81,141
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	**03**	(83,350)	(78,256)
		(2,209)	**2,885**
गैर–चालू दायित्व			
क) दीर्घ–कालिक उधार	**04**	15,090	15,090
ख) अन्य दीर्घ–कालिक दायित्व	**05**	23,877	24,093
ग) दीर्घ–कालिक प्रावधान	**06**	5,027	4,854
		43,994	**44,037**
चालू दायित्व			
क) अल्प–कालिक उधार	**07**	-	-
ख) व्यापार देय	**08**	2,219	2,049
ग) अन्य चालू दायित्व	**09**	6,399	6,525
घ) अल्प–कालिक प्रावधान	**10**	1,946	2,123
		10,564	**10,697**
योग		**52,349**	**57,619**
परिसम्पत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	**11**	12,317	12,697
ii) चालू पूंजी संकर्म	**12**	5,809	5,812
iii) चालू पूंजी संकर्म (विकास अधीन)	**13**	0	-
ख) गैर–चालू निवेश	**14**	228	228
ग) दीर्घ–कालिक ऋण और अग्रिम	**15**	3,444	3,253
घ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	**16**	39	39
ङ) अपरिशोधित व्यय	**17**	2,020	2,026
		23,857	**24,055**
चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) चालू निवेश	**18**	-	-
ख) वस्तु सूचियाँ	**19**	14,309	13,540
ग) व्यापार प्राप्य	**20**	1,692	1,180
घ) नगद और बैंक शेष	**21**	9,133	14,898
ङ) अल्प–कालिक ऋण और अग्रिम	**22**	2,976	3,271
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	**23**	382	675
		28,492	**33,564**
योग		**52,349**	**57,619**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 34, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ऊपर उल्लिखित नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न हिस्सा हैं

यह हमारी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुशील जीतपुरया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 500062 एन

ह0
(सी ए लव भाटिया)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 014290

ह0
(बी वी एन प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0
(मनोज कुमार पात्रा)
अपर महा प्रबंधक (वित्त)

दिनांक : 07.12.2020

स्थान : नई दिल्ली

लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
1. प्रचालनों से राजस्व			
क) उत्पादों के विक्रय		**24,762**	27,666
(किलंकर की ब्रिक्री सहित–शून्य (गत वर्ष शून्य)			
ख) अन्य प्रचालन राजस्व		**171**	117
शुद्ध प्रचालनों से आय		**24,933**	**27,783**
2. **अन्य आय**	**24**	4,902	7,056
कुल आय		**29,835**	**34,839**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	**25**	4,793	4,029
तैयार माल, व्यापार स्टाक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन	**26**	(440)	429
कर्मचारी हित व्यय	**27**	5,490	6,070
अन्य व्यय	**28**	23,045	24,553
वित्त संबंधी लागत	**29**	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**30**	720	635
कुल व्यय		**33,608**	**35,716**
आपवादिक और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		(3,773)	(877)
आपवादिक मदें	**31A**	(1,321)	1,512
कर से पूर्व लाभ		(5,094)	635
चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		–	–
सतत् प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		(4,567)	(1,312)
रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	**31C**	(527)	1,947
रोक दिए गए प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		-	-
कर के पश्चात रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		(527)	1,947
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		**(5,094)**	**635**
प्रति शेयर आय (रुपए में) (रुपए 1000/– प्रति शेयर मान मूल्य)			
मूल		**(83)**	**(19)**
डाइल्यूटिड		**(83)**	**(19)**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 34, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।
ऊपर उल्लिखित नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न हिस्सा हैं
यह हमारी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुशील जीतपुरया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 500062 एन

ह0
(सी ए लव भाटिया)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 014290

ह0
(बी वी एन प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0
(मनोज कुमार पात्रा)
अपर महा प्रबंधक (वित्त)

दिनांक : 07.12.2020
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः						
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(4,567)	(1,312)	(527)	1,947	(5,094)	635
समायोजन						
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	645	610	121	110	766	720
वित्त लागत	–	–	–	–	–	–
ब्याज और अन्य आय	(3,081)	(3,422)	(1,628)	(1,203)	(4,709)	(4,625)
स्थाई परिसम्पतियों के निपटान से लाभ	(14)	-	(11)	-	(25)	-
आवश्यक नहीं रही अन्य प्राप्तियों का प्रावधान	(167)	(1,878)	(1)	(553)	(168)	(2,431)
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	13	-	-	-	13	-
अनासक्त व्यय	181	323	-	-	181	323
असाधारण आय	-	(1,118)	1,321	(394)	1,321	(1,512)
परिचालन लाभ से पूर्व कार्यशील पूंजी	**(6,990)**	**(6,797)**	**(725)**	**(93)**	**(7,715)**	**(6,890)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः						
व्यापार भुगतान में वृद्धि/(कमी)	52	36	118	4	170	40
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(365)	3,381	191	(103)	(174)	3,278
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(120)	(3,319)	117	(195)	(3)	(3,514)
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(108)	258	(417)	(261)	(525)	(3)
वस्तु सूची में कमी/(वृद्धि)	(779)	405	10	10	(769)	415
ऋण और अग्रिमों में कमी (वृद्धि)	135	(52)	(30)	890	105	838
अन्य परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	293	112	-	-	293	112
असम्बद्ध व्यय	(175)	(418)	-	-	(175)	(418)
परिचालन से उत्पन्न नकदी						
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**(8,057)**	**(6,394)**	**(736)**	**252**	**(8,793)**	**(6,142)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः						
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	(160)	(3,047)	(239)	(44)	(399)	(3,091)
ब्याज और अन्य प्राप्तियाँ	3,081	3,422	1,629	1,203	4,710	4,625
कार्य–प्रगति	(39)	2,297	42	8	3	2,305
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	22	-	13	-	35	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**2,904**	**2,672**	**1,445**	**1,167**	**4,349**	**3,839**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः						
लंबी अवधि के ऋणों से कार्यवाही	-	-	-	-	-	-
लंबी अवधि के उधारों की वापसी	-	-	-	-	-	-
अल्पकालिक ऋणों से कार्यवाही	-	-	-	-	-	-
अल्पकालिक ऋणों की वापसी	-	(625)	-	-	-	(625)
अन्य इकाइयों को हस्तांतरित फंड	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-
ब्याज और अन्य उधार देने की लागत	-	-	(1,321)	-	(1,321)	-
गैर–परिचालन इकाइयों को हस्तांतरित निधि	(648)	1,395	648	(1,395)	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(648)**	**770**	**(673)**	**(1,395)**	**(1,321)**	**(625)**
नकद में शुद्ध वृद्धि/(कमी) और बैंक में शेष	**(5,801)**	**(2,952)**	**36**	**24**	**(5,765)**	**(2,928)**
प्रारंभिक शेष एवं बैंक शेष	14,868	17,820	30	6	14,898	17,826
अंतिम शेष एवं बैंक शेष	**9,067**	**14,868**	**66**	**30**	**9,133**	**14,898**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी .....(जारी)

(₹ लाखों में)

	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
विवरण	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
नोट						
अंतिम नगदी एवं बैंक का शेष						
नगदी हाथ मे	2	1	0	0	2	1
चैक हाथ में	-	2	-	-	-	2
बैंक जमा						
चालू खाता	623	632	66	30	689	662
जमा खाता	8,442	14,233	-	-	8,442	14,233
योग	**9,067**	**14,868**	**66**	**30**	**9,133**	**14,898**

2 उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट को केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक 3 'कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में उल्लिखित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

3 बैंक जमाओं में 200.00 लाख (पिछले वर्ष : 673.97 लाख) की जमा राशि शामिल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है।

4 जब जब कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हुई, स्वयं के संसाधनों से पूर्ति की गई है।

5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुशील जीतपुरया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 500062 एन

ह0
(सी ए लव भाटिया)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 014290

ह0
(बी वी एन प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)

ह0
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0
(मनोज कुमार पात्रा)
वित्त प्रमुख

दिनांक : 07.12.2020
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों से प्राप्त सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट का सत्यापन किया है और इसे उसी के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुशील जीतपुरया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 500062 एन

ह0
(सी ए लव भाटिया)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 014290

नई दिल्ली
दिनांक :

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

01 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

01.01 तैयारी का आधार

निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिनका लेखा नकद आधार पर किया जाता है, खाते लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति को अपनाते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किए जाते हैं।

(i) रेलवे और बीमा दावों के अलावा अन्य परिसमाप्त क्षतियों/दंडों/दावों की वसूली पर हिसाब लगाया जाता है और उन्हें विविध आय में शामिल किया जाता है।

(ii) स्टोर और पुर्जों के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/नॉन–मूविंग मदों आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, तो उनको उनके निपटान के वर्ष में ही हिसाब में शामिल किया जाता है।

01.02 राजस्व की पहचान

(i) राजस्व को रिटर्न, छूट और कमी आदि से और माल और सेवा कर को भी छोड़कर निवल माना जाता है।

(ii) ब्याज से आय एक समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।

01.03 भूमि और परिशोधन

(i) राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्यांकन नाममात्र की लागत पर अथवा इसके अधिग्रहण पर हुए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) खदान में खनन पट्टे के अंतर्गत भूमि मुक्त धारिता और 99 वर्ष से कम के पट्टे वाले भूमि पट्टे को संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिशोधित किया जाता है।

01.04 निवेश

(i) लंबी अवधि के निवेश को लागत पर बताया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) वर्तमान निवेश को कम लागत और उद्धृत/उचित मूल्य पर बताया गया है। गैर–उद्धृत वर्तमान निवेश लागत पर बताए गए हैं।

01.05 उधार लेने की लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी संपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक संपत्ति वह होती है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतों को राजस्व में लिया जाता है।

01.06 सूची

क) मूल्यांकन

(i) नीचे (पप) में उल्लिखित के अलावा, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल को भारित औसत लागत पर दर्शाया गया है। अप्रचलित/अनुपयोगी स्टोर और पुर्जों का निर्धारण होने पर, उन्हें स्क्रैप माना जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) क्लिंकर और अन्य अर्द्ध–तैयार माल को वर्क बैक फॉर्मूले के आधार पर यूनिट की भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर बताया दर्शाया है। हालांकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसे शून्य मूल्य पर बताया गया है।

(iii) कारखानों/परियोजनाओं/डंपों में या डंप में ट्रांजिट में तैयार माल को यूनिट की भारित औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर बताया गया है। डंप तक बिक्री व्यय में शामिल भाड़ा विभिन्न डंपों पर पड़े तैयार माल के मूल्य में शामिल है।

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न स्क्रैप मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, जहां पहली बार स्क्रैप उत्पन्न होने या पहले निपटान नहीं होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए ऐसे स्क्रैप आइटम के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य को

अपनाया जाता है।

ख) ठीले उपकरण और टैकल

उपकरण और टैकल तीन साल की अवधि में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

01.07 मूल्यह्रास

(i) वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लागू लेखा मानक, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान के साथ पठित ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं:

(ii) संपत्ति के पूरा होने और उपयोग के लिए उपलब्ध होने के बाद मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है और नीचे (iv) में दिए गए को छोड़कर लागत का 95% संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान बट्टे खाते में डाला जाता है।

(iii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास उनके पूंजीकरण की तारीख से और उन्हें त्यागने/बेचाने/ध्वस्त करने/नष्ट करने की तिथि के यथानुपात लगाया जाता है।

(ic) कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति जिसका लिखित मूल्य वर्ष की शुरुआत में 5000/– रुपए या उससे कम है, उसका अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखे बिना वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है।

(v) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/– रुपए तक की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को सकल ब्लॉक में ले जाया जाता है और उसी वर्ष पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

01.08 आस्थगित राजस्व व्यय

(i) पूर्वेक्षण और बोरिंग पर व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(ii) खदानों पर अतिरिक्त भार आदि को हटाने पर किये गये उस व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जिसका उपयोग सड़कों, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है। अतिभार आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को शुरू में 'आस्थगित राजस्व व्यय' माना जाता है और उस अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है जिसके लिए खदान विकास से चूना पत्थर शोषण के लिए उपलब्ध है।

(iii) किराए की इमारतों में आंतरिक विभाजन और अन्य जुड़नार की लागत सीधे स्थापना के वर्ष में वसूल की जाती है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपए से अधिक है, तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(iv) एक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद, हाई क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया के प्रारंभिक पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि, लाभ और हानि के विवरण के लिए मेकअप शुल्क लिया जाता है।

(v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अनुपयोगी अनुदान/सब्सिडी नहीं है, तो आवधिक लाभ जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन के बराबर वीआरएस भुगतान या सेवा की शेष अवधि के लिए मजदूरी, जो भी कम हो, के लिए उत्तरदायी हैं और नोटिस अवधि का वेतन आस्थगित कर दिया जाता है और व्यक्तियों की सेवा की शेष अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, उसके दौरान भुगतान किया जाता है। हालांकि, वीआरएस/वीएसएस पर 01/04/2003 को या उसके बाद किए गए किसी भी व्यय को तब मान्यता दी जाती है, जब वह उस वर्ष में ही पूरी तरह प्राप्त और प्रभारित किया जाता है।

01.09 पूर्व अवधि/असाधारण समायोजन

विशेष वर्ष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां, लेखों के बंद होने के बाद ध्यान में आने पर अर्थात् कट ऑफ तिथि के बाद अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जाती है, बशर्ते कि शामिल राशि 10,000/–

रुपए से अधिक नहीं है। यदि राशि 10,000/– रुपए से अधिक है, तो इसके लेखांकन के निर्धारण के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक–5 में निहित प्रावधानों को चालू वर्ष/पूर्व अवधि/असाधारण व्यय/आय के लेखों के प्राकृतिक शीर्ष के अंतर्गत लागू किया जाता है।

01.10 विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखा–जोखा

विदेशी ऋण देनदारियों का समापन बाजार विनिमय दरों पर किया जाता है। लेन–देन के निपटान पर लाभ या हानि (क) परियोजना अवधि के दौरान उपकरण की प्रासंगिक लागत में डाली/निकाली जाती है, जो पुर्जों और सेवा से संबंधित हैं, उन्हें निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) में डाली/निकाली की जाती हैं, (ख) परियोजना में जाने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन, लाभ/हानि को उपकरण की प्रासंगिक लागत में डाला/निकाला जाता है, लेकिन, पुर्जों और सेवाओं से संबंधित लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है। अचल संपत्तियों के इस तरह के समायोजन पर मूल्यह्रास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

01.11 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य को उनके बही मूल्य पर पहुंचाने के लिए घटाया जाता है। जहां विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदान संपत्ति की पूरी या वस्तुतः पूरी लागत के बराबर होता है, संपत्ति का मूल्यांकन नाममात्र मूल्य पर या इसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान, संबंधित व्यय से काट लिया जाता है।

(iii) केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में शामिल हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समान अनुदान, जहां उनके आमतौर पर पुनर्भुगतान की कोई आशा नहीं है, ऐसे अनुदान को आरक्षित पूंजी माना जाता है।

(iv) पूंजी/राजस्व अनुदान/सब्सिडी, ऊपर निर्दिष्ट के अलावा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक –12 के अनुसार दर्शाये जाते हैं।

01.12 निगम के दावे

(i) जहां खाते में भुगतान प्राप्त हुआ है वहां बीमा दावों को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावों के आधार पर खाते में दर्ज किया जाता है। हालांकि, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखों को बंद करने से पहले प्राप्त नहीं होती है, उस प्रभाव का प्रकटीकरण लेखों के लिए टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।

(ii) दावों को दर्ज करने पर रेलवे के दावों को ध्यान में रखा जाता है।

01.13 जमा कार्य

प्रगति में जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के पूंजीगत कार्य–प्रगति के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व के हस्तांतरण और पूंजीकृत होने पर आनुपातिक रूप से जमा कार्य में जोड़ा जाता है।

01.14 कर्मचारी लाभ

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी का प्रावधान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत और कंपनी की अपनी ग्रेच्युटी योजना वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ii) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवानिवृत्ति या किसी कर्मचारी की मृत्यु पर भुनाये जा सकने वाले अर्जित छुट्टी /अर्ध वेतन छुट्टी आदि का प्रावधान, वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(iii) बोनस के लिए देयता बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर प्रदान की जाती है, न कि समग्र निगम के आधार पर। कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए बोनस की देयता उस दर पर प्रदान की जाती है जो अन्य इकाइयों के लिए बोनस प्रदान की जाने वाली दरों का औसत है।

01.15 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ और हानि के विवरण/ आईईडीसी खाते में इतनी समान किश्तों में लगाया जाता है कि डिबेंचर की अवधि उस वर्ष से शुरू होती है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.16 पूर्व चुकता खर्चे

बाद के वर्ष (वर्षों) के लिये पहले ही किए गए 10,000/– रुपए या उससे कम व्यय के प्रत्येक मामले को चालू वर्ष के खर्च में शामिल किया जाता है।

01.17 खराब और संदिग्ध प्राप्तियों/ऋणों/अग्रिमों आदि के लिए लेखांकन

(i) संदिग्ध प्राप्तियों/ऋणों और अग्रिमों के लिए तब प्रावधान किया जाता है जब उनकी वसूली को संदिग्ध माना जाता है लेकिन वसूली की संभावना बनी रहती है।

(ii) जब वसूली के प्रयास या तो कानूनी प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है, कि मुकदमेबाजी फलदायी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है वहां राशियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

01.18 इंटर यूनिट/जोन/कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानान्तरण

(i) इकाइयों द्वारा हस्तांतरित तैयार माल का प्रारंभ में डिस्पैच योजना दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और फिर बेची गई मात्रा को जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर तय किया जाता है।

(ii) अचल संपत्तियों आदि के इंटर यूनिट/जोनों/कॉर्पोरेट कार्यालय में हस्तांतरणों का लेखा बही मूल्य पर किया जाता है।

(iii) क्लिंकर के इंटर यूनिट हस्तांतरण का इसकी वसूली योग्य दरों पर (सीमेंट से वर्क बैक मेथड द्वारा) हिसाब किया जाता है और ट्रांजिट में इसके नुकसान को रिसीविंग यूनिट द्वारा लागत में अवशोषित किया जाता है।

(iv) इंटर यूनिट/जोन/कॉर्पोरेट कार्यालय की शेष राशि का नियमित रूप से मिलान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.19 व्यय का वर्गीकरण

(i) अचल संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जिसमें स्टोर और स्पेयर की लागत शामिल है, उसे छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण को नीचे (पप) में दिखाये अनुसार चार्ज किया जाता है।

(ii) मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभों को इसके निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक (जैसे क्षमता में वृद्धि) से परे बढ़ाने वाले स्टोर और पुर्जों की लागत सहित अचल संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय पूंजीकृत किए जाते हैं।

(iii) वेतन और मजदूरीः संयंत्र और मशीनरी, भवन आदि की मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले वेतन और मजदूरी को सीधे वेतन और मजदूरी खाते में डाला जाता है।

(iv) अन्य विविध व्ययः पार्कों, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद पर किया गया व्यय राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है।

01.20 मौजूदा संयंत्र से सटे विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा किए गए प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले सामान्य खर्च को मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना/नई परियोजनाओं के लिए प्रभारित नहीं किया जाता है।

01.21 कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय का आवंटन

कॉर्पोरेट कार्यालय के निवल राजस्व व्यय/आय को प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों या संबंधित अनुमानों के आधार पर निर्माणाधीन सभी इकाइयों और परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹ 1000/– के 5,00,00,00 साम्या अंश (गत वर्ष 5,00,00,00)	**50,000**	50,000
प्रत्येक ₹ 1000/– के 4,00,00,00 (गत वर्ष 4,00,00,00) गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	**40,000**	40,000
	90,000	90,000
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 1000/– के 4,55,97,49 साम्या अंश पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 4,55,97,49)	**45,598**	45,598
प्रत्येक 1000/– के 3,55,43,25 (गत वर्ष 3,55,43,25) गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	**35,543**	35,543
योग	**81,141**	81,141

02.1 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के शेयरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेयर और वरीयता शेयरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिनका प्रति शेयर 1000/– रुपये का मूल्य होता है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। वरीयता शेयरधारक केवल अपने पसंद के शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के लिए पात्र है।

02.2 बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

इक्विटी शेयर	31 मार्च 2020		मार्च 31, 2019	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	–	–	–	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**4,559,749**	**45,598**	**4,559,749**	**45,598**
0.01% गैर संचयी रिडीमेबल वरीय शेयर	**शेयरों की संख्या**	**राशि**	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	–	–	–	
वर्ष के अंत में शेष राशि	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543

02.3 निगम में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण:

शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2020		मार्च 31, 2019	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
सामान्य शेयर:				
भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% गैर संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर				
भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
03	**भंडार और अधिशेष**		
	संपत्ति कोष		
	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	.	45
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां/(उपयोग)	.	45
	(क)	-	-
	लाभ/हानि विवरण में अधिशेष/(कमी)		
	पिछले वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार	(78,256)	(78,891)
	घटा : वर्ष के दौरान लाभ	(5,094)	635
	(ख)	**(83,350)**	**(78,256)**
	वर्ष के अंत में शेष राशि (क+ख)	**(83,350)**	**(78,256)**
04	**दीर्घकालिक ऋण**		
	अप्रतिभूत ऋण*		
	भारत सरकार से ऋण	15,090	15,090
	अन्तर निगमित उधर	**0**	0
	योग	**15,090**	**15,090**

ऋण एवं अन्तर निर्गमित उधार का ब्यौरा :

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	ऋण राशि	कब से चूक	2019-20 मूल	2019-20 ब्याज	2018-19 मूल	2018-19 ब्याज
1.	मै. गोवा शिपयार्ड लि.	21,25	1995	**0**	**0**	6,25	0
3.	भारत सरकार	1,50,90	1975 से	**1,50,90**	**0**	1,50,90	0
4.	भारत सरकार	0	2011 से	**0**	**1,23,85**	0	1,23,85
	योग			**1,50,90**	**1,23,85**	1,57,15	1,23,85

* मंजूरशुदा योजना के अनुसार, उपरोक्त योजनागत ऋण एवं निगमित उधार का भुगतान, गैर प्रचलन ईकाइयों की बिक्री से किया जाएगा

05	**अन्य दीर्घ–कालिक दायित्व**		
	व्यापार देय		
	एम.एस.एम.ई.	79	80
	अन्य	2,454	2,481
	प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	2,189	2,270
	ग्राहकों से अग्रिम	421	620
	बिक्री कर देय	207	209
	विद्युत	1,059	1,059
	रायल्टी देय	252	252
	भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	12,385	12,385
	अन्य देय	4,831	4,737
	योग	**23,877**	**24,093**

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
06	**दीर्घ–कालिक प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	उपदान (ग्रेच्युटी)	2,669	2,652
	अर्जित अवकाश	1,494	1,392
	निर्माणधीन पूंजीगत कार्य	11	11
	अन्य	853	799
	योग	**5,027**	**4,854**
07	**अल्प–कालिक उधार**		
	बैंकों से	-	-
	अन्य	-	-
	योग	-	-
08	**व्यापार देय**		
	एम.एस.एम.ई.	245	45
	जमा	1,974	2,004
	अन्य	0	0
	योग	**2,219**	**2,049**
09	**अन्य चालू दायित्व**		
	ग्राहकों से अग्रिम	1,165	1,558
	प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशि	1,368	1,285
	बिक्री कर देय	1,121	1,083
	विद्युत बकाया	787	1,018
	कर्मचारियों को देय	825	570
	रॉयल्टी देय	18	41
	अन्य देय	1,115	970
	योग	**6,399**	**6,525**
10	**अल्प–कालिक प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	उपदान (ग्रेचुटी)	593	730
	अर्जित अवकाश दायित्व	274	309
	अन्य प्रावधान	1,070	1,073
	बोनस	9	11
	योग	**1,946**	**2,123**

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

11 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्क्स										
फ्री होल्ड भूमि										
पट्टे की भूमि	1,338	-	-	1,338	146	-	-	146	1,192	1,192
सड़कें एवं पुलिया	162	239	-	401	158	12	-	170	231	4
संयंत्र भवन	904	-	-	904	612	40	-	652	252	292
गैर संयंत्र भवन	8,087	-	-	8,087	7,588	71	-	7,659	428	499
जल प्रदाय, मल निकास व व्ययन	856	-	14	842	609	8	14	603	239	247
रेलवे साइडिंग	1,081	-	-	1,081	941	2	-	943	138	140
विद्युत संस्थापन	3,295	-	-	3,295	1,660	102	-	1,762	1,533	1,635
संयंत्र एवं मशीनरी	1,850	11	-	1,861	1,768	1	-	1,769	92	82
हवाई रज्जु मार्ग (रोपवे)	47,113	37	-	47,150	39,548	476	-	40,024	7,126	7,565
रेलवे रोलिंग स्टॉक	706	-	-	706	672	-	-	672	34	34
खदान उपकरण	423	-	-	423	406	-	-	406	17	17
वाहन	2,519	1	198	2,322	2,383	5	188	2,200	122	136
फर्नीचर, जुड़नार	427	-	17	410	403	1	16	388	22	24
कार्यालय उपकरण	265	-	-	265	250	3	-	253	12	15
विविध उपकरण	494	7	-	501	452	7	-	459	42	42
₹ 5,000/– लागत	911	99	1	1,009	796	15	1	810	199	115
तक प्रभारित परिसम्पत्तियां	55	3	-	58	55	3	-	58	-	-
वर्क्स योग	**70,486**	**397**	**230**	**70,653**	**58,447**	**746**	**219**	**58,974**	**11,679**	**12,039**

(₹ लाखों में)

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियां समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
टाउनशिप										
फ्री होल्ड भूमि	15	-	-	15	-	-	-	-	15	15
पट्टे की भूमि	32	-	-	32	0	-	-	0	32	32
सड़कें एवं पुलिया	39	-	-	39	37	-	-	37	2	2
आवासीय एवं कल्याण भवन	1,751	-	-	1,751	1,187	19	-	1,206	545	564
जल प्रदाय, मल निकास तथा व्ययन	185	-	-	185	152	1	-	153	32	33
विद्युत संस्थापन	42	-	-	42	40	-	-	40	2	2
वाहन	122	-	-	122	116	-	-	116	6	6
फर्नीचर, फिक्सचर	19	-	-	19	17	-	-	17	2	2
कार्यालय उपकरण	4	-	-	4	4	-	-	4	0	0
विविध उपकरण	20	-	-	20	18	-	-	18	2	2
टाउनशिप योग	**2,229**	**-**	**-**	**2,229**	**1,571**	**20**	**-**	**1,591**	**638**	**658**
वर्क्स एवं टाउनशिप का योग	**72,715**	**397**	**230**	**72,882**	**60,018**	**766**	**219**	**60,565**	**12,317**	**12,697**
गत वर्ष	**69,716**	**2,999**	**-**	**72,715**	**59,298**	**720**	**0**	**60,018**	**12,697**	

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2019 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीगत	31 मार्च 2020 तक
12	**निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य**				
	यांत्रिक परामर्श	133	-	1	132
	सिविल इंजीनियरिंग कार्य	2,019	4	-	2,023
	सयंत्र एवं मशीनरी–प्रतिस्थापन के अधीन सहित	3,790	9	42	3,757
	संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	-	-	1
	प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन करना है। (संलग्न संदर्भित)	136	0	-	136
	पूँजीगत भंडार	9	-	-	9
	अन्य	160	27	-	187
	योग	**6,248**	**40**	**43**	**6,245**
	प्रावधान	436	-	-	436
	योग	**5,812**	**40**	**43**	**5,809**
*	**कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं**				
	वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	**0**			0
	योग	**0**			**0**
	बिजली				
	कुल पारिश्रमिक	1			1
	विविध व्यय	4			4
	विधिक व्यय	23			20
	सुरक्षा व्यय	0			0
	योग	**28**			**26**
	स्थानांतरण	28			26
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-			-
	योग	**0**			**0**
13	**निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (अमूर्त सम्पत्ति)**				
	सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	-	2
	योग	**2**	**0**	**-**	**2**
	प्रावधान	2	-	-	2
	योग	**-**	**0**	**-**	**0**

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2020 को खाता मूल्य	31 मार्च, 2019 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2019 को खाता मूल्य
14 : गैर चालू निवेश				
लंबी अवधि के निवेश				
लागत पर उद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i) आन्ध्र सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 31 इक्विटी शेयर @ ₹ 9.00 (गत वर्ष ₹ 8.20)	#	#	#	#
(ii) ए.सी.सी.लि. के ₹ 10 के प्रत्येक मूल्य के 280 इक्विटि शेयर (जिसमें 180 बोनस शेयर सम्मिलित हैं) जोकि ₹ 100 मूल्य के 28 शेयरों से बदले गये हैं जिनका बाजार मूल्य बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ₹ 1446.05 प्रति शेयर है। (गत वर्ष ₹ 1380.30)	3	#	5	#
लागत पर अनुद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत)				
(i) असम बंगाल सीमेंट कंपनी लि. का ₹10 का 1 इक्विटी शेयर *	-	#	-	#
(ii) जयपुर उद्योग लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 79 इक्विटी शेयर	-	#	-	#
(iii) सोन वैली सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 5 प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयर	-	#	-	#
(iv) आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन के ₹ 10 मूल्य के 55,31,520 इक्विटी शेयर (23,15,520 बोनस शेयर सहित) 16,10,680 शेयर बेच दिए गए, जिसमें 1,34,000 बोनस शेयर सम्मिलित है। ₹ 10 मूल्य के 39,20,840 शेयर शेष बचे है (21,81,520 बोनस शेयर सहित)		3,22 94 2,28	- - ———	3,22 94 2,28
उपयोग	———	2,28	———	2,28
निवेश का योग		2,28		2,28
उद्धरित निवेशों का योगफल				
लागत	-	#	-	#
बाजार मूल्य	3	-	5	-
अनुद्धरित निवेशों का योगफल				
लागत	—	2,28		2,28
गैर चालू निवेश का योग		2,28		2,28

(1) 100 रुपये के 28 शेयरों से परिवर्तित नए शेयर प्रमाणपत्रों का इंतजार है।

(2) शेयर अभी निगम के नाम हस्तांतरित किए जाने हैं।

राशि 1 लाख रुपये से कम है

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
15 दीर्घ–कालिक ऋण और अग्रिम		
पूँजीगत अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	207	207
संदिग्ध	19	19
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	19	19
उपयोग	207	207
जमा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	8	8
संदिग्ध	0	0
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधन	0	0
उपयोग	8	8
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	158	158
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,405	1,393
संदिग्ध	54	54
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	54	54
उपयोग	1,563	1,551
ठेकेदार एवम् पूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	29	22
संदिग्ध	471	471
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	471	471
उपयोग	29	22
सरकारी विभाग के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	119	119
असुरक्षित, उत्तम माने गए	170	183
संदिग्ध	151	151
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	151	151
उपयोग	289	302
बीमा व अन्य दावे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	8	5
संदिग्ध	134	134
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	134	134
उपयोग	8	5

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारियों को अग्रिम व ऋण		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	3	3
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1	1
संदिग्ध	-	-
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उपयोग	4	4
वसूली योग्य दावे–रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	13	13
संदिग्ध	406	406
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	406	406
उपयोग	13	13
वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	28	28
संदिग्ध	80	80
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	80	80
उपयोग	28	28
कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	8	8
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8	8
उपयोग	0	0
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,295	1,113
संदिग्ध	674	674
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	674	674
उपयोग	1,295	1,113
जाँच होने तक कमियाँ–हानियाँ		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
संदिग्ध	590	590
घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	590	590
उपयोग	-	-
कुल योग	3,444	3,253

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
16	अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ		
क)	**दीर्घ–कालिक व्यापार प्राप्तियाँ**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**0**	0
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**0**	0
	संदिग्ध	**15,01**	15,02
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	**15,01**	15,02
	उप योग	**0**	0
ख)	**ऋणों एवं अग्रिमों पर देय व प्रोदभूत**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**1**	1
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**38**	38
	संदिग्ध	**0**	0
	घटाएः बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	**0**	0
	उप योग	**39**	39
	योग	**39**	39
17	व्यय– अपरिशोधित व्यय		
	खनन् विकास व्यय		
	आरम्भिक शेष	**2,026**	1,931
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**175**	418
		2,201	2,349
	घटाएः समायोजित/पूंजीगत	**181**	323
	योग	**2,020**	2,026
18	चालू निवेश		
	गैर व्यापार निवेश	**0**	0
	योग	**0**	0

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
19	वस्तु सूचियाँ (प्रबंधन द्वारा बनाई गई, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)				
क)	भंडार व अतिरिक्त पुर्जे				
	–स्टाक में	6,375		6,414	
	–मार्गस्थ में	56	6,431	101	6,515
ख)	कार्य प्रगति में				
	–स्टाक में	4,104		4,122	
	–मार्गस्थ में	-	4,104	-	4,122
ग)	तैयार माल				
	–स्टाक में	659		274	
	–मार्गस्थ में	2	661	7	281
घ)	कच्ची सामग्रियाँ				
	–स्टाक में	1,188		1,012	
	–मार्गस्थ में	0	1,188	8	1,020
ङ)	खुले औजार एवं उपकरण				
	–स्टाक में	1		1	
	–मार्गस्थ में	-	1	-	1
च)	पैकिंग सामग्री				
	–स्टाक में	93		87	
	–मार्गस्थ में	-	93	-	87
छ)	कोयला				
	–स्टाक में	1,476		1,237	
	–मार्गस्थ में	-	1,476	-	1,237
ज)	स्क्रैप				
	–स्टाक में	366		288	
	–मार्गस्थ में	-	366	-	288
	उपयोग		14,320		13,551
	घटाएं: अप्राप्य वस्तु सूची का प्रावधन		11		11
	कुल		14,309		13,540
20	व्यापार प्राप्य				
क)	व्यापार प्राप्य जो छह माह से अधिक की अवधि से बकाया है				
	–सुरक्षित, उत्तम माने गए	0		.	
	–असुरक्षित, उत्तम माने गए	840		465	
	–संदिग्ध	.		.	
	घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	840	-	465
ख)	अन्य व्यापार प्राप्य:				
	–सुरक्षित, उत्तम माने गए	160		194	
	–असुरक्षित उत्तम माने गए	692		521	
	–संदिग्ध	0		0	
	घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्राप्य	-	852	-	715
	कुल		1,692		1,180

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
21 नगद और बैंक शेष		
हाथ में नगदी	**2**	1
चैक /डी.डी. हाथ में	**-**	2
बैंक शेष–चालू खाता	**689**	662
बैंक में जमा		
ग्रहणाधिकार के तहत नहीं	**5,817**	12,076
ग्रहणाधिकार के तहत	**2,625**	2,157
योग	**9,133**	14,898

* बैंकों में जमा राशि में,₹ 1674 लाख (गत वर्ष₹ 938लाख) की जमा जिसकी मैच्युरटी तारीख 12 महीनों से ज्यादा है, भी सम्मलित है।

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
22	**अल्पकालिक ऋण और अग्रिम**		
a)	**पूंजीगत अग्रिम**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**-**	-
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**-**	-
	संदिग्ध	**-**	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	**-**	-
	उपयोग	**-**	-
b)	**जमा : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**22**	74
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**18**	18
	संदिग्ध	**-**	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	**-**	-
	उप कुल	**40**	**92**
c)	**जमा : अन्य**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**-**	-
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**460**	541
	संदिग्ध	**-**	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	**-**	-
	उप कुल	**460**	541
d)	**ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**-**	-
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**333**	640
	संदिग्ध	**-**	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	**-**	-
	उप कुल	**333**	640
e)	**सरकारी विभागों के साथ शेष**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	**288**	272
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	**1,227**	828
	संदिग्ध	**-**	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	**-**	-
	उप कुल	**1,515**	1,100

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
f)	**बीमा एवं अन्य क्लेम**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	7	6
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	87	53
	संदिग्ध	0	0
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	-	-
	उप कुल	**94**	**59**
g)	**कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	8	8
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	-	-
	उप कुल	**8**	**8**
h)	**वसूली योग्य दावे–रेलवे**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	-	-
	उप कुल	**0**	**0**
i)	**उत्पाद शुल्क वसूली योग्य राहत**		
	सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
	असुरक्षित, उत्तम माने गए	52	52
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदो के लिए प्रावधान	-	-
	उप कुल	**52**	**52**
j)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**		
	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	9	24
	असुरक्षित, माना अच्छा	9	14
	संदिग्ध	0	0
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	0	0
	उप कुल	**18**	38
k)	**बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य**		
	सुरक्षित, अच्छा माना	–	–
	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	456	741
	संदिग्ध	–	–
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	–	–
	उप कुल	**456**	741
l)	**कमी, नुकसान की जांच पड़ताल**		
	सुरक्षित, अच्छा माना	–	–
	असुरक्षित, माना अच्छा	–	–
	संदिग्ध	–	–
	कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	–	
	उप कुल	–	–
	कुल	**2,976**	3,271

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
23	**अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ**				
	मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज		382		675
	योग		382		675
24	**अन्य आय**				
	बजटीय समर्थन के तहत धनवापसी		262		439
	सम्पत्ति से किराया		3,483		2,779
	बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज		812		1,071
	टाउनशिप से प्राप्तियाँ		40		46
	अन्य		47		53
	अधिक प्रावधान वापसी		168		2,431
	विविध आय		65		237
	परित्यक्त संपत्ति की बिक्री पर लाभ		25		-
	योग		4,902		7,056
25	**उपभुक्त कच्चे माल की लागत**				
	प्रारम्भिक शेष		1,012		884
	वर्ष के दौरान अर्जन				
	चूना पत्थर की खनन एवं परिवहन (*नीचे दी गई टिप्पणी को संदर्भित करें)	2,790		3,256	
	अन्य कच्चे माल की खरीद	2,179		901	
	कच्चे माल का समायोजन	0	5,981	-	5,041
	घटाएं : अंतिम रहतिया		1,188		1,012
	कुल उपभुक्त कच्चा माल		4,793		4,029
	***टिप्पणी–चूना पत्थर की खनन तथा परिवहन**				
	चूना पत्थर की खनन तथा ठेकेदारों को किया गया भुगतान		592		874
	कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं				
	वेतन, मजदूरी एवं बोनस	371		423	
	उपदान भुगतान	103		79	
	कर्मचारियों को सुविधाएं	0		0	
	भविष्य निधि में अंशदान	23		27	
	पैंशन निधि में अंशदान	7		8	
	छुट्टियों का नकदीकरण	32		26	
	चिकित्सा खर्च	5		7	
	उपदान के लिए प्रावधान	2		-	
	अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4	547	-	570
	उपभुक्त भण्डार				
	सकल राशि	183		218	
	घटाएं : मरम्मत में सम्मिलित	22	161	31	187
	विद्युत	72		66	
	ईंधन	85		84	
	दर एंव कर	21		24	

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
संविदा श्रमिकों का भुगतान	**342**		349	
रॉयल्टी एवं उपकर	**871**		1,088	
बट्टे खाते में डाला गया खदान विकास व्यय	**181**		323	
यात्राा व्यय	**4**		4	
अन्य व्यय	**22**		60	
मूल्यह्रास	**45**	**1,643**	14	2,012
मरम्मत मशीनरी	**18**		20	
अन्य	**4**	**22**	11	31
उपयोग		**2,965**		3,674
घटाएं : खदान विकास व्यय		**175**		418
योग		**2,790**		3,256
26 तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन				
अर्द्ध तैयार माल				
प्रारम्भिक स्टॉक	4,122		3,641	
अंतिम स्टॉक	4,104	18	4,122	(481)
तैयार माल				
प्रारम्भिक स्टॉक	274		1,109	
अंतिम स्टॉक	659	(385)	274	835
तैयार माल मार्गस्थ				
प्रारम्भिक स्टॉक	7		88	
अंतिम स्टॉक	2	5	7	81
स्क्रैप रहतिया				
प्रारम्भिक स्टॉक	288		282	
अंतिम स्टॉक	366	(78)	288	(6)
योग–उपचय / (अनुपचय)		**(440)**		**429**
27 कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ				
वेतन, मजदूरी एवं बोनस		3,670		4,005
उपदान भुगतान		528		749
कर्मचारियों को हितलाभ		6		9
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान		326		408
भविष्य निधि में अंशदान		290		292
पैंशन निधि में अंशदान		60		70
चिकित्सा खर्चे		207		240
छुट्टियों का नकदीकरण		74		1
उपदान के लिए प्रावधान		60		43
कर्मचारी कल्याण व्यय		269		253
उपयोग		**5,490**		**6,070**
कमः कर्मचारी लाभ व्यय IEDC को हस्तांतरित		0		0
योग		**5,490**		**6,070**

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
28 अन्य व्यय				
विद्युत	5,566		5,975	
कोयला	7,455		8,551	
ईंधन तथा तेल	3		7	
किराया	33		20	
दर एवं कर	121		100	
बीमा	23	13,201	22	14,675
मरम्मत एवं रख रखाव				
संयंत्र एवं मशीनरी	1,534		1,472	
भवन	165		161	
अन्य	225	1,924	276	1,909
अन्य उत्पादन व्यय		1,266		795
बट्टे खाते में डाले गये औजार एवं उपकरण		0		0
यात्रा व्यय		102		127
बिक्री व्यय				
सीमेंट का भाड़ा	1,785		2,400	
चढ़ाई–उतराई खर्चे	134		132	
द्वितीयक परिवहन	86		91	
गोदाम व्यय	27		23	
बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	7	2,039	1	2,647
अन्य बिक्री व्यय		28		35
वाहनों का परिचालन व्यय				
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क	8		8	
खर्चों की प्रतिपूर्ति	2		0	
अन्य क्षमता में	2	12	4	12
लागत लेखा परीक्षा फीस	1		1	
लागत लेखा परीक्षा व्यय	0	1	0	1
सी. आर. आई तथा अन्यों को अंशदान		9		11
स्थायी सम्पत्ति के निपटान से हानि				
संचार व्यय		21		28
मुद्रण तथा लेखन सामग्री व्यय		19		29
डाटा प्रोसेसिंग पर भाड़ा प्रभार		11		3
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय		196		200
सुरक्षा व्यय		703		689
कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण व्यय		147		116
*विविध व्यय		1		3
संविदा श्रमिकों को भुगतान		565		423
बन्द योजना पर व्यय		1,250		1,291
बटटे खाते का प्रावधान		26		28
विगत वर्षों का व्यय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख के संदर्भित)		13		0
निगमित सामाजिक दयित्व		5		84
भंडार एवं पुर्जों की खपत		44		3
उप योग		1,885		1,756
घटाएं : मरम्मत तथा रख रखाव के अधीन सम्मिलित	1,206	679	1,227	529
पैकिंग सामग्री		809		943
योग		**23,071**		**24,581**

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कमः IEDC को हस्तांतरित बिजली खर्च		1		0
कमः कानूनी और व्यावसायिक व्यय IEDC को हस्तांतरित		4		4
कमः IEDC को हस्तांतरित सुरक्षा व्यय		20		23
कमः विविध खर्च IEDC को हस्तांतरित		1		1
योग		**23,045**		**24,553**
*सम्मिलित :				
–मनोरंजन व्यय		**0**		0
–निदेशक उपस्थिति फीस		**0**		1
29 वित्त संबंधी लागतें				
–स्टाकिस्टों से जमा पर		**-**		-
–अन्य		**-**		-
योग		.		.
30 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय				
मूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास /परिशोधन		766		720
कमः खदान विकास के लिए आवंटित		45		14
कमः पूर्व अवधि के लिए प्रभारित राशि		1		71
योग		720		365
कमः मूल्यह्रास IEDC को हस्तांतरित		0		0
योग		**720**		**635**
31 आपवादिक, असाधारण एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन				
31ए आपवादिक मदें				
आय				
ब्याज एवं अन्य की छूट		**-**		1,512
एसेट्स की बिक्री पर लाभ		**-**		-
उप योग		**-**		1,512
व्यय:				
खनन पट्टा किराए पर ब्याज		1,321		**-**
उप योग		1,321		-
शुद्ध असाधारण आय/(व्यय)		(1,321)		1,512
31बी विगत वर्षों के मद				
आय				
ब्याज	**36**		-	
अन्य	14	50	3	3
योग		**50**		**3**
व्यय				
मरम्मत एवं रख रखाव	-		3	
भण्डार एवं पैकिंग सामग्री	-		1	
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-		0	
दर एवं कर	6		4	
रॉयल्टी	9		-	
बोनस	-		1	
मूल्यह्रास	1		71	
अन्य	39	55	7	87
शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय (i-ii)		**(5)**		(84)

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

31.3.2020 को समाप्त वर्ष का प्रचालन एवं गैर–प्रचालन के आय और व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित		गैर–प्रचालित		योग	
	2019–20	2018–19	**2019–20**	2018–19	**2019–20**	2018–19
क) आयः–						
बिक्री (शुद्व)	24,762	27,666	-	-	24,762	27,666
अन्य प्रचालित आय	110	117	61	-	171	117
अर्द्ध तैयार तथा तैयारमाल की उपचय (अनुपचय)	442	(429)	(2)	-	440	(429)
कुल आय	**25,314**	**27,354**	**59**	-	**25,373**	**27,354**
ख) व्ययः–						
प्रचालित व्यय	33,143	35,084	905	203	34,048	35,287
कुल व्यय	**33,143**	**35,084**	**905**	**203**	**34,048**	**35,287**
ग) प्रचालन गतिविधियों से एवम् ब्याज व कर पूर्व लाभ	**(7,829)**	**(7,730)**	**(846)**	**(203)**	**(8,675)**	**(7,933)**
ब्याज खर्च	0	0	0	0	0	0
घ) कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(7,829)**	**(7,730)**	**(846)**	**(203)**	**(8,675)**	**(7,933)**
ड) आय कर	**0**	0	**0**	0	**0**	0
च) कर पूर्व, प्रचालन गतिविधियों से लाभ/(हानि)	**(7,829)**	**(7,730)**	**(846)**	**(203)**	**(8,675)**	**(7,933)**
छ) अन्य आय	3,262	5,300	1,640	1,756	4,902	7,056
ज) आपवादिक मदें–आय/(व्यय)	-	1,118	(1,321)	394	(1,321)	1,512
झ) आसाधरण मदें–आय/(व्यय)	**0**	0	**0**	0	**0**	0
ञ) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)	**(4,567)**	**(1,312)**	**(527)**	**1,947**	**(5,094)**	**635**

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
32	आकस्मिक दायित्वों और प्रतिबद्धताएँ (उस सीमा तक जिस तक उपबंध नहीं किया है।)		
अ)	आकस्मिक दायित्वः		
	क) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है		
1	आयकर की मांग	9	32
2	तादूर व बोकाजन ईकाई हेतु बिक्रीकर मांग	814	814
3	बोकाजन विस्तार अनुबंध	12,648	11,200
4	मध्यस्था मामला–नोरटन पोलीमर लि.	751	751
5	मण्डार एवं अकलतरा हेतु टी.एम.सी.	1,152	1,152
6	तादूर हेतु विद्युत व्हीलिंग प्रभार	17,637	14,386
7	अन्य, विविध मामले	6,452	9,456
	ख) ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	**0**	0
	योग (अ)	**39,463**	**37,791**
ब)	प्रतिबद्धताएँः–		
	क) पूँजीगत लेखा निष्पादित किए जाने के लिए शेष सभी सविदाओं की अनुमानित रकम जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है।	270	11,640
	ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विनिर्दिष्ट प्रकृति)	0	0
	योग (ब)	**270**	**11,640**
	योग (अ+ब)	**39,733**	**49,431**

(क) कर्मचारियों के सेवा मामले आदि के लिए क्षतिपूर्ति/पदोन्नति/दावों के लिए विभिन्न अदालतों में लंबित(अनिर्णीत) मामलों के प्रभाव को खातों में नहीं दिया गया है क्योंकि राशि अभी निश्चित नहीं है।

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
33 मात्रात्मक विवरणी				
1. वास्तविक उत्पादन				
1.1 पोर्टलैंड सीमेंट				
साधारण	446,947	मी. टन	526,057	मी. टन
पोजोलाना	137,637	मी. टन	108,265	मी. टन
योग	**584,584**	मी. टन	**634,322**	मी. टन
2 क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पादन)	492,960	मी. टन	603,890	मी. टन
2.1 क्लिंकर क्रय	34,282	मी. टन	0	मी. टन
3. सीमेन्ट प्रेषण	576,953	मी. टन	650,537	मी. टन
4. आरम्भिक रहतिया				
कारखाने में रहतिया				
सीमेंट– ओ पी सी	2,300	99	16,784	617
सीमेंट– पी पी सी	1,803	70	3,533	140
डम्प में रहतिया				
सीमेंट– ओ पी सी	2,238	98	9,200	352
सीमेंट– पी पी सी	0	**0**	0	0
मार्गस्थ				
सीमेंट– ओ पी सी	160	7	2,787	88
सीमेंट– पी पी सी	0	**0**	0	0
मार्गस्थ				
सैट सीमेंट / क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट– ओ पी सी	5,089	7	4,888	-
सीमेंट– पी पी सी	3,016	-	3,016	-
योग	**14,606**	**281**	**40,208**	**1,197**
क्लिंकर	160,235	3,258	161,324	3,169
क्लींकर (क्रय)	0	0	0	0
योग	**160,235**	**3,258**	**161,324**	**3,169**
5. बिक्री स्वयं उपभोग / अन्तरण सहित				
क) सीमेंट – ओ पी सी	476,594	19,776	549,695	22,675
ख) पी पी सी	97,265	4,964	109,988	4,655
ग) स्वयं उपभोग – ओ पी सी	1	-	0	-
घ) – पी पी सी	68	-	40	-
ड) सीमेंट – निर्यात	22	1	193	11
ड) स्वयं की खपत पीपीसी	-	-	8	0
योग	**573,950**	**24,741**	**659,924**	**27,341**
च) क्लिंकर	517	21	11,646	325
6. क. अंतिम रहतिया				
कारखाने में रहतिया				
सीमेंट – ओ पी सी	9,786	334	2,300	99
सीमेंट – पी पी सी	1,947	93	1,803	70
डम्प में रहतिया				
सीमेंट – ओ पी सी	4,208	205	2,238	98
सीमेंट – पी पी सी	0	0	0	0
मार्गस्थ				

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
सीमेंट – ओ पी सी	30	2	160	7
सीमेंट – पी पी सी	0	0	0	0
सैट/क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट – ओ पी सी	6,253	27	5,089	7
सीमेंट – पी पी सीा	3,016	-	3,016	-
योग	**25,240**	**661**	**14,606**	**281**
ख. अन्तिम रहतिया				
क्लिंकर	140,598	2,945	160,235	3,258
क्लिंकर (खरीद)	1	0	-	-
उप योग	**140,599**	**2,945**	**160,235**	**3,258**
7. अन्य				
पारगमन के दौरान क्लिंकर की कमी	–	–	–	–
सीमेंट स्क्रैप के रूप में बेचा गया	–	–	–	–
माक्लिंकर स्क्रैप के रूप में बेचा गया	–	–	–	–
योग	–	–	–	–
8. क्लिंकर : सीमेंट ग्राइडिंग में प्रयुक्त	546,361	18,660	593,333	19,730
9. उपयुक्त कच्चा माल				
चूना पत्थर	722,767	2,786	881,561	2,974
लैटराइट	2,054	10	3,739	17
लौह अयस्क	10,445	369	16,667	491
जिप्सम	12,363	260	11,108	260
शैल	19,219	48	33,344	104
फ्लाई ऐश	29,474	276	26,941	152
जली हुई मिट्टी	169	1	329	2
अन्य	22,499	80	22,539	29
क्लिंकर (खरीद)	34,281	963	0	0
उपभुक्त कच्चे माल का योग		**4,793**		**4,029**
9. आयातित माल का मूल्य जिसको सी.आई.एफ. आधार पर गुणित किया गया				
क) कच्चा माल	0	0	0	0
ख) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	0	0	0	0
ग) पूंजीगत माल	0	0	0	0
	0	**0**	0	0
10. वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी आयातित कच्चे माल अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटकों का मूल्य तथा इसी प्रकार वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी देशी कच्चे माल, संघटकों का मूल्य तथा प्रत्येक का कुल उपभोग का%				
आयातित	1%	35	1%	47
स्वदेशी	99%	6,643	99%	5,738
योग	100%	**6,678**	100%	**5,785**

31 मार्च, 2020 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

34 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियां

34.01 निगम द्वारा 1,04,455 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,04,461 लाख रुपए) के दावे/प्रति दावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता/ के लिए लंबित हैं, और इनका परिणाम केवल निर्णय/डिक्री आदि पर ही जाना जाएगा। इसलिए इनके प्रभाव को लेखों में नहीं दिया गया है।

34.02 i) आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत, आकलन वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए क्रमशः 88,501 लाख रुपए और 8,799 लाख रुपए की आय का आकलन किया और उसे आगे लाए गए नुकसान के साथ समायोजित किया। परिणामस्वरूप, कंपनी का आकलन घाटा घटकर 97,300 लाख रुपए रह गया। कंपनी ने अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने मामले को निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया था। नतीजतन, गैर–संचालित इकाइयों के संयंत्र और मशीनों पर मूल्यह्रास की अनुमति न देने के कारण निर्धारण अधिकारी ने कुल आय को 8,852 लाख रुपए कर दिया। इसलिए, कंपनी का निर्धारित नुकसान अब 54 लाख रुपए कम हो गया है, जिससे संचयी अग्रेषित हानि 97,353 लाख रुपए हो गई है। कंपनी ने 54 लाख रुपए की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की है और यह अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित है।

ii) वर्ष 2010 में मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर (ठेकेदार) को सिलचर यूनिट सहित बोकाजन के विस्तार का ठेका 18208 लाख रुपए में दिया गया था। मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य आदेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने 12,648 लाख रुपए के ठेकेदारों के दावे के विरुद्ध सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के लिए 92,900 लाख रुपए के नुकसान/क्षति के लिए प्रतिवाद भी दर्ज किया। पार्टी को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसके अलावा, परियोजना को जोखिम और लागत के आधार पर पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

34.03 1.06 एकड़ (मंधार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) और 155.83 एकड़ (नयागांव) और 58.81 एकड़ (आदिलाबाद) के लीज पट्टा के लिए मालिकाना हक निष्पादित होना अभी बाकी है। डीएचआई ने परिचालन न करने वाली इकाइयों के विनिवेश के लिए निर्देश दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग यूनिट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ लीज होल्ड भूमि आवंटित की।

डीडीए ने अपने 11–04–2017 तारीख के पत्र द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सीसीआई की 14.20 एकड़ की लीज होल्ड भूमि को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को हस्तांतरित कर दिया। 14.20 एकड़ भूमि की लागत अब 'बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य' को हस्तांतरित कर दी गई है क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। डीएचआई ने 2018 में पत्र द्वारा सीसीआई को पैसे के मामले में मुआवजे के लिए एसडीएमसी के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। नीति आयोग में दिनांक 16.05.2019 की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई। रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए सीसीआई को आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दी गई थी। रेलवे साइडिंग का लंबित निर्माण कार्य, साइडिंग सहित भूमि अभी तक सीसीआई को नहीं सौंपी गई है।

34.04 खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 दिनांक 03–12–2015 के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया माना जाता है। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टों को स्वीकृत माना जाता है और अभी भी वैध है।

34.05 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक

32 गुंटा का सड़क के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके लिए राजस्व विभाग से हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा की जाती है, इसके लिए प्रावधान, यदि कोई हो, लेखों में नहीं किया गया है।

34.06 स्वर्गीय श्री आर. के. डालमिया द्वारा धारित विभिन्न कंपनियों के शेयर (37.79 लाख रुपए का अंकित मूल्य), और उनके द्वारा लिए गए 214.00 लाख रुपए के ऋण के विरुद्ध तत्कालीन डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास सुरक्षा के रूप में रखे गए, शेयरों पर पिछले वर्षों में कब्जा कर लिया गया है। हालांकि इन शेयरों का मूल्य 2.80 लाख रुपए (वसूली योग्य मूल्य पर) था, लेकिन उन्हें संदिग्ध माना गया और तदनुसार विगत वर्षों में प्रावधान किया गया।

34.07 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय भवन की 266.58 लाख रुपए की लागत को, 5.70 लाख रुपए की विद्युत स्थापना को छोड़कर, मूल्यह्रास के माध्यम से अस्थायी रूप से परिशोधित किया जा रहा है, इसे मालिक माना जा रहा है। हालांकि, निगम के पक्ष में लीज पट्टा का निष्पादन लंबित है।

34.08 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पत्र संख्या एसईसी/84/96/513 दिनांक 25–04–96 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अंतर्गत एक संदर्भ दिया गया था। माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बेंच IV एसओएल दिनांक 8–8–96 द्वारा कंपनी को बीमार घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने 21–03–2006 को आयोजित अपनी सुनवाई में मेसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा 03–05–2006 को परिचालित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 परिचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 परिचालन न करनेवाली संयंत्रों को बंद करने/बिक्री की परिकल्पना की गई थी। माननीय बीआईएफआर के बंद होने के बाद, डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसार डीएचआई के माध्यम से परिचालन न करनेवाली इकाई की बिक्री की जाती है। निर्देश के अनुसार परिचालन न करनेवाली इकाइयों की बिक्री दो चरणों में की जानी है, जिसके लिए परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता, लेनदेन सलाहकार और कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। पांच इकाइयों के लिए पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) तैयार किया गया है। नयागांव यूनिट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित हो चुकी है। इसलिए, नयागांव विस्तार (1 मिलियन टन संयंत्र) की संपत्ति और देनदारियां, संचालन से संबंधित प्रत्यक्षता के रूप में पहचानी गई सीमा तक, 01–04–2019 से नयागांव सीमेंट फैक्ट्री को स्थानांतरित कर दी गई हैं। इसी तरह, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नयागांव सीमेंट फैक्ट्री की देनदारियों को नयागांव विस्तार (1 मिलियन टन प्लांट) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

34.09 (i) जब इस तरह के भुगतान किए जाते हैं और ऐसी रियायतें/राहतें बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाती हैं या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त होता है, जैसा भी मामला हो, तब लेनदारों, राज्य सरकारों, अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के संबंध में राहत और रियायतों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

(ii) भारत सरकार से1975 से योजना ऋण (ब्याज मुक्त) 15,090 लाख रुपए (पिछले वर्षः 15,090 लाख रुपए) की राशि स्वीकृत योजना माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा दिनांक 03–05–2006 को दी गई मंजूरी के अनुसार सात गैर–ऑपरेटिंग इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय से चुकाई जाएगी। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर योजना ऋण पर 12,385 लाख रुपए की ब्याज अर्जित राशि को 01.04.2011 से रोक दिया गया है। कंपनी इस के पुनर्भुगतान में चूक कर रही है। ब्याज का भुगतान परिचालन न करनेवाली इकाइयों की बिक्री की आय से किया जाएगा।

34.10 निम्नलिखित इकाइयों में प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों से उत्पादन बंद कर दिया गया हैः

क्र.स.	ईकाई का नाम		से बन्द
1)	मंडार	छत्तीसगढ़	06.06.1996
2)	चरखीदादरी	हरियाणा	14.08.1996
3)	अकलतारा	छत्तीसगढ़	09.12.1996
4)	नया गांव, नया गांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30.06.1997

5)	कुर्कन्टा	कर्नाटक	01.11.1998
6)	अदिलाबाद	तेलंगाना	05.11.1998
7)	क. दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट	दिल्ली	08.02.1999
	ख. भटिंडा ग्राईडिंग यूनिट	पंजाब	चालू नहीं किया गया

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार मसौदा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा 21–03–2006 को हुई सुनवाई में अनुमोदित किया गया था और स्वीकृत योजना 03–05–2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और बंद करने/उपरोक्त 7 परिचालन न करनेवाली इकाइयों की बिक्री की परिकल्पना की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी तरह, बोकाजन, राजबन और तांदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की आशा है। इसलिए, किसी भी संभावित हानि का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, लेखों में हानि के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

34.11 येरागुंतला यूनिट के संबंध में एमओयू/बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार एसबीआई कैप्स, मर्चेंट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मेसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ लंबित सुलह और पुष्टि, बिक्री की तारीख को अर्जित होने वाली आवश्यक देनदारियों पर पहले ही लेखों में विचार किया जा चुका है।

34.12 पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के दौरान, 22–03–2007 को 35,543 लाख रुपए का गैर–संचयी वरीयता शेयर सात वर्षों के लिए जारी किया गया था, कैबिनेट/बीआईएफआर निर्देश के अनुसार मंत्रालय से वरीयता शेयर के पुनः जारी करने पर विस्तार मांगा गया है।

34.13 आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में आस्थगित कर आस्तियों/दायित्वों को मान्यता नहीं दी जाती है।

34.14 देनदारियों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के लिए, इसकी प्रकृति के अलावा स्वीकृत योजना में निहित शर्तों को ध्यान में रखा गया है।

34.15 निगम के व्यवसाय की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक–17 के अंतर्गत रिपोर्टिंग खंड लागू नहीं है।

34.16 लेखा मानक–29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पणी 6 और 10 देखें।

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेष		वर्ष के दौरान भुगतान एवं समायोजन		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में शेष	
वर्ष	**वर्तमान वर्ष**	गत वर्ष	**वर्तमान वर्ष**	गत वर्ष	**वर्तमान वर्ष**	गत वर्ष	**वर्तमान वर्ष**	गत वर्ष
ग्रेच्यूटी	**3382**	3890	**199**	551	**79**	43	**3262**	3382
बोनस	**11**	11	**3**	3	**1**	3	**9**	11
जारी पूंजी कार्य	**11**	11	–	–	–	–	**11**	11
ई.एल. दायित्व	**1701**	1918	**11**	220	**78**	3	**1768**	1701
अन्य	**1872**	4661	**394**	3836	**445**	1047	**1923**	1872

34.17. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय ब्याज का विवरण।

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गतवर्ष
1	लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि	**324**	125
2	लेखा वर्ष के अंत में उस पर आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज की बकाया राशि	**353**	339
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि	–	–
4	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) लेकिन अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	–	–
5	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और लेखा वर्ष के अंत में बकाया राशि।	**14**	14
6	बाद के वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि उस तारीख तक जब तक अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से छोटे उद्यमों को उपरोक्त के रूप में बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान किया जाता है।	**353**	339

34.18 लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी का लाभ

निगम ने कर्मचारी लाभ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखा मानक 15 को अपनाया है:

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग ट्रस्ट को पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के निश्चित योगदान का भुगतान करता है जो धन का अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के सदस्यों के योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। भविष्य निधि ट्रस्ट का नुकसान, यदि कोई हो, उसे निगम द्वारा वहन किया जाता है।

ii) ग्रेच्युटी

निगम की एक परिभाषित ग्रेच्युटी योजना है। ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय है जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि संचित किया है। छुट्टी नकदीकरण के दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ

निगम के पास सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में बंदोबस्त की एक योजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि और तुलन–पत्र के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों का सारांश निम्नानुसार है:

(क) लाभ हानि खाते में खर्चों की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2020	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019
क	वर्तमान सेवा लागत	**150.01**	143.37	**128.29**	115.26	**0.79**	0.77
ख	व्याज लागत	**248.09**	290.80	**127.93**	146.59	**1.29**	1.52
ग	अवधि में शुद्ध (वृद्धि) हानि की बीमांकक मान्यता	**113.15**	(156.71)	**157.73**	(80.78)	**0.11**	(0.72)
घ	लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्चे	**511.25**	277.46	**413.95**	181.07	**2.19**	1.57

(ख) तुलन पत्र में रकम की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2020	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	**3148.62**	3268.71	**1754.04**	1685.53	**15.88**	17.04
ख	निधि स्थिति / अन्तर	**(3,148.62)**	(3,268.71)	**(1,754.04)**	(1,685.53)	**(15.88)**	(17.04)
ग	तुलनपत्र में शुद्ध परिसपंतियों/ (देयताओं) की मान्यता	**(3,148.62)**	(3,268.71)	**(1,754.04)**	(1,685.53)	**(15.88)**	(17.04)

(ग) वर्तमान मूल्य की बाध्यता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2020	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019
क	अवधि के प्रारम्भ में वर्तमान मूल्य बाध्यता	**3268.70**	3776.74	**1685.54**	1903.77	**17.04**	19.74
ख	ब्याज लागत	**248.09**	290.81	**127.93**	146.59	**1.29**	1.52
ग	प्रचलित सेवा लागत	**150.01**	143.37	**128.29**	115.26	**0.79**	0.77
घ	हित भुगतान	**(631.33)**	(785.50)	**(345.45)**	(399.31)	**(3.35)**	(4.27)
ड.	बीमांकक (वृद्धि) हानि पर बाध्यता	**113.15**	(156.71)	**157.73**	(80.78)	**0.11**	(0.72)
च	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	**3148.62**	3268.71	**1754.04**	1685.53	**15.88**	17.04

(घ) वर्तमान अवधि के लिए राशि

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2020	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019	**31.3.2020**	31.3.2019
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	**3148.62**	3268.71	**1754.04**	1685.53	**15.88**	17.04
ख	ब्याज लागत	**(3,148.62)**	(3,268.71)	**(1,754.04)**	(1,685.53)	**(15.88)**	(17.04)

(ड) बीमांकक कल्पना

क्र. सं.	विवरण	31–03–2020 को
क	सेवानिवृति आयु	60 वर्ष
ख	आयु	वापसी दर : %
		30 वर्ष तक – 00.00
		31 वर्ष से 44 वर्ष – 1%
		44 वर्ष से उपर – 1%
ग	स्थिति दर	6.69%
घ	भविष्य वेतन वृद्धि	6.00%
ड.	योजनागत परिसम्पितियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य

34.19 अग्रिमों, देनदारों एवं लेनदारों आदि के अन्तर्गत दर्शाई गई बकाया राशि पुष्टि/पुनर्मिलान के अध्यधीन है। इनमें कुछ पुरानी बकाया राशियाँ, लम्बित जाँच और समायोजन शामिल है। इसके पूरे होने पर इनकी आवश्यक गणना की जाएगी।

34.20 कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित समाजिक दायित्वों (सी.एस.आर.) के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु किये गए निम्नलिखित व्यय को संक्षिप्त विवरणी व खातों को नोट संख्या 28 में दिखाया गया है।

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क)	निगम का पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ हानि	**2222**	3794
(ख)	निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन उपरोक्त का 2%)	**44**	76
(ग)	नीचे दिये अनुसार वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	**44**	3
(घ)	खर्च नहीं की गई राशि (ख–ग)	**0**	73

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण *(₹ लाखों में)*

क्रम सं.	विवरण	नगद		अभी तक नगद में किया गया भुगतान		जोड	
		वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष
क)	किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
बी)	उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर						
i)	स्कूल में वाटर पंप	-	0	-	-	-	0
ii)	हिडिप्पी में स्कूल का नवीनीकरण	-	3	-	-	-	3
iii)	पीएम केयर्स और राज्य सरकार। फंड	44	-	-	-	44	-
	कुल	**44**	**3**	-	-	**44**	**3**

34.21 ''कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में ''सम्बन्धित पार्टी खुलासा'' लेखा मानक 18 के अनुसार प्रबंधन यह प्रमाणित करता है कि वर्ष के दौरान कोई भी सम्बन्धित लेनदेन नहीं हुआ है। संबंधित पार्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

₹ लाखों में

क्रम. सं.	मुख्य व्यक्ति का नाम	पद	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.	श्री बी.वी.एन. प्रसाद*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35	31
2.	श्री एस. शक्तिमनी	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	32	28
3.	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	16	15
4.	श्री मनोज मिश्रा#	पुर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0	32

*निदेशक (एचआर) 29.12.2019 तक और 30.12.2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त #30.09.2018 को सेवानिवृत्त हुए #इसके अलावा) सी एंड एमडी और पूर्णकालिक निदेशकों को भी 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह तक गैर–ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी के वाहन का उपयोग करने की अनुमति है–

34.22 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 के अनुसार कम्पनी का प्रतिर्जन शेयर (अंश) निम्नलिखित है।

क्रम.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
क)	वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (लाख)	(5,094)	635
ख)	कमः असाधारण/अपवाद आइटम (लाख) तक	(1,321)	1512
ग)	कमः गैर–संचयी वरीयता शेयरों (लाख) पर लाभांश	4	4
घ)	इक्विटी शेयर धारकों (लाख) के कारण कर के बाद शुद्ध लाभ	(3,777)	(881)
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया शेयर की संख्या	4559749	4559749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹)	1000	1000
च)	प्रति शेयर मूल्य (₹)	(83)	(19)
छ)	मूल और पतला आय प्रति शेयर (₹)	(83)	(19)

34.23 पिछले वर्ष के आंकड़ों को विभाजित किया गया है और चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, फिर से इकट्ठा किया गया है।

यह हमारी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुशील जीतपुरया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 500062 एन

ह0
(सी ए लव भाटिया)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 014290

ह0
(बी वी एन प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह0
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0
(मनोज कुमार पात्रा)
अपर मुद्रा प्रबंधक (वित्त)

दिनांक : 07.12.2020
स्थान : नई दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली– 110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI- 110 002

संख्या: एएमजी-III/2(48)/वार्षिक खाते/CCI/(2019-20)/2020-21/285

दिनाँक: 05/02/2021

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
कोर-5 स्कोप काम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित की जा रही है। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाये।

भवदीय,

C. Nedunchezhian

(सी. नेडून्चेलियन)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाश / Phone:- +91-11-23702357, फैक्स / Fax:+91-11-23702359, E-mail:pdaica@cag.gov.in

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 20स3 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के 143(10) धारा के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा दिनांक 29.01.2021 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत बताया गया है, जो उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 07.12.2020 और 20.01.2021 का स्थान लेता है।

मैंने भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे पांच लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्ताव या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है) ।

भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(सी नेदुनचेझियन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग और कॉर्पोरेट कार्य)

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः05/02/2021

हमारे कर्मचारी–हमारी सबसे बड़ी संपत्ति

कर्मचारी कंपनी के दिल की धड़कन हैं।

सीसीआई के पास पूरे भारत में 500 से अधिक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम है, जो कंपनी की बेहतर उत्पादकता के लिए चौबीसों घंटे मेहनत करते हैं। सीसीआई ने टीम के वैज्ञानिक नियोजन, अधिग्रहण, उपयोग, प्रशिक्षण और प्रेरणा में प्रगतिशील नीतियों को अपनाया है। सीसीआई में, हर कोई मायने रखता है; प्रत्येक व्यक्ति कंपनी की सफलता में कुछ न कुछ योगदान करता है।

हमारे कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। सीसीआई का मानना है कि लोगों में निवेश से संगठन के निष्पादन में सुधार होता है और विकासशील कर्मचारी उन्हें बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरकों में से एक है।

सीसीआई का मानना है कि कर्मचारियों की संतुष्टि और कंपनी के वित्तीय निष्पादन के बीच सदैव एक आर्थिक संबंध होता है। एक सानंद कार्यस्थल संस्कृति बेहतर स्टॉक रिटर्न में परिवर्तित हो जाती है।

सानंद कर्मचारी = सानंद ग्राहक = सानंद हितधारक

सीसीआई में मानव संसाधन नीतियां अत्यधिक प्रेरित, जीवंत और स्व–चालित टीम बनाने के मूल सिद्धांत के इर्द–गिर्द घूमती हैं। कंपनी प्रत्येक कर्मचारी की देखभाल करती है और समय–समय पर उन्हें मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली है। चूंकि, सीसीआई समानता में विश्वास करती है, इसलिए महिला कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक समानता पर कार्यक्रम शामिल हैं।

"मानव संसाधन" एक उद्यम के लिए महत्वपूर्ण और खास हैं और कुल धारित संसाधनों का एक प्राथमिक खंड बनाते हैं। "मानव संसाधन" का एक अजीब पहलू यह है कि इनमें अनंत क्षमताएं होने पर भी इस संसाधन से जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है जो प्रायः हिमशैल के शिखर के समान होता है, जिसका उचित दोहन नहीं हो पाता है। इसलिए, 'वास्तविक' और 'संभावित' "मानव संसाधन" के बीच की खाई को बढ़ाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों को "मातृ संसाधन" के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है, जिसके माध्यम से मशीनें, सामग्री, धन जैसे अन्य संसाधनों को समन्वित, निर्देशित और नियंत्रित करने का आयोजन किया जाता है। एक उद्यम की सफलता के लिए इस "मदर रिसोर्सेज" की संभावनाओं की अधिकतम प्राप्ति महत्वपूर्ण है। अतरिक प्रबंधन और नेतृत्व शैली सहभागी, सहयोगी और सहायक जलवायु, प्रेरक वातावरण, देखभाल की चिंता और एक दूसरे के लिए साथी की भावनाओं, संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के उत्पादकता उन्मुख निष्पादन के मानकों के दिए गए ढांचे के भीतर काम करने की स्वतंत्रता और लचीलापन है, और मानव अप्रचलन के खतरे को दूर रखने के लिए प्रशिक्षण और विकास के प्रयासों के लिए प्रबंधन की निरंतर सकारात्मक जागरूकता मानव संपत्ति के इस संसाधन के दोहन के लिए कुछ आवश्यक आदान हैं। इसके अलावा, जब तक उन्हें प्रभावी और सार्थक रूप से लगातार उपयोग में नहीं लाया जाता है, मानव संसाधन, केवल समय के प्रवाह से अत्यधिक नाशवान हैं।

मौजूदा मानव क्षमता में मानव शक्ति के वितरित व्यवसाय के प्रोफाइल के माध्यम से एक अच्छी अंतर्दृष्टि को पाया जा सकता है और सीसीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या का 57.53% तकनीकी और पेशेवर योग्य, डिग्री/डिप्लोमा धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार संगठन की कुल संख्या का 52.07% 26–50 वर्ष के आयु वर्ग में है। सीसीआई की मानव शक्ति का व्यापक वितरण निम्नानुसार है:

पेशेवर प्रोफ़ाइल			
क्र.सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी	**1**	1
2	पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स	**1**	1
3	स्नातक अभियंता	**81**	78
4	एमबीए	**29**	26
5	प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक	**16**	16
6	स्नातकोत्तर	**29**	24
7	सीए / आईसीडब्ल्यूए / एसएसएस / एसीएस	**11**	12
8	अभियंता डिप्लोमा धारक	**52**	58

9	स्नातक	**70**	79
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	**92**	109
1 1	अन्य लोग	**122**	149
	कुल	**504**	**553**

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के आयु वर्ग और श्रेणीवार वितरण

	वर्ष							
पंक्ति सूचक	**<30**	**30.35**	**36.41**	**42.47**	**48.53**	**54.60**	**कुल योग**	**औसत आयु**
कार्यपालक अधिकारी	3	36	26	12	21	53	151	46
पर्यवेक्षक	13	18	9	1	11	82	134	49
गैर पर्यवेक्षक	8	44	38	7	34	88	219	47
कुल	24	98	73	20	66	223	504	47

01.01.2020 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या, जैसा कि सरकार को प्रस्तुत किया गया है, नीचे दिया गया है:

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व					कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
01.01.2020 की स्थिति के अनुसार)					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15
समूह क–टीओटी	148	18	2	27	14	2	0	3	18	3	0	0	0	0
समूह ख–टीओटी	138	15	8	29	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0
समूह ग–टीओटी	207	30	16	26	0	0	0	0	15	1	6	0	0	0
समूह घ–टीओटी	21	14	15	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**514**	**77**	**41**	**113**	**14**	**2**	**0**	**3**	**54**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**

यूनिट का नाम सीसीआई लिमिटेड 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग जनशक्ति 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति																		
समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)							पदोन्नति						
	(01.01.2020 की स्थिति के अनुसार)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या की संख्या			बनाई गई रिक्तियों (नियुक्त किए गए)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			बनाई गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्त किए गए)			
	कुल	वीएच	एचएच	ओह	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
समूह क	**148**	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	**138**	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	**207**	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	**21**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**514**	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
नोटः वीएच का अर्थ है दृष्टिहीन विकलांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)																		
ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)																		
iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (चलने में अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)																		

हमारी यूनिटों की प्रमुख विशेष्ताएं:

मंधार (जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह कार्पोरेशन की पहली यूनिट है, जिसमें जुलाई 1970 में उत्पादन शुरु किया गया। उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया को अपनाया गया और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। स्लैग की आवश्यकता को भिलाई स्टील प्लांट से पूरी की जाती है।

	2019-20	**2018-19**	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**3.80**	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(91)**	(37)	1,08

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

कुरकुंटा (जिला–गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की दूसरी यूनिट है, जहां उत्पादन 1972 से शुरु किया गया।

	2019-20	**2018-19**	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**1,98**	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(105)**	7	(2,17)

बोकाजन (जिला–कारबी अंगलोंग, असम)

यह यूनिट असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में न रखते हुए आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को सीमेंट और सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस यूनिट के लिए 10 किलोमीटर लम्बे रोपवे के माध्यम से चुना–पत्थर लाया जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस यूनिट में 1 अप्रैल 1977 से उत्पादन शुरू किया गया।

	2019-20	**2018-19**	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**1,98**	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	**0.87**	0.84	1.12
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	**4808**	4761	56.39
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(1475)**	(10,92)	(6,86)

राजबन (जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी यूनिट है। सामान्य संचार कठिन होने के अलावा इस यूनिट में काफी बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद का बहिर्गमन सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है क्योंकि यूनिट के नजदीक कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप–वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। यह यूनिट अप्रैल, 1980 से अपना कमर्शियल उत्पादन कर रही है।

	2019-20	**2018-19**	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**2.48**	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	**0.98**	1.44	1.35
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	**6020**	58,72	74,67
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(7,76)**	(9,65)	2,21

नया गांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस यूनिट में 1 मार्च 1982 से कमर्शियल उत्पादन शुरु किया गया।

	2019.20	**2018.19**	2017.18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**4.00**	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(10,61)**	44	15.00

स्थल विभाजन अर्थात नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की संकल्पना के साथ यूनिट की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ाकर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 01.05.1990 से शूरू किया गया।

नयागांव यूनिट का विस्तार डीजीयू और बीजीयू सहित

	2019-20	**2018-19**	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**5.00**	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(5,55)**	433	231

अकलतरा (जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से शुरू किया गया।

	2019-20	2018-19	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**4.00**	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**15,00**	11,74	2,92

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।

चरखी दादरी (जिला–भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई एक रुग्ण यूनिट थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्राधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरूद्धार के पश्चात सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर 1981 में शुरु किया गया और तत्पश्चात क्लिंकर उत्पादन शुरू किया गया। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2019-20	2018-19	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**-**	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(20)**	37	(278)

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।

आदिलाबाद (जिला–आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1984 से शुरू किया गया।

	2019-20	2018-19	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**4.00**	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	–	–	–
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	–	–	–
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**(1,96)**	2,88	2,38

तांदूर (जिला–के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 जुलाई, 1987 से शुरू किया गया।

	2019-20	2018-19	2017-18
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	**10.00**	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	**4.00**	4.07	5.06
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	**14376**	1,66,04	2,00,07
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	**-23,16**	7,46	20,92

NOTES

NOTES

NOTES

Vision

To emerge as sustainable cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

Mission

To improve the net worth of the company, inspiring employees in delivering an improved product and to aim for diversification in related fields.

Panoramic View of Rajban Quarry

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Govt. Of India Enterprise)

Designed & Printed by : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531